लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th S
LOK SABHA DEBATE

[सातवां सत्र
Seventh Session]

Preservation Unit
Fumigated
On 24-8-92
Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
73(8)
16.1.74

[खंड 28 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XXVIII contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price: Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 54—गुरुवार, 10 मई, 1973/20 वैशाख, 1895 (शक)

No. 54—*Thursday, May* 10, 1973/*Voisakha* 20, 1895 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1041	भारतीय शिविरों में पाकिस्तानी युद्ध बंदियों को दी गई अतिरिक्त सुविधाएं	Additional Facilities Provided to Pak Pows in Indian Camps	1–2
1042	पोर्ट ब्लैयर, अण्डमान का अग्रिम नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास	Development of Port Blair, Andamans as an Advance Naval Base	3–4
1043	भारतीय टेबल टेनिस टीम को चीन का निमंत्रण	Chinese Invitation to Indian Table Tennis Team	4–5
1044	उत्तर बंगाल का भू-गर्भीय सर्वेक्षण	Geological Survey of North Bengal	5–7
1046	अलीपुर (कलकत्ता) आयुध डिपो के कर्मचारियों से ज्ञापन	Memorandum from Alipur (Calcutta) Ordnance Depot Employees	7–8
1050	मुजफ्फपुर (बिहार) की आर्थर बटलर कम्पनी लिमिटेड को अधिकार में लेना	Take-over of Arthur Butler Co. Ltd., Muzaffarpur, Bihar	8–10
1052	चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का निर्माण	Construction of Houses by D. D. A. in Chittaranjan Park, New Delhi	10–12
1053	भारत का रक्षा व्यय	Defence Expenditure of India	12–14

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1045	डिफेंस इलैक्ट्रानिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद द्वारा विकसित "सेकेन्डरी सर्वेलेन्स राडार"	Secondary Surviellance Radar Developed by Defence Electronics Research Laboratory, Hyderabad	15
1047	कारखानों के बंद होने, कच्चे माल की कमी और वित्तीय संकट के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक	Workers Unemployed due to closure, Shortage of Raw Materials and Financial Stringency	15

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

1—14 LSS (ND)/73

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1048	पीरु से तांबे का आयात	Import of Copper from Peru	15
1049	भारी इंजीनियरिंग निगम में संयुक्त रुप से बातचीत करने की व्यवस्था	Joint Negotiating Machinery in Heavy Engineering Corporation . . .	16
1051	बंगलादेश में मुकदमा चलाये जाने के लिए युद्ध बन्दियों की सूची	List of POW's for Trial in Bangladesh . . .	16
1054	रक्षा विभाग में भर्ती	Recruitment in Defence Department . . .	16–17
1055	खनन पट्टों में संशोधन	Modification of Mining Leases	17
1056	औद्योगिक संबंध सम्बंधी विधेयक	Industrial Relations Bill .	17
1057	पांचवी योजना में जनजाति क्षेत्रों का विकास	Development of Tribal Areas in Fifth Plan . . .	17–18
1058	भारत के साथ बेहतर सबन्धों के लिए युगांडा का प्रस्ताव	Ugandan move for Better Ties with India . . .	18
1059	नई दिल्ली स्थित ब्राजील के दूतावास द्वारा जारी किये गये पुर्तगाल के पारपत्र	Portuguse Passports Issued by Brazilian Embassy in New Delhi	19
1060	अकोककर कोयला खानों द्वारा सुरक्षा तथा संरक्षण विधियों का उल्लंघन	Violation of Safety and conservation laws by Non-Coking Collieries	19
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
9857	बिजली का उत्पादन करने वाले उपकरणों का आयात	Import of Power Generation Equipments . . .	20
9858	अम्बेसेडर और फियाट कारों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in prices of Ambassador and Fiat Cars . .	20
9859	बिजली के बल्ब बनाने के लिए संयंत्र की स्थापना करने हेतु एच० एम० टी० और हंगेरी की एक कम्पनी में करार	Agreement between H. M. T. and a Hungarian Company for setting up of Plant for Electric Bulbs . . .	20–21
9860	युद्ध में शहीद हुए सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों से जिला गुरदासपुर (पंजाब) में पेट्रोल पम्प खोलने के लिए लाइसेंस देने हेतु अभ्यावेदन	Representations from the Dependents of Military Personnel killed in action for Grant of Licences to open Petrol Pumps in Gurdaspur District (Punjab) .	21
9861	अमरीका में भारतीय दूतावास के भवन के वार्षिक किराये और रख-रखाव पर व्यय	Expenditure on Annual Rent and Maintenance of Building for Housing Indian Embassy in U.S.A. . ..	21–22
9862	रूस में भारतीय दूतावास के भवन के वार्षिक किराये और रख-रखाव पर व्यय	Expenditure on Annual Rent and Maintenance of Building for Housing Indian Embassy in U.S.S.R. . .	22
9863	एग्जामिनर सिलैक्शन-ग्रेड और एग्जामिनर ग्रड-I और II के लिए निर्धारित योग्यताएं	Qualifications prescribed for Examiner Selection Grade and Examiner Grade I and II	22–23

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9864	भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को तीसरे महासंघ के रूप में मान्यता देना	Recognition of 'Bhartiya Pratisksha Mazdoor Sangh, as a 'Tisri Mahasabha'	23
9865	खान मालिकों को मुआवजा	Compensation to Mine Owners	23–24
9866	उड़ीसा में कोरापुट और गंजम एजेंसी में बसाए गए विस्थापित व्यक्ति	Displaced persons settled in Koraput and Ganjam Agency of Orissa	25
9867	उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित बस्तियां	Colonies established in Tribal Areas of Orissa . .	25
9868	कोयलाखान श्रमिकों को परिवर्तनशील महंगाई भत्ता और उपदान	Variable Dearness Allowance and Gratuity to Coal Mine Workers	25–26
9869	न्यू सतग्राम और न्यू मजरी कोयला खानों के नाम कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि	Arrears of E. P. F. with New Satgram and New Majri Collieries . .	26
9870	ट्रैक्टरों तथा कृषि मशीनरी का निर्माण करने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक	Public private Sector Units Manufacturing Tractors and Agricultural Machinery	26–27
9871	कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में रोजगार देना	Employment to Agricultural Engineering Graduates in Public Sector Projects .	27
9872	लखनऊ और दिल्ली में कृषि इंजीनियरिंग स्नातक	Agricultural Engineering Graduates in Lucknow and Delhi	27
9873	सेवामुक्त एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन देना	Payment of Pension to the Released emergency Commissioned Officers . .	27–28
9874	बर्न एण्ड कम्पनी के कार्यकरण की जांच	Enquiry into affairs of Burn and Co.	28
9875	विश्वविद्यालयों में छात्रों के मार्ग-दर्शन हेतु सूचना एवं परामर्शदात्री ब्यूरो	Information-*cum*-advisory Bureaus for Guidance of Students in Universities .	28–30
9876	मै० ग्रेशम एण्ड क्रेवन एण्ड कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता	M/s Grasham and Cravan and Company of India Ltd. Calcutta	[illegible]–31
9877	सितम्बर, 1969 और नवम्बर, 1971 के बीच खरीदी गई प्रत्येक कार पर अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए प्रिमियर आटोमोबाईल्स लिमिटेड का अनुरोध	Request from Premier Automobile Limited for Payment of additional amount on each Car Purchased between September, 1969 and November, 1971	31
9878	फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को कोयले का वितरण	Distribution of Coal to Small Scale Industries in Firozabad (Uttar Pradesh)	31–32

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9879	हैदराबाद में बिजली के बल्ब का कारखाना	Electric Bulb Factory at Hyderabad . .	32
9880	श्रम नीति को नया उद्देश्य देना	New objective to Labour Policy	32
9881	पाकिस्तान द्वारा युद्ध-बन्दियों का मारा जाना स्वीकार न करना	Pakistan Denies Killing of POWs. . . .	32–33
9882	इंडियन एसोसिएशन फॉर एफ्रो-एशियन सोलिडेरिटी को दी गई सहायता	Aid given to Indian Association for Afro-Asian Solidarity	33
9883	उड़ीसा में पाई गई स्वर्ण वाली चट्टानें	Gold-bearing Rocks found in Orissa.	33
9884	इस्पात के आयात की नई नीति	New Shell Import Policy .	34
9885	विशाखापतनम के समीप बाला-चेरुर्री में सहायक पत्तन का निर्माण	Construction of a Satellite Port at Balacherurri, near Visakhapatnam . . .	34
9886	संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अधिकार आयोग द्वारा रंगभेद के व्यवहार को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध अपराध मानना	Apartheid Considered Crime against International Law by U. N. Commission on Human Rights . .	35
9887	बर्मा से निष्कासित व्यक्तियों का-पुनर्वास	Rehabilitation of Repatriates from Burma . . .	35–36
9888	आई० आई० टी० दिल्ली द्वारा बनाई गई अमोनिया से चलने वाली कार	Ammonia-Driven Car made by I.I.T., Delhi . .	36
9889	चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में बसे विस्थापितों के लिए रोजगार के अवसर	Employment Opportunities for Displaced Persons settling in Chittaranjan Park, New Delhi . .	36–37
9890	एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री	Sale of H. M. T. Watches .	37
9891	दिल्ली में हिन्दूस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों का काले बाजार में बिकना	Black Market of H. M. T. Watches in Delhi . .	37–38
9892	अभ्रक श्रमिकों के लिए मजूरी बोर्ड	Wage Board for Mica Workers	38
9893	श्री लंका के साथ कच्जातीबू द्वीप के प्रश्न के बारे में समझौता	Settlement of the issue of Kachchativu Island and with Srilanka	38
9894	देश में रक्षा कर्मचारियों के लिये भर्ती केन्द्र	Recruiting Centre for Defence Personnel in the Country .	39
9895	यूरोप में भारत से लाई गई महिलाओं से न्यूनतम मजूरी (स्टारवेशन वेज) पर निम्न स्तर का कार्य लिया जाना	Menial work at Starvation Wages to Women Brought from India into Europe .	39
9896	गैर-कोकिंग कोयले के मूल्य	Prices of Non-Coking Coal .	39–40
9897	कोयला क्षेत्र भर्ती निकाय (कोलफील्ड रिक्रूटिंग वाडी) को समाप्त करना	Abolition of coalfield Recruiting Body	40

अतः० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9898	अमरीका द्वारा पाकिस्तान को "गाजी" के स्थान पर अन्य पनडुब्बी की सप्लाई	Supply of Submarine to Pakistan by U. S. A. to Replace "Ghazi"	40
9899	स्वदेशी सप्लायरों द्वारा प्रतिरक्षा सामग्री की सप्लाई	Supply of Defence Stores by Indigenous Suppliers . .	41
9900	रक्षा सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपणास्त्रों के विकास का प्रस्ताव	Proposal to develop Various Types of Missiles for Defence Services . . .	42
9901	थाइलैंड में व्यापार के विदेशी स्वामित्व पर प्रतिबन्धों से प्रभावित भारतीय	Indians affected by Restrictions on Foreign ownership of Business in Thailand .	42
9902	राष्ट्रीय कैडेट कोर में पुन: नियुक्त रक्षा कर्मचारियों को मिलिट्री पेंशन का भुगतान	Payment of Military Pension to Defence Personnel Re-employed in N.C.C. . .	42–43
9903	राष्ट्रीय कैडेट कोर में पुन: नियुक्त किए गए सैनिक कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु	Superannuation Age of Army Personnel Re-employed in N.C.C.	43
9904	राष्ट्रीय कैडेट कोर में पुन: नियुक्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि देना	Grant of Annual Increment to Defence Personnel Re-employed in N.C.C. .	43
9905	हिन्द महासागर में अन्य देशों के नौसैनिक अड्डे	Naval Bases of Foreign Countries in Indian Ocean .	43
9906	बिजली का उत्पादन करने वाले उपकरणों के आयात पर प्रतिबन्ध	Ban on Import of Power Equipment	44
9907	भारत तथा नेपाल के बीच बातचीत के लिए नया प्रस्ताव	Fresh Move for Talks between India and Nepal . .	44
9908	किरकी स्थित एम्यूनीशन फैक्टरी के जनरल मैनेजर द्वारा मैसर्स नेशनल फायर आर्मस कम्पनी तथा फ्रन्टियर आर्मस कम्पनी को हथियार तथा गोलाबारूद की बिक्री	Sale of Arms and Ammunition to Messrs National Fire-arms Company and Frontier Company Arms by General Manager, Ammunition Factory, Kirkee . .	45
9909	राइफल फैक्टरी इच्छापुर के महा-प्रबन्धक द्वारा गैर-सरकारी व्यापारियों को शस्त्रास्त्रों और गोला बारूद की बिक्री	Sale of Arms and Ammunition to Private Dealers by General Manager, Rifle Factory, Ichhapur	45–46
9910	भारत अर्थ मूवर्स लि० के ईस्ट जोन वेयर हाउस का कलकत्ता से मैसूर को स्थानान्तरण	Shifting of East Zone Warehouse of Bharat Earth Movers Ltd., from Calcutta to Mysore . . .	46
9911	दण्डकारण्य परियोजना में पश्चिम बंगाल के शरणार्थी पुनर्वास विभाग के प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारी	West Bengal, Refugee Rehabilitation Department Employees Working on Deputation in Dandakarnya Project	47

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9912	दण्डकारण्य परियोजना में प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों पर केन्द्रीय वतनमान लागू करना	Extending Central Pay Scales to Primary School Teachers in Dandakarnya Project	47
9913	भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, के श्रमिक विधि डिप्लोमा को मान्यता देना	Recognition of Diploma of Labour Laws from Indian Law Institution, New Delhi	47
9914	रोड-रोलरों के आयात के बारे में निर्णय	Decision regarding Import of Road Rollers . . .	48
9915	उड़ीसा में भारी उद्योग के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries under Heavy Industries in Orissa	48
9916	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड और यूनियनों के बीच समझौता	Agreement between Unions and Orissa State Electricity Board	48
9917	डाइतरी लौह अयस्क खान मजदूर संघ को मान्यता देना	Recognition to Daitari Iron Ore Mines Labour Union	49
9918	राष्ट्रीय कैडेट कोर संस्थापन में नियुक्त लिपिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण	Transfer of clerical Staff Employed in N.C.C. Establishment	49
9919	राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारियों की इलाहाबाद में नियुक्ति	Stationing of N.C.C. Officers in Allahabad . . .	49–50
9920	राज्यों में बारी बारी गणतन्त्र दिवस की परेड का समारोह मनाया जाना	Celebration of Republic Day Parade in the States by Rotation	50
9921	जापान के उत्पादन की तुलना में भारत में इस्पात का उत्पादन	Production of Steel in India compared with Production in Japan . . .	50–51
9922	अपनी पूरी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग	Public/Private Sector Industries running below Full Capacities	51
9923	भारत-चीन-सीमा-विवाद के बारे में चीन के प्रधानमंत्री के पत्र का पुनः प्रकाशन	Republication of Chinese Premier's letter Regarding Sino-Indian Border Dispute	51
9924	बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिए रूस के साथ सहयोग	Collaboration with Soviet Union for Expansion of Bokaro and Bhilai Steel Plant	52
9925	अखिल भारतीय शांति परिषद द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के प्रतिनिधि-मंडल के लिए चंदा इकट्ठा किया जाना	Contribution raised for N. L. F. Delegation by All India Peace Council . .	52–53
9926	अम्बाजरी आयुध कारखाने में उत्पादन	Production of Ambajhari ordnance Factory . . .	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9927	महाराष्ट्र के आयुध कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को दुरुह स्टेशन भत्ते की अदायगी	Payment of difficult allowances to employees working in ordnance Factories of Maharashtra . . .	53–54
9928	1975 तक बेरोजगारी में वृद्धि	Increase in Unemployment by 1975	54
9929	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों को स्थायी करना	Confirmations in E. P. F. Organisation	54
9930	कोयले की कमी के कारण कपड़ा मिलों के बंद होने का भय	Textile Mills facing closure due to shortage of Coal	55
9931	आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के बारे में भारतीय श्रमिक सम्मेलन का मत	Need based Minimum Wage concept of the Indian Labour conference . . .	55
9932	अधिक बोनस के लिए बोनस पुनरीक्षण पैनल	Bonus Review Panel for Higher Bonus . . .	55
9933	1971 के भारत-पाक युद्ध में शूरता का प्रदर्शन करने वाले सेना कर्मचारियों को निःशुल्क भूमि का आवंटन	Allotment of Free Land to Army Personnel who did gallent Job during Indo-Pak War 1971	56
9934	उड़ीसा में मलंगटोली लौह अयस्क खानों के विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था	Financial provision for development of Malangtoli Iron ore Mines in Orissa	56
9935	भोपाल (मध्य प्रदेश) में खनिज सम्पदा विषयक गोष्ठी	Seminar on Mineral Wealth held in Bhopal (M.P.)	56
9936	कोडा बीजापुर क्षेत्र के शरणार्थियों का मध्य प्रदेश के जिला बस्तर में पुनर्वास	Rehabilitation of refugees of Koda Bijapur area in Bastar District, Madhya Pradesh .	57
9937	सरकारी उपक्रमों द्वारा कृषि रसायनों के लिए गैर-सरकारी वितरण प्रणाली का उपयोग	Public Undertakings using Private Sector distribution networks for agricultural chemicals . . .	57–58
9938	हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता मनोरंजन के इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों (गैंडगट्स) का निर्माण	Manufacture of Consumer entertainment electronic gadgets by H.A.L. and B.E.L.	58
9939	राष्ट्रीयकृत कोयलाखानों में कस्टोडियनों की नियुक्ति के बारे में अपनाई गई कसौटी	Criteria regarding appointment of Custodians of nationalised Coal Mines . . .	58
9940	भारत गोल्ड मांइनिंग कम्पनी द्वारा सोने का उत्पादन	Production of gold by Bharat Gold Mining Co. . .	58–59
9941	रक्षा सामग्री का आयात	Import of Defence Stocks	59
9942	रक्षा सेनाओं में रैंकों का समाप्त किया जाना	Abolishing the ranks in Defence forces	59–60

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9943	एच० एम० टी० घड़ियों का निर्माण और निर्यात	Manufacture and Export of HMT Watches . . .	60
9944	"लोएस्ट प्रियोरिटी टू स्टील फार रूरल हाउस बिल्डींग" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	News Captioned "Lowest priority to steel for rural house Buildings.". . . .	61
9945	इस्पात के मूल्यों में एकरूपता	Uniformity in Steel prices .	61
9946	कपड़ा मिलों में ठेके के कर्मचारी	Contract Workers in textile mills.	61–62
9947	आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-अफगानिस्तान संयुक्त आयोग	Indo-Afghan Joint Commission for Economic, trade and Technical Cooperation .	62
9948	रक्षा विभाग द्वारा अनुपयोगी जीपों की नीलामी	Auction of Unserviceable Jeeps by Defence Department .	62–63
9949	पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के दावों का न निपटाया जाना	Unsettled claims of Refugees from Pakistan . .	63
9950	रक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सहयोग	Collaboration for Training Defence Personnel .	63–64
9952	क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों का असंतोषजनक कार्य	Unsatisfactory Service to R. P. F. C. Offices. . . .	64–65
9953	दार्जीलिंग में घड़ियां बनाने का कारखाना	Watch Factory in Darjeeling .	65
9954	कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना	Employment to persons rendered Jobless due to Nationalisation of Collieries . .	65
9955	गैर-सरकारी क्षेत्र में खान मालिकों द्वारा दिए गए उपदान सम्बन्धी लाभ	Gratuity benefits given by mine owners in Private Sector	65–66
9956	मध्य प्रदेश में गंधकयुक्त कोयले को निकालना	Extraction of Sulphur-mixed Coal from Madhya Pradesh	66
9957	मध्य प्रदेश में कर्मचारि भविष्य निधि-योजना	E.P.F. Scheme in Madhya Pradesh . .	66
9958	लूम्बा समिति की सिफारिशों को रूड़केला इस्पात संयंत्र में लागू करना	Implementation of Loomba Committee's recommendations in Rourkela Steel Plant	66
9959	मध्य प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के नए अस्पताल खोलना	Setting up of New ESIS Hospitals in Madhya Pradesh .	66–67
9960	मध्य प्रदेश में हड़तालों और तालाबंदी की घटनाएं	Strikes and Lockouts in Madhya Pradesh	67
9961	गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों को इस्पात की सप्लाई	Supply of Steel to Private Units	67
9962	चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में भूमि का किराया	Ground rent in Chittaranjan Park, New Delhi . .	67–68

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
9963	चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में अलाटियों द्वारा किश्तों का भुगतान	Payment of instalments by Allottees in Chittranjan Park, New Delhi	68
9964	चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में बाजारों का निर्माण	Construction of Markets in Chittaranjan Park, New Delhi.	68–69
9965	कोयला खानों में उपदान योजना	Gratuity Scheme in Coal Mines	69
9966	विदेशियों द्वारा भारत के बैंकों में जमा राशियों पर आयकर की दर में कमी करने के लिए अनुरोध	Requests for decrease of Rate of Income Tax on Bank Deposits in India by Foreigners.	69
9967	राष्ट्र संघ के एशिया तथा सुदूरपूर्व के देशों सम्बन्धी आर्थिक आयोग में बंगलादेश को शामिल किया जाना	Inclusion of Bangladesh in Unitted Nations Economic Commission for Asia and Far East	69–70
9968	राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए प्रदर्शन	Demonstration by State Govt. Employees to press their demands.	70–71
9969	अफ्रीकी-एशियाई एकता और अखिल भारतीय शांति परिषद के निमंत्रण पर विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्रा	Visits by foreign delegations at invitations from Afro-Asian Solidarity and All India Peace Council	71
9970	अफ्रेशियाई एकता सम्मेलन और अखिल भारतीय शांति परिषद के पदाधिकारीयों को निःशुल्क विमान टिकट	Fiee Air tickets to office-bearers of Afro-Asian Solidarity Conference and All India Peace Council	71
9971	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों का वेतन नियत करने के बारे में अनुदेश	Instructions to N. M. D. C. regarding Fixation of Pay of Ex-Army Officers	72
9972	गैस सिलेण्डरों के लिए आयात लाइसेंस	Import Licence for Gas Cylinders	72–73
9973	सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में गैस सिलैण्डरों का निर्माण	Manufacture of Gas Cylinders in Public and Private Sectors	73
9974	ग्लोब मोटर्स, दिल्ली द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा न करवाया जाना	Non-Deposit of E.P.F. by Globe Motors, Delhi	74
9975	पट्टाधारियों से पीपली कैम्पिंग ग्राउण्ड भूमि (कुरुक्षेत्र जिला) का लिया जाना	Take over of Peepli Camping Ground (Kurukshetra District) Land from Lessee	74–75
9976	ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्क्स, टीटागढ़ (पश्चिम बंगाल) को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of Britannia Engineering Works, Titagarh (West Bengal)	75
9977	बेप्टिस्ट मिशन प्रैस, कलकत्ता का बंद हो जाना	Closure of Baptist Mission Press, Calcutta	75–76

अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECTS	पृष्ठ PAGES
9978	चीनी मिल, अहमदपुर का बंद होना	Closure of Sugar Mill, Ahmedpur	76
9979	नेपाल में भारत से आयात के लिए परमिटों के वितरण पर नियंत्रण	Control over distribution of permits for imports from India in Nepal . . .	76
9980	मैसर्स इंडियन कापर कारपोरेशन, चाइना क्ले एण्ड आयरन और माइन्स में ठेकेदारों के श्रमिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू करना	Covering of Contractors' labour in M/s Indian Copper Corporation, China Clay and Iron Ore Mines under E. P. F. Act, 1952	77
9981	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के क्षेत्रीय निरीक्षकों की पदोन्नति के लिए ड्यूटी रोस्टर और चयन सूची	Duty roster and Select list for promotion of S. C. and S. T. Regional Inspectors in E. P. F. O.	77–78
9982	उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में यूरेनियम की बड़ी मात्रा में निक्षेप	Large Deposits of Uranium in Chamoli District, U. P. .	78
9983	मैसर्स आलडक्ट इंडिया, सिकन्दराबाद द्वारा बकाया राशि का भुगतान	Payment of clues by M/s Alduct India, Secunderabad .	78
9984	मैसर्स आलडक्ट इंडिया, सिकन्दराबाद द्वारा श्रमिक कानूनों का पालन न करना	Non-Compliance of labour Laws by M/s Adluct India, Secunderabad . . .	78–79
9985	विदेशों से भारत लौटे व्यक्तियों को गुजरात में बसाने के लिए धन का आवंटन	Allocation for Settlement of repatriets in Gujarat . .	79
9986	इण्डियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपने देश को भेजी गई राशि	Remittances by Indian Tube Co. Ltd. . . .	79–80
9987	दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र के मिश्र उत्पाद का पुनरीक्षण	Review of product-mix of Alloy Steel Plant, Durgapur .	80
9988	भारत और चीन के बीच व्यापार	Trade between India and China	81
9989	पश्चिम बंगाल सरकार का हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय	West Bengal Government decision to ban strikes .	81
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	वनस्पति घी और चीनी की अनुपलब्धता और उनकी कीमतों में असाधारण वृद्धि—	Abnormal rise in prices and non-availability of Vanaspati Ghee and Sugar—	
	श्री नवल किशोर सिन्हा	Shri Naval Kishore Sinha .	81, 83–84
	प्रो० शेर सिंह	Prof. Sher Singh . .	81–83 84–87 88–89
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	90–91
	राज्य सभा स संदेश	Messages from Rajya Sabha .	92

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
मणिपुर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Manipur State Legislature (Delegation of Powers) Bill—As passed by Rajya Sabha .	92
नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में वक्तव्य—	Statement Re. National Rayon Corporation Ltd. . .	92–95
श्री डी० आर० चव्हाण	Shri D. R. Chavan . .	94–95
नियम 377 के अन्तर्गत मामले—	Matters Under Rule 377—	
(एक) त्रिपुरा में बाढ़	(i) Floods in Tripura .	95
(दो) कलकत्ता स्थित अमरीकी वाणिज्य दूतावास के एक कर्मचारी की कथित आपत्तिजनक गतिविधियां	(ii) Alleged objectionable activities of an U. S. Consulate official in Calcutta . . .	96
(तीन) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों की खरीद	(iii) Purchase of Planes by Indian Airlines . .	96
दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक विचार करने का प्रस्ताव—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Code of Criminal Procedure Bill Motion to consider, as passed by Rajya Sabha .	97–107
श्री नवल किशोर शर्मा	Shri Naval Kishore Sharma	99–101
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder .	101–102
श्री एस० एन० सिंह	Shri Shivnath Singh .	102–105
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla . .	105–106
श्री मुलचन्द डागा	Shri M. C. Daga . .	106–107
भारतीय उर्वरक निगम के बारे में चर्चा—	Discussion Re. Fertiliser Corporation of India—	
श्री समर गुह	Shri Samar Guha . .	107–109
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh . .	110–111
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	112–113
श्री श्यामसुन्दर महापात्र	Shri Shyam Sunder Mohapatra	114–115
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	115
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni . .	116
श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा	Shri Satyendra Narayan Sinha	116–117
प्रो० नारायण चन्द पाराशर	Prof. Narain Chand Parashar	117
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan .	117–118
श्री दामोदर पाण्डेय	Shri Damodar Pandey .	118–119
श्री डी० के० बरूआ	Shri D. K. Borooah .	119–120
अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा के बारे में	Re. Discussion on Increase in Prices of Essential Commodities . . .	109

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 10 मई, 1973/20 वैशाख, 1895 (शक)
Thursday, May 10, 1973/Vaisakha 20, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Additional Facilities Provided to Pak P.O.Ws. in Indian Camps

*1041. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the additional facilities being provided to Pak P.O.Ws. which can generally be said to be over and above those to be provided under the Geneva Convention;

(b) whether during his recent visit to Bihar, he inspected the Pak P.O.Ws. Camps;

(c) whether the officers and the ordinary Prisoners-of-War demanded some additional facilities from him during inspection; and

(d) if so, the nature thereof?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidhya Charan Shukla): (a) The Geneva Convention only provides that humane treatment should be given to prisoners of war and that provision of food, clothing, medical facilities etc. should be adequate. The exact facilities are not specified. Government of India have been treating the prisoners in accordance with these principles. The question of "additional" facilities does not, therefore, arise.

(b) Yes, Sir.

(c) & (d) Some requests like provision of a water cooler in the hospital, false ceiling in-patients ward and repatriation of a P.O.W. on compassionate grounds etc. were made by the Prisoners of War.

Shri Shankar Dayal Singh : Our poor country is spending Rs. one crore per month on the P.O.Ws. I want to know whether Pakistan had also treated Indian P.O.Ws., under the Geneva Convention, in the same way, as we are treating their P.O.Ws. ? And also what

3—14 LSS (ND)/73

additional facilities are being provided by us to Pak P.O.Ws. other than those specified under Geneva Convention, as I know such facilities are being given to them as were not available to Indian P.O.Ws. ? And why such treatment is being meted out to them ?

Shri Vidya Charan Shukla : As I had stated, we are not extending any such facilities other than those specified in Geneva Convention. Secondly, if any other country comits a mistake it is hardly proper to reciprocate in the same manner while in Pakistan our P.O.Ws. were not treated fairly but as part of our policy we had decided not to ill treat them, rather we would try to treat them properly through the International Committee of Red Cross. Therefore. it is not correct to say that we extended any facility other than those covered by Geneva Convention.

Shri Shankar Dayal Singh : Recently, our Defence Minister visited some P.O.W. Camps in Bihar wherein they asked for certain concessions and also said something derogatory. Have 23 of them escaped, 31 were shot dead and 66 were injured and they are constantly making attempts to escape ?

Shri Vidya Charan Shukla : These question have already been covered in replies to parts (b) and (c) of the main question. Regarding derogatory remarks, I have no such information.

Shri Madhu Limaye : India and Bangla Desh are being unnecessarily maligned for the facilities and treatment being given to Pak P.O.Ws. I would, therefore, like to know whether Government propose to release such P.O.Ws. in consultation with Bangla Desh Prime Minister as have no charges against them ?

Vidhya Charan Shukla : Many suggestions have been received including this one and they are under consideration. But at present it is not possible to say which of them would be feasible.

Shri Buta Singh : The treatment meted out to our Jawans and Civilians by Pakistan is well-known. They were physically mutilated after arrest and the gross illtreatment is heart-rending. I therefore, want to know whether the details in this regard have been obtained through any Swiss agency or International Committee of Red Cross and whether our Government have conducted any talks at any level with Pakistan Government ?

Shri Vidya Charan Shukla : In reply to an earlier supplementary, I had stated that they were definitely ill treated and such reports were received about civilians also and we had taken up the matter through the Swiss Embassy and the International Committee of Red Cross but we have neither received a satisfactory reply nor any action was taken by them in this regard.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Is it a fact that attempts to escape from the camp is among the facilities being provided to Pak P.O.Ws.? If not, how it is possible for them to do so by digging long-distance sub-ways without the knowledge of the authorities?

Shri Vidya Charan Sukla : It is a well-known fact that P.O.Ws. in foreign countries can and do try to escape under the Geneva Convention, but as far as we are concerned the hon. Member should know the number of P.O.Ws. here and out of them how many attempted to escape and the negligible number of those who succeeded in their attempts. The hon. Member had asked this in a satirical tone....

Shri Atal Bihari Vajpayee : How they are able to dig sub-ways then ?

Shri Vidya Charan Shukla : But they were apprehended also and where they were successful there also they were apprehended later. I can, therefore, claim that arrangements in their camps are very satisfactory.

ोर्ट ब्लेयर, अण्डमान का अग्रिम नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास

+

*1042. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :**
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पोर्ट ब्लेयर, अंडमान का अग्रिम नौसैनिक अड्डे के रूप में विकास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):(क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) योजनाओं में इन द्वीपों की रक्षा के लिए आवश्यक अवस्थापना के विकास की व्यवस्था है। पोर्ट ब्लेयर के एक अग्रिम नौसेना अड्डे के रूप में चरणवार विकास का अनुमोदन कर दिया गया है। लगभग 1.53 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक प्राथमिक मरम्मत संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। पोर्ट ब्लेयर में नौसेना स्थापना के एक भाग के रूप में मौसम विज्ञान संबंधी कार्यालय मंजूर किया है। माननीय सदस्य यह मानेंगे कि इस विषय में और आगे सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

श्री पी० गंगादेव : जैसा माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है कि यह क्षेत्र सामरिक महत्व का है और क्योंकि इस द्वीपसमूह में सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध हैं तो क्या समुद्री उद्योगों को आधुनिक बनाने की अपेक्षा स्थानीय नौसैनिक अड्डा बनाने पर सरकार विचार कर रही है, यदि हां, तो इसके लिए पांचवी योजना में क्या उपबंध किये गए है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस संबंध में जितनी सूचना मैं दे सकता था, वह दे दी गई है और मैं यह भी कह चुका हूं कि ब्यौरा देना हमारे हित में नहीं होगा, अत: सदस्य महोदय इसके लिए मुझे बाध्य न करे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ समय पूर्व श्री ज्योतिर्मय बसु ने वहां का दौरा किया था और यहां बताया था कि अन्दमान नहीं, कारनिकोबार में आस्ट्रेलिया आने-जाने वाले ब्रिटिश वायु सेना के विमानों को उतरने की सुविधा दी जाती है तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस घोषणा को देखते हुए कि उसका विचार अन्दमान का विकास अपने नौसैनिक अड्डों के लिए करने का है क्या विदेशी विमानों को दी जा रही यह सुविधा समाप्त की जाएगी?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह प्रश्न उठा था और इसका उत्तर भी दिया गया था। यदि माननीय सदस्य के मन में कोई और बात हो तो वह पृथक सूचना देकर पूछ सकते हैं।

श्री समर गुह : हवाई अड्डा अधिकारियों ने स्पष्ट कहा था कि ये सुविधाएं ब्रिटीश सैनिक विमानों को दी जा रही हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं अगले सदस्य का नाम पुकार चुका हूँ। श्री एच० एम० पटेल।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : विदेश मंत्री इस बारे में कुछ कहने के लिए उठ रहे थे।

विदेश मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मैं तो अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ा हो रहा था।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आपको पृथक सूचना देनी चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Why the correct information is not being given ? If British planes have been permitted, they should tell us. When this matter was raised earlier it was not replied to, how separate notice is being asked for. Why so ?

Shri Vidya Charan Sukla : Sir, it is not a fact. This question is hardly relevant to the main question.

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमन, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं अगले सदस्य का नाम पुकार चुका हूं।

भारतीय टेबल टेनिस टीम को चीन का निमंत्रण

*1043. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने पीकिंग में अगस्त मास में होने वाली एशिया–अफ्रीका-लेटिन अमरीका टेबिल टेनिस फ्रेंडशिप इंवीटेशनल टूर्नामेंट में खेलने के लिए भारतीय टेबिल टेनिस टीम को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या महत्व है?

विदेश मंत्री (स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार को ऐसा कोई निमंत्रण नहीं मिला है। फिर भी ऐसा समझा जाता है कि अप्रैल 1973 में यूगोस्लाविया में हुई हाल की विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में चीन के खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों को निमंत्रण दिया था।

(ख) यह खेल कूद से सम्बद्ध मामला है और सम्बन्धित खेल कूद संस्था ही इसमें निर्णय ले सकती है।

श्री एच० एम० पटेल : यद्यपि मंत्री महोदय ने इसे खेलकूद का विषय बताया हैं परन्तु मुझे खुशी है कि वह इसका उत्तर देने को सहमत हैं। क्या "पिंग-पांग" कूटनीति को दृष्टिगत रखते हुए, वह इस पर विचार करेंगे और खेलकूद संघ को यह निमंत्रण स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनके द्वारा लाई गई जानकारी हमें देंगे?

श्री स्वर्ण सिंह : सदस्य महोदय को शायद याद होगा कि हमारी एक टेबिल टेनिस टीम पीछे गई थी परन्तु इसका निर्णय तो खेलकूद संस्था को ही करना है कि मौखिक रूप से दिया गया निमंत्रण स्वीकार किया जाये या नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में सामान्यत: मुख्य संस्था से निमंत्रण प्राप्त होना चाहिये। अत: यह मामला निमंत्रण भेजने वाले और भारतीय संस्था के बीच का है। तथापि हम ऐसी टीमों के भारत आने और हमारी टीमों के बाहर जाने के पक्ष में हैं।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने शायद मेरे प्रश्न के पहले भाग को नहीं समझा कि पीछे "पिंगपांग" कूटनीति की बात की काफी चर्चा रही और इसी के कारण अमरीकी टीम चीन गई थी।

अध्यक्ष महोदय : आप तो इस प्रश्न को लम्बा कर रहे हैं।

श्री एच० एम० पटेल : यह प्रश्न तो स्वीकार ही इसी कारण किया गया है। अत: मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय इसका क्या अर्थ लगाते हैं और क्या इसे वर्तमान परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है या नहीं?

श्री स्वर्ण सिंह : यह कूटनीति चीन और अमरीका द्वारा अपनाई गई थी क्योंकि दोनों ने एक-दूसरे को मान्यता नहीं दी थी। अतः अमरीकी टीम को चीन आने का निमंत्रण दिया गया था परन्तु यह मान लेना मूर्खता होगी कि केवल इसी कारण ही दोनों के संबंधों में सुधार हुआ। क्योंकि सभी जानते हैं कि "वार्सा" में और पेरिस में भी अमरीकी और चीनी राजदूत सैकड़ों बार एक दूसरे से मिले और इन्हीं बैठकों के परिणामस्वरूप उनमें वर्तमान संबंध स्थापित हुए हैं। "पिंगपांग कूटनीति" तो पत्रकारों की कल्पना से बना शब्द मात्र ही है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या हमारी टीम की चीन यात्रा के दौरान हमारे खेलकूद संगठन ने विदेश मंत्रालय के परामर्श से चीनी टीम को भारत आने का निमंत्रण दिया था? यदि नहीं, तो क्या हालमें चीन की ओर से हमारे किसी खेलकूद या सांस्कृतिक संगठन को वहां आने का कोई निमंत्रण मिला है?

श्री स्वर्ण सिंह : मेरी जानकारी में तो नहीं मिला है।

श्री एस० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने अभी अमरीका और चीन में "पिंगपांग" कूटनीति का उल्लेख किया है। बात यह है कि अमरीका का इस खेल में कोई विशेष स्तर नहीं है जबकि हम, जैसा कि हाल की स्वाथलिंग कप प्रतियोगिता से स्पष्ट है, इस खेल में काफी आगे हैं। तो क्या मंत्री महोदय को कोई आपत्ति होगी यदि हमारा शिक्षा मंत्रालय एक टीम चीन भेजे और क्या उनके लिए पारपत्र आदि की पूरी सुविधा होगी?

श्री स्वर्ण सिंह : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम इसके पक्ष में हैं कि ऐसी टीमें एक-दूसरे देशों में जाएं। इन मामलों में हम काफी उदार हैं। श्री बनर्जी के दल के एक सदस्य से ही एक डाक्टर को चीन जाकर "एकुपंकचर" प्रणाली का अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था और इसकी हमने अनुमति प्रदान कर दी थी। ऐसे ही प्रविधिक, सांस्कृतिक तथा खेल कूद के मामलों में दोनों ओर से आदानप्रदान बढ़ाया जा सकता है और बढ़ाया जाना चाहिये।

उत्तर बंगाल का भू-गर्भीय सर्वेक्षण

*1044. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व इस्पात और खान मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन के अनुसार उत्तर बंगाल में विशेषकर दारजिलिंग, जलपाई गुड़ी और कूच बिहार जिलों में कोई भू-गर्भीय सर्वेक्षण किया गया है जहां जस्ते, तांबे के निक्षेप और तेल के कुएं बड़ी मात्रा में उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या उनका मंत्रालय उत्तर बंगाल में भू-गर्भीय सर्वेक्षण करेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) उत्तरी बंगाल में सीसा, जस्ता, ताम्र, तेल और गैस आदि खनिज पदार्थों के लिए पहले ही भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए हैं। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उदीयमान क्षेत्रों में अब विस्तृत अन्वेषण आरम्भ किए हैं। इस अवस्था में इस क्षेत्र में तेल और गैस के लिए अतिरिक्त समन्वेषण कार्य करना उचित नहीं समझा गया है क्योंकि तेल एवं गैस के जनन हेतु इस क्षेत्र में भूवैज्ञानिक कार्य करना अलाभप्रद समझा गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री बी० के० दास चौधरी : गत वर्ष 4 मई 1972 के मेरे प्रश्न संख्या 699 के उत्तर में यह बताया गया था :—

"भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की दसवर्षीय योजना (1969–79) जो प्रगति पर है, में प्रथम चरण (1969–74) में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के 1250 वर्ग कि० मीटर क्षेत्र में व्यवस्थित भूवैज्ञानिक मानचित्रण और प्रारम्भिक खनिज अन्वेषण और जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों में डोलोमाईट और ग्रेफाइट के लिए विस्तृत अन्वेषण सम्मिलित है।"

अतः उत्तर में उल्लेख किया गया था कि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में 1250 वर्ग कि० मीटर क्षेत्र में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ब्यौरेवार जांच की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जांच कार्य पूरा हो गया है और, यदि हां, तो कितने क्षेत्र में ब्यौरेवार अध्ययन किया गया है।

श्री सुबोध हंसदा : वर्ष 1971–72 और 1972–73 में 1.21 कि० मीटर क्षेत्र में भू-गर्भीय मानचित्र बनाने का कार्य किया गया है। 2000 वर्ग मील के लिए 1 इंच माप क्रम है।

श्री बी० के० दास चौधरी : इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं?

श्री सुबोध हंसदा : दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के क्षेत्र शामिल हैं।

श्री बी० के० दास चौधरी : मंत्री महोदय के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि जांच अभी तक नहीं की गई है। किन्तु जिस उत्तर का मैंने पहले उल्लेख किया है उसमें बताया गया है कि दार्जिलिंग जिले में कारूबधान क्षेत्र में खनिजों के बहुत भारी निक्षेप हैं। उत्तर में कहा है कि :

"भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप दार्जिलिंग के कारूबधान क्षेत्र में क्वार्टजाइट के रूप में सीसा-जस्त-ताम्र खनिजीकरण के कुछ प्राप्तिस्थल पाए गए हैं। इन प्राप्ति स्थलों का बृहत मापमान पर मानचित्रण प्रतिचयन और छिद्रण द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है।"

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि ....

अध्यक्ष महोदय : यह वादविवाद नहीं है। उन्हें प्रश्न करना चाहिए। मैं यह सब बार बार नही होने दूंगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैं अधिक समय नहीं लूंगा। जब तक मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा मंत्री महोदय के लिए इस प्रश्न का उत्तर देना अत्यन्त कठिन हो जायेगा।

प्रतिवेदन में यह उल्लिखित है :—

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग, नई दिल्ली द्वारा मार्च 1966 से बांध के स्थान के उप-भूतल की आग जांच स्थगित कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी सिफारिश को लागू किया गया है।"

मैं जानना चाहता हूं कि उस समय क्या सिफारिश की गई थी। क्या यह कहा गया था कि इन सब क्षेत्रों का उचित मानचित्रण तथा खोज की जाए और यदि हां, तो 1966 से इसे क्यों स्थगित किया गया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम) : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न को मैं पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया हूं। किन्तु कारूबथान का मानचित्रण के बारे में गहन भूवैज्ञानिक मानचित्रण के दौरान दार्जिलिंग में इस स्थान से चार मील उत्तर में हाल ही मे खनिजीकरण सम्बन्धी उदीयमान संकेतों का पता लगाया गया है और वे उनकी खोज कर रहे है।

अलीपुर (कलकत्ता) आयुध डिपो के कर्मचारियों से ज्ञापन

*1046. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको अलीपुर (कलकत्ता) आयुध डिपो के कर्मचारियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें डिपो के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में क्या बातें कही गई हैं; और

(ग) यदि इस पर कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक पत्र जिस पर हस्ताक्षर तथा तारीख नहीं 4–4–1973 को प्राप्त हुआ था। यह आर्डनेन्स फैक्टरी अलीपुर (कलकत्ता) के कर्मचारियों से आया हुआ दिखाई देता है और उस में रक्षा मंत्रालय के कतिपय अधिकारियों के विरूद्ध कतिपय आरोप लगाए गए हैं।

(ख) पत्र में निम्नांकित आरोप लगाए गए है :—

(1) डिपों में शेडों और भवनों के दोषपूर्ण निर्माण द्वारा धन का गबन ;

(2) डिपो वर्कशाप में अफसरों के निजी उपयोग के लिए फर्नीचर का निर्माण;

(3) ठेकेदारों से सांठ-गांठ;

(4) निजी कार्य के लिए डिपो स्टाफ कार का दुरूपयोग;

(5) सरकारी स्टोरों की चोरी में सांठ-गांठ; और

(6) अफसरों के निवास स्थानों पर होन वाले निजी समारोहों के लिए टैंटों आदि जैसे सरकारी स्टोरों का उपयोग।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार के अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग पर आरोप लगाए गए है और य बहुत गम्भीर आरोप है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जांच कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ है जिससे सरकार इस मामले में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करती। क्योंकि मैंने स्वयं उसकी जांच की है और पता लगाया है कि शिकायतें ठीक और सच हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : सामान्यतया हम इस शिकायत पर कोई कार्यवाही नही करते क्योंकि यह गुमनाम पत्र था। किन्तु इसे हमारे पास भेजने से पहले इसकी एक प्रति श्री ज्योतिर्मय बसुको प्रेषित की गई थी। अतः हमने इस मामले की जांच की। जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है कि यह लगभग एक महीने पूर्व 4–4–73 को प्राप्त हुई थी। जांच पड़ताल आरम्भ हो गई है। जब तक हम पुरी जानकारी प्राप्त नही करते हम किसी निष्कर्ष पर नही पहुंच सकते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यहां बताए गए आरोपों में ट्रैक्टर की 10 चैनों के बारे में स्पष्ट रूपसे उल्लेख नहीं किया गया है, य चैनें बहुत बहुमूल्यवान लोहस धातु की बनी हुई हैं जो इस डिपो में किसी अन्य यूनिट से कबाड के रूप में निपटारे के लिए भेजी गई थी और उन्हें ना तो रजिस्टरों में चढ़ाया गया था और ना ही पानागढ़ कबाड़ डिपो में नीलामी के लिए भेजी गई थी। लेकिन उनका डिपों में कोई लेखा जोखा नहीं रखा गया था। इस बाद एक एक करके उन्हें चोरी से बाजार में बेच दिया गया। यह बहुत गम्भीर आरोप है। अबतक सरकार को इसका पता लगा लेना चाहिए था। क्या मंत्री महोदय सदन को बतायेंगे कि उन्होंने इस विशिष्ट आरोप के बारे में कोई विशेष कदम उठाए है और यदि हां, तो वे क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ठीक तरह से नहीं सुना। यह आरोप मद (5) के अन्तर्गत आ जाता है "कि सरकारी स्टोरों की चोरी में सांठ-गांठ।" लगाए गए आरोपों में एक यह भी है। यह केवल उसी के सम्बन्ध में नहीं है, अन्य आरोप भी हैं। ब्यौरे-वार विवरण देने की अपेक्षा मैंने कहा कि यह आरोप है और हम इसकी जांच कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : जैसा कि मंत्री महोदय को पता है कि इस अस्थाई डिपो को अब स्थाई डिपो बना दिया गया है। यह अन्य आयुध डिपो के समान है। अतः कुछ अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप काफी गम्भीर है इससे पहले इस डिपो की मान्यता प्राप्त यूनियन के एक जनरल सेक्रेटरी ने एम० जी० ओ० ब्रांच के डायरेक्टर (आर्डनेंस) के नाम एक पत्र लिखा था। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी एजेंसी इन आरोपों की जांच कर रही है। क्या इस कार्य को उन्हीं अधिकारियों के हाथों में सौंप दिया गया है या मंत्रालय की कोई अलग एजेंसी है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ईस्टर्न कमांड हैडक्वार्टरर्ज का ब्रिगेडियर इस मामले की जांच कर रहा है।

श्री प्रबोध चन्द्र : मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की नीति है कि सरकार को भेजी गई हस्ताक्षरित या गुमनाम सब शिकायतों पर ध्यान दिया जाए ?

विद्याचरण शुक्ल : सरकार की निति इस सदन में कई बार स्पष्ट की गई है। हम साधारणतया गुमनाम एवं अहस्ताक्षरित शिकायतों पर ध्यान नहीं देते। किन्तु जैसा कि मैंने बताया कि इस विशेष रिपोर्ट की एक प्रति माननीय सदस्य को प्रेषित की गई थी, इसलिए हम इसकी जांच कर रहे हैं।

Take-over of Arthur Butler Co. Ltd., Muzaffarpur, Bihar

*1050. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to take over and run the Arthur Butler Company Ltd., Muzaffarpur in Bihar;

(b) whether Government have formulated any scheme to manufacture railway wagons in the aforesaid company ; and

(c) if so, the salient features thereof ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां। 7 मई, 1973 को पास किये गये आदेश द्वारा उपक्रम को पहले ही अधिकार में ले लिया गया है।

(ख) तथा (ग) इस एकक में मीटर गेज के मालगाडी के डिब्बे बनाए जा रहे थे । अभिप्राय यह है कि प्रारम्भ में मालगाडी के डिब्बों का उत्पादन पुन: शुरू किया जाय और बाद में उत्पादन में कुछ विविधता लाई जाये ।

Shri Ramavatar Shastri : I congratulate the Government for taking-over the Arthur Butler Company Ltd. May I know the wagon production programme of the Company before it was taken-over by the Government and the number of wagons this company intend to produce now after it has been taken-over by Government ? Have Government any scheme for the expansion of this unit and if so, the details thereof ?

श्री टी० ए० पाई : यह कम्पनी 1972 तक वैगन बनाती रही है। धीरे धीरे इसका उत्पादन कम होता गया। अब $1\frac{1}{2}$ वर्ष तक निर्माण कार्य करने के लिए पर्याप्त क्रयादेश हैं। मुझे खेद है कि मैं इस बात की सही जानकारी नहीं दे सकता कि यह फर्म कितने वैगन बना सकेगी। किन्तु मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी अलग से दे दूंगा ।

Shri Ramavatar Shastri : Is it a fact that an M.L.A. of Bihar had written a letter levelling allegations against the Ex. Directors of the company for defalcation of funds, which was under investigation and if so, has the investigation since been completed? What is the outcome of the investigation and what is the reaction of the Government thereto ?

श्री टी० ए० पाई : यह प्रश्न कम्पनी कार्य मंत्री से किया जाए ।

Mr. Speaker : This does not arise out of the main question. It is not relevant.

Shri Ramavatar Shastri : Sir, the Directors of the Company were involved in the defalcation of funds. How this question is not relevant ?

Mr. Speaker : It is not relevant to this.

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह ब्रिटिश कम्पनी है और इस कम्पनी के प्रबन्धकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार और पूंजी के गोलमाल के आरोप लगाए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस कम्पनी को अपने हाथ में क्यों लिया गया है जब कि कुछ समय के पश्चात यह कम्पनी इसके प्रबन्धकों को सौंप दी जायेगी। इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया है। इसको अपने हाथ में लेने का निर्णय क्यों किया गया है।

श्री टी० ए० पाई : इस कम्पनी का नाम भले ही ब्रिटिश लगाता है, किन्तु अब यह भारतीय लोगों के हाथों में है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है कि उन्होंने इसको अपने हाथो में क्यों लिया है। अपने हाथों में लेने का अर्थ है कि आप इसे वापस दे देंगे।

Shri Ramavatar Shastri : What action will be taken against those who have indulged in defalcation of funds, will they be acquitted

श्री टी० ए० पाई : उद्योग को अपने हाथों में इस प्रयोजन से लिया जाता है कि उद्योग को पुनर्जीवित किया जाए और उसमें उत्पादन आरम्भ होने लगे और श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की जा सके। किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए अथवा नहीं यह बिल्कुल भिन्न मामला है।

श्री नवल किशोर सिन्हा : आर्थर बटलर कम्पनी लिमिटेड को, जो बन्द पड़ी थी और जिसके 5000 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गये थे अपने हाथों में लेने के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय से निम्नलिखित तीन सूचना प्राप्त करना चाहता हूं :—

(एक) क्या आर्थर बटलर कम्पनी लिमिटेड का विस्तार करने हेतु उसको अपने हाथों में लेने सम्बन्धी निर्णय करने से पूर्व, इस कम्पनी की स्थिति की जांच करने के लिए भेजे गए जांच दल की सिफारिशों के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(दो) क्या सरकार का विचार श्रमिकों को देय सारी राशि का भुगतान करने और इसके मुआवजे का भुगतान करने से पूर्व भूतपूर्व मालिकों द्वारा समाप्त की गई आरक्षित निधि का पुनर्भरण करने का है; और

(तीन) क्या नियंत्रण बोर्ड नियुक्त किया जायेगा और यह कारखाना पुन: कब खुलेगा।

श्री टी० ए० पाई : अब एक अधिकृत नियंत्रक नियुक्त कर लिया गया है। जिन धाराओं के अन्तर्गत इस एकक को अपने हाथों में लिया है उन्हीं धाराओं के अन्तर्गत श्रमिकों की देय राशि की पूर्ण रूप से सुरक्षा की जायेगी।

इस की क्षमता के विस्तार का प्रश्न रेलवे बोर्ड द्वारा मीटर गेज के रेल वेगनों की आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

श्री नवल किशोर सिन्हा : यह एकक गत 16 महीनों से बन्द पड़ा है और लोग भूखों मर रहे है क्या इसे शीघ्र ही पुन: खोला जायेगा?

श्री टी० ए० पाई : प्रत्येक चीज यथा सम्भव शीघ्रता से की जायेगी।

चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का निर्माण

+

* 1052. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली के बड़ी संख्या में अलाटी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अपने मकानों का निर्माण किये जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की निधियों को बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार किया है ताकि उक्त पुनर्वास कालोनी में मकानों के निर्माण कार्य को उचित समय के अन्दर पूरा किया जा सके ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी): (क) और (ख) चित्तरंजन पार्क की योजना में आवासीय प्लाटों का एलाटमेंट भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आए उन व्यक्तियों के लिए दृष्टि में रखा गया था जो लाभकारी रोजगार पर लगे हुए थे और दिल्ली में बसे हुए थे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने ई०पी०डी०पी० सहकारी आवास समिति,, लिमिटेड के सदस्यों के लिए 271 मकानों के निर्माण के लिए सहमति दे दी थी। इनमें से 58 मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जून, 1973 के दौरान अन्य 140 मकानों के सौंप दिए जाने की संभावना है। इस प्रयोजन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को 1.00 करोड़ रुपये का ऋण दिया है। 1.00 करोड़ रुपये ऋण का प्रयोग हो जाने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण जीवन बीमा निगम से आगे ऋण लेने के प्रश्न पर विचार करेगा।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : नई दिल्ली स्थित चित्तरंजन पार्क में व्यक्तियों को कितने प्लाट अलाट किये गये हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितने क्वार्टर बनाये हैं तथा स्वयं व्यक्तियों ने कितने क्वार्टर बनाए हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस क्षेत्र में प्लाटों की कुल संख्या लगभग 2079 है जिनमें से 1813 प्लाट अलाट किये गये ।

[उपाध्यक्ष महोदय पिठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

शेष 266 प्लाटों का विकास किया जा रहा है। इस 266 प्लाटों में से 55 प्लाटों को बहुमंजिला इमारतें (आवास ग्रुप) के लिये आरक्षित रखा गया है। 233 वर्ग गज के क्षेत्रफल वाले 55 प्लाट आवेदकों को अलाट किये जाने के लिये उपलब्ध हैं तथा शेष 156 प्लाटों में से 76 प्लाटों पर व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है जिनपर मुकदमा चल रहा है। जैसा कि मैंने मूल उत्तर में बताया है, इनमें से दिल्ली विकास प्राधिकरण 271 मकान बनाने के लिये सहमत था तथा 58 मकान तैयार हो चुके हैं तथा अन्य 140 मकान जून 1973 तक बनाकर दिये जाने की सम्भावना है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : व्यक्तियों ने कितने मकान बनाए हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कितने मकान बनाए हैं? मैंने यह पूछा था।

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस समय मेरे पास सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु मैं जानकारी हासिल करके बता दूंगा ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या यह सच है कि धन के अभाव के कारण बहुत से मकान नहीं बनाए जा सके हैं, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : ये प्लाट ऐसे व्यक्तियों को आवंटित किये गए हैं जिन्हें समुचित रोजगार मिला हुआ है तथा वे ऋण देने वाले प्राधिकरणों से ऋण ले सकते हैं। अतः इस पहलू पर असोशिएशन तथा उन सहकारी समितियों द्वारा विचार किया जा रहा है जिनकी स्थापना इनके सदस्यों ने की है।

Shri Chandrika Prasad : Is the hon. Minister aware of the fact that the officers have not allotted the houses constructed so far ? Has he received complaints in this regard ? Does he know that unauthorised persons have occupied these houses with wide spread insanitary condition ? Electricity has not been provided. May I know the time by which these difficulties would be removed ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : अलाट किये गये इन प्लाटों में से कुछ प्लाट निर्माण की विभिन्न स्थितियों में हैं तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण, जीवन बीमा निगम से ऋण लेकर 271 मकानों को पूरा कर रहा है अनधिकार कब्जे के बारे में मैं आंकड़े दे चुका हूं। उस सम्बन्ध में कानूनी कार्यवाही की जा रही है। बिजली और सफाई के बारे में सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं। दो दिन पूर्व मैंने इस स्थान का दौरा किया है। आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

Shri Shashi Bhushan : More than one lakh cases of unauthorised occupation in Delhi are pending in the courts for the last 15 years. May I know what the Government propose to do to ensure early decision on these cases by the courts ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार, केवल 76 प्लाटों पर अनधिकृत कब्जा किया गया है। एक लाख मामलों का मुझे पता नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने कार्यवाही की है।

श्री समर गुह : अलाटियों को 51 मकानों के दिये जाने के अवसर पर हुए समारोहों में मंत्री महोदय ने अध्यक्षता की थी। वह मुख्य अतिथि थे। मंत्री महोदय ने आश्वासन दिलाया था कि दिल्ली में बनने वाली इस कालोनी में सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही करेगी ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं माननीय सदस्य को एक यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि उस अवसर पर वह भी मुख्य वक्ताओं में से थे । दिल्ली विकास प्राधिकरण इस बात पर भी विचार कर रहा है कि पूर्व ऋण का उपयोग करने के बाद जीवन बीमा निगम से और ऋण भी लिया जाए । इस मामले में हम जो भी सहायता कर सकते हैं, अवश्य करेंगे । हम उनकी यथासामर्थ्य सहायता करेंगे ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I would like to put a simple question as to when electricity would be provided to this colony. Houses have been constructed but there is no light. He celebrated a function with pomp and show. Power is surplus in Delhi, then what is the difficulty in providing power to this colony?

श्री रघुनाथ रेड्डी : बाजा-गाजा कुछ नहीं था । वह एक सामान्यसा समारोह था । मैं तुरंत यह आश्वासन नहीं दे सकता कि हर स्थान पर बिजली दे दी जाएगी । यह मेरे हाथ में नहीं हैं ।

श्री बी० के० दासचौधरी : चित्तरंजन पार्क में प्लाटों के आवंटकों को विकसित प्लाट नहीं दिये गये । वरन उनको ऊबड़-खाबड़ जमीन दी गई है जब कि पुनर्वास मंत्रालय के नियमानुसार उन्हें विकसित भूमि दी जानी चाहिये थी । क्या इन अलाटियों को भूमि को समतल करने तथा उसका उचित विकास करने के लिये मुआवज़ा दिया जाएगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं तथा माननीय सदस्य इन प्लाटों को देखने गये थे तथा वह इस बारे में जानते हैं । मैंने विभाग से कहा है कि वह इन बेचारे लोगों की सहायता करे जिन्हें लाटरी से यह प्लाट मिले है ।

भारत का रक्षा व्यय

*1053. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा पर भारत अपनी राष्ट्रीय आय का केवल 3.7 प्रतिशत खर्च करता है जब कि विश्वभर की औसत 6 प्रतिशत है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह खर्च देश की रक्षार्थ पर्याप्त समझा जाता है; और

(ग) क्या अधिक प्रतिशत व्यय की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है और क्या रक्षा और विकास पर समेकित रूप से ध्यान दिया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रक्षा के लिए भारत द्वारा खर्च की सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रतिशत 1963-64 में 4.5 प्रतिशत से 1972-73 में 3.7 प्रतिशत के क्रम में रही है; विश्वभर की औसत के सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं; तथापि रक्षा अध्ययन तथा विश्लेषण संस्थान द्वारा किए गए एक अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि 1971 में विश्वभर की औसत 6 प्रतिशत थी ।

(ख) रक्षा खर्च की मात्रा हमारी सुरक्षा के संबंध में नवीनतम मूल्यांकन के संदर्भ में समय-समय पर निश्चित की जाती है ।

(ग) प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं में है । क्योंकि रक्षा तथा विकास दोनों ही राष्ट्रीय कल्याण के लिए अत्यावश्यक हैं अत: दोनों ही क्षेत्रों में खर्च कार्यक्रमों पर एक व्यापक तथा समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जाता है ।

श्री नारायणचन्द पाराशर : क्या प्रधान मंत्री द्वारा सेना को तैयार रहने का आव्हान दिये जाने तथा हमारे देश के पड़ौसी देशों के अनिश्चित रवैये को ध्यान में रखते हुए, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि इस वर्ष रक्षा व्यय को 4.5 प्रतिशत से घटाकर 3.7 प्रतिशत किया गया है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : व्यय में कमी सकल राष्ट्रीय उत्पादन के हिसाब से है। चूंकि हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में तेजी से वृद्धि हो रही है अतः रक्षा व्यय में उसी के हिसाब से कमी हुई है।

श्री नारायण चन्द पाराशर : क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि पाकिस्तान और चीन के रक्षा व्यय की उनके सकल राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में प्रतिशतता कितनी है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : 1972 में पाकिस्तान और चीन के रक्षा व्यय के आंकड़े उनके सकल राष्ट्रीय उत्पादन की तुलना में क्रमशः 7 प्रतिशत और 8 प्रतिशत हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए कल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने यह बताया था कि अनुसंधान और विकास कार्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन की .54 प्रतिशत राशि खर्च की जाती है तथा यह राशि रक्षा अनुसंधान व्यय में सम्मिलित है। क्या 3.7 प्रतिशत राशि में, जिसका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, रक्षा अनुसंधान पर होने वाला व्यय भी सम्मिलित है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सम्भवतः सम्मिलित है।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : कुछ दिन पूर्व विदेश मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि पाकिस्तान को अधिकतर सैनिक साज-सामान मुफ्त मिलता है। इस स्थिति में हम अपने रक्षा व्यय की पाकिस्तान के रक्षा व्यय के साथ कैसे तुलना कर सकते हैं ? इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार रक्षा व्यय में सकल राष्ट्रीय आय की तुलना में अधिक राशि सम्मिलित किये जाने पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है वह बिल्कुल सच है। वास्तव में पाकिस्तान को बहुत सा गोला बारूद मुफ्त मिल जाता है अतः सकल राष्ट्रीय आय की तुलना में खर्च की दिखाई गई प्रतिशतता भ्रामक हो सकती है।। अपने सुरक्षा सम्बन्धी उपाय करते समय हम इन सभी मामलों का हिसाब रखते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारी रक्षा आवश्यकताओं में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, किन्तु कुल परिव्यय की राशि वही 1600 करोड़ रुपये रही है जो गत वर्ष थी। इस राशि से हम अपनी रक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है। अतः हमारी सशस्त्र सेनाओं की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है। यह सच है कि कुछ समय से खर्च के आंकड़े वहीं रहे हैं जो इस समय हैं किन्तु इससे हमारी सुरक्षा पर किसी खतरे का संकेत नहीं होता, क्योंकि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये जो व्यवस्था की गई है उससे हम अपनी सुरक्षा के लिये उत्पन्न किसी भी खतरे का मुकाबला करने को तैयार हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुल राष्ट्रीय आय की तुलना में रक्षा व्यय की प्रतिशतता में प्रत्येक वर्ष में अन्तर रहा है। क्या रक्षा व्यय का स्वरूप आधुनिक युद्ध प्रणाली की आवश्यकताओं तथा सुरक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप है जिससे भारत और भारत की सीमाओं को किसी भी सम्भावित खतरे से बचाया जा सके ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी, हां।

श्री भागवत झा आजाद : मंत्री महोदय ने कहा है कि सुरक्षा सम्बन्धी सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। क्या इसका आशय यह है कि 3.7 प्रतिशत राशि में उन उपायों के लिये भी व्यवस्था की गई है जिनसे सीमापार चीन से उनके कथित परिमाणु अस्त्रों तथा आन्तर्द्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों के विकास के बारे में हो रही तयारीयों का मुकाबला किया जा सके, यदि नहीं, तो सरकार इस बजट से इसका कैसे मुकाबला करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जैसा कि मैंने निवेदन किया है, हमने सम्भावित खतरों का अनुमान लगाया है तथा इस बारे में हमने भावी योजना बनाई है तथा उन सभी बातों सहित जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, हमने इन सभी मामलों को ध्यान में रखकर निर्णय किया है।

Shri Narsingh Narain Pandey : Does the Hon. Minister know that since the last war, Pakistan and China have almost doubled the percentage of expenditure on defence. In view of the present conditions on our border and in view of the statement made by the Defence Minister that we are prepared to fight against both the countries, may I know whether the present preparedness is sufficient?

Shri Vidya Charan Shukla : It has not been stated by the Defence Minister that we are prepared to fight against both the countries. He has said that we are prepared to defend our country from both.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Can you defend without having war?

Shri Vidya Charan Shukla : We have prepared ourselves with a view to defend our country against both of them.

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : हिन्द महासागर में उत्पन्न परिस्थितियों तथा गत युद्ध में बंगाल की खाड़ी में सातवें बेड़े के अतिक्रमण की घटना को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का यह विचार है कि हमारी नौसेना के विकास कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी जाए क्योंकि गत तीन वर्षों में चीन का रक्षा पर व्यय बढ़ता ही जा रहा है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अपने बजट को देखते हुये तथा हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये, हमने माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखा है तथा हम बजटीय व्यवस्था के अन्तर्गत हीं अपनी नौसेना को आधुनिक बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि जहां तक परम्परागत हथियारों का सवाल है हम आत्मनिर्भर हो गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होने वाला है। अत: माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत छोटा होना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या हम परम्परागत हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे है जबकि पाकिस्तान अब भी इस मामले में पराश्रित है ? क्या यह सच है कि पाकिस्तान को अन्य देशों से बड़ी माला में हथियार प्राप्त हो रहे हैं किन्तु परिणाम यह हुआ कि उसे अपना आधा भू-भाग छोड़ना पड़ा ? क्या यह सच है कि हमने यह कहा है कि परम्परागत हथियारों के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गये हैं ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : जी, हां।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

डिफेन्स इलैट्रोनिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद द्वारा विकसित "सेकेन्डरी सर्वेलैन्स राडार"

*1045. **श्री सी० टी० दण्डपाणि :**

श्री राजदेव सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिफेन्स इलैक्ट्रानिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद ने एक स्वदेशी राडार का विकास किया है जिसे/सेकेन्डरी सर्वेलेंस राडार' कहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) सेकिन्डरी सर्वेलेंस रडार में ग्राउंड रडार स्टेशन होता है जो प्रेषग्राही से सज्जित वायुयान से परिप्रश्न करता है। ग्राउंड स्टेशन से परिप्रश्न प्लस के परिणामस्वरूप प्रेषग्राही वायुयान से कूट प्लस उत्तर मिलता है। जिससे मित्र या शत्रु वायुयान की पहचान में सहायता मिलती है।

कारखानों के बंद होने, कच्चे माल की कमी और वित्तीय संकट के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक

*1047. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 और वर्ष 1972-73 की अवधि के दौरान कारखानों के बन्द होने और कच्चे माल की कमी होने अथवा वित्तीय संकट के कारण अनेक श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं; और

(ख) इस बारे में सरकार ने कौन से प्रयास किये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) ऐसी कामबंदियां हुई हैं जिनके परिणाम स्वरूप श्रमिकों की बेरोजगारी में हुई। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कामबंदियों के कुछ मामलों में ध्यान में आए कारण वित्तीय कठिनाई और कच्चे माल की कमी थे। सरकार ने सभी उचित मामलों में कारखानों को कच्चे माल और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में व्यवहार्य सीमा तक मदद देकर कारखानों के लगातार चालन को सुगम बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किए।

पीरू से तांबे का आयात

*1048. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पीरू से तांबा आयात करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां। खनिज और धातु व्यापार निगम ने जून, 1972-मई, 1975 के दौरान 54,000 टन ताम्र की आपूर्ति के लिए पीरू के साथ संविदा को अंतिम रूप दिया है। जून, 1972 से 1,500 टन प्रतिमाह की दर से आपूर्ति की जानी है।

(ख) पीरू जोकि ताम्र उत्पादन में विश्व के प्रमुख देशों में से है, के साथ की गई संविदा से प्रतियोगात्मक कीमत पर निर्धारित आपूर्ति करनी संभव हो सकेगी।

भारी इंजीनियरिंग निगम में संयुक्त रुप से बातचीत करने की व्यवस्था

*1049. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम में संयुक्त रूप से बातचीत करने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है ;

(ख) यदि हां, तो इस व्यवस्था के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके क्या अधिकार हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसी संयुक्त सलाहकार व्यवस्था की जायेगी ?

श्री टी० ए० पाई (भारी उद्योग मंत्री) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के हरिद्वार कारखाने की आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बद्ध यूनियनों द्वारा अलग-अलग की गई मांग पर एक द्विपक्षीय वार्ता समिति बनाई गई है जिसमें प्रबन्धकों और अखिल भारतीय स्तर की 2 यूनियनों जिनका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा हैवी इलेक्ट्रिकल्स इंडिया लिमिटेड में काफी प्रतिनिधित्व है के बराबर-बराबर प्रतिनिधि हैं और जिसकी सहायता मान्यता प्राप्त स्थानीय यूनियनों के प्रतिनिधि करते हैं । इसका काम चले आ रहे अनिर्णीत मामलों में से अधिक महत्वपूर्ण मामलों जिनमें एक मामला हैवी इलेक्ट्रिकल्स के कामगारों के वेतन की वृद्धि का है, के बारे में समझौता करना है ।

बंगलादेश में मुकदमा चलाये जाने के लिए युद्ध बंदियों की सूची

*1051. **श्री आर० के० सिन्हा** :

श्री शिव कुमार शास्त्री :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सरकार ने उन पाकिस्तानी युद्ध बंदियों की सूची भेज दी है जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोपों पर बंगलादेश में मुकदमा चलाया जाना है ; और

(ख) इस सूची पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री श्री स्वर्ण सिंह : (क) और (ख) इस संबंध में बंगलादेश सरकार भारत सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं किन्तु अभी कोई अंतिम परिणाम नहीं निकला है ।

Recruitment in Defence Department

*1054. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the recruitment in the Defence Department is not made through free competition;

(b) whether only a few communities, which have been declared as martial races, are eligible for recruitment; and

(c) if so, whether Government propose to remove the difference between martial and non-matiral races?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The recruitment of officers is made by open competition. In the case of Other Ranks, recruitment in Air Force and Navy is done irrespective of caste or community whereas in the case of Army there is reservation for certain communities. The actual number recruited depends mainly on the needs of the services, the number of volunteers forth-coming from different regions and their suitability as adjudged at the time of selection.

(b) No, Sir. There is no distinction between martial and non-martial races for recruitment to the Armed Forces either as officers or as Other Ranks. However, due to historical reasons and on grounds of tradition certain class compositions have been allowed to continue in the Army where recruitment is reserved for members of certain castes only. In the Navy and Air Force, there being no class composition, there is no reservation for any caste.

(c) Does not arise.

खनन पट्टों मे संशोधन

*1055. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनन पट्टों में संशोधन के कुछ मामले खनन नियंत्रक के पास विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और वे किन खानों के बारे में हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) जी, हां ।

(ख) कई खनन पट्टों के संबंध में उपांतरण कार्रवाई को स्थगित रखना पड़ा था क्योंकि इन पट्टों को विशेष रूप से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया था। अधिनियम में, समर्थ बनाने वाले उपयुक्त संशोधनों को सितम्बर, 1972 में अधिनियमित किया गया था। नियमों में अनुवर्ती परिवर्तनों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नियमों को संशोधित किए जाने के पश्चात् ही उपांतरण कार्रवाई आरम्भ की जाएगी ।

उसमें सम्मिलित खानों की संख्या 381 है ।

औद्योगिक संबन्ध सम्बन्धी विधेयक

*1056. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय एक विस्तृत औद्योगिक सम्बन्ध सम्बन्धी कानून लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसको कब पुरःस्थापित किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी हाँ ।

(ख) विधेयक को यथाशीघ्र पेश करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं ।

पांचवी योजना मे जनजाति क्षेत्रों का विकास

*1057. **श्री गिरिधर गोमांगी :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं योजना के दौरान देश में जनजाति क्षेत्रों में विकास का स्तर बढ़ाने के लिए सामान्य क्षेत्र का विकास किस प्रकार अपनी भूमिका निभायेगा ;

(ख) क्या इस मामले में पांचवीं और छठी अनुसूची के जनजाति क्षेत्रों में अन्तर है ; और

(ग) यदि हां, तो इन क्षेत्रों का विकास करने के लिए अन्य कार्यक्रमों और योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) पांचवीं योजना के लिए बृहद् विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराने की नीति में सामान्य क्षेत्र की भूमिका में पिछड़े वर्गों के विकास पर अधिक जोर दिया गया है। सार्वजनिक उपयोग कार्यक्रम में, विशेषकर कम से कम आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पात्रता की शर्तें होगी जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और नौमदिक जनजाति को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सामान्य क्षेत्र के कार्यक्रमों में, जिनमें कृषि भूमि सुधार, ग्राम और लघु उद्योग, अर्ध कुशल व्यवसायों में रोजगार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और यातायात आते हैं, पिछड़ी जाति के विकास को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इन समुदायों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए शिक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक विधायी कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि व निश्चित समय में विकास के उपयुक्त स्तर तक पहुंच सकें।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पांचवीं योजना में, आदिवासी विकास के लिए एक नई नीति का लक्ष्य है जिसके अन्तर्गत उन आदिवासी क्षेत्रों के लिए, जिनमें 50% से अधिक आदिवासी रहते हों, समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम तैयार करने का प्रस्ताव है। औद्योगिक तथा अन्य परियोजनाओं और कृषकों के स्थानान्तरण से प्रभावित इक्के दुक्के आदिवासी समुदायों/क्षेत्रों, आदिवासियों के बारे में भी विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव है। इन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

भारत के साथ बेहतर सम्बन्धों के लिए युगांडा का प्रस्ताव

*1058. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अप्रैल, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'अमीन वान्टस बेटर टाईम विद इंडिया' शिर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यगांडा के राष्ट्रपति ने भारतीय उच्चायुक्त से 13 अप्रैल, को भेंट की थी और यह इच्छा व्यक्त की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) सरकार उचित आर्थिक एवं राजनीतिक आधार पर सभी देशों के साथ परस्पर लाभकारी सम्बन्धों को सुदृढ करने के लिए सदैव इच्छुक रही है। उगाण्डा में लम्बी अवधि से रहने वाले भारतीय नागरिकों सहित एशियाई मूल के अन्य लोगों को बहुत बड़ी संख्या में निष्कासित करने से स्वभावत: बहुत गम्भीर आशंका एवं समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं; यथा छोड़ी गई परिसम्पत्तियों के सवाल, जिसके शीघ्र निपटान के लिए हम दबाव देते रहे हैं। सरकार की राय में ऐसे मामलों के निपटान से हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों में विश्वास तथा सद्भाव का आवश्यक वातावरण बन सकेगा।

नई दिल्ली स्थित ब्राजील के दूतावास द्वारा जारी किए गए पुर्तगाल के पारपत्र

*1059. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मंत्री पारपत्र नियंत्रण प्राधिकरण, सांताक्रुज, बम्बई द्वारा पारपत्र विनियमों के उल्लंघन की सूचना दिये जाने के बारे में 5 अप्रैल, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6177 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मार्च में बम्बई हवाई अड्डे से एयर इंडिया के एक विमान में छिप कर यात्रा करते हुए भारत से बाहर जाने का प्रयत्न करने वाले कुछ व्यक्तियों के पास नई दिल्ली स्थित ब्राजील के दूतावास द्वारा जारी किये गये पुर्तगाली पारपत्र थे ;

(ख) क्या उसके पास मिले पारपत्रों पर रवाना होने सम्बन्धी वैध पृष्ठांकन थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस पृष्ठांकन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) उनके पास जो पारपत्र थे उन पर रवानगी से संबद्ध पृष्ठांकन नहीं थे । वे हवाई अड्डे के उत्प्रवास-काउन्टर पर नहीं आए थे ।

अकोककर कोयला खानों द्वारा सुरक्षा तथा संरक्षण विधियों का उल्लंघन

*1060. **श्री रण बहादुर सिंह :**
श्री एम० के० एम० इसहाक :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अकोककर कोयला खानों के अधिकांश प्रबन्धकों को, जिन्हें कोयला बोर्ड के मध्यम से सरकार की ओर से राजसहायता और वित्तीय सहायता, प्राप्त हो रही है, सुरक्षा और संरक्षण विधियों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त कोयला खानों के नाम क्या हैं ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री एस० मोहन कुमारमंगलम्) : (क) से (ग) कोयला बोर्ड द्वारा कोयला खान प्रबंध को वित्तीय सहायता दी जाती है जिससे वह कोयला खान (संरक्षण, सुरक्षा और विकास) अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन अपेक्षित कोयले के संरक्षण और कोयला खानों में सुरक्षा के अनुरक्षण के प्रयोजनार्थ उपाय कर सके । उन कार्यों के, जिनके लिए सहायता स्वीकृत की गई है, सम्पूरित होने पर ही संदाय किया जाता है । अतः उन कोयला खान प्रबंध द्वारा, जिनको कोयला बोर्ड से सहायता मिल रही है, उक्त अधिनियम के सुरक्षा और संरक्षण से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

कोयला खान प्रबंध आद्वारा खान अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्धारित कतिपय सुरक्षात्मक उपायों का पर्यवेक्षण भी अपेक्षित है । खान सुरक्षा के महानिदेशालय द्वारा इस बात की सूचना दी गई है कि अधिनियम के अंतर्गत किसी खान के प्रत्येक निरीक्षण द्वारा अनेक उल्लंघनों का पता चलता है जिनको उनके द्वारा सुधारा जाना अपेक्षित है । तथापि गम्भीर उल्लंघनों के मामले में प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है ।

बिजली का उत्पादन करने वाले उपकरणों का आयात

9857. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए जो भारतीय निर्याताओं द्वारा उपकरणों की सप्लाई में देरी करने के कारण रुकी पड़ी है, बिजली का उत्पादन करने वाले उपकरणों का आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं की संख्या एवं उनके नाम क्या हैं ; भारत द्वारा जो उपकरण आयात किए जाने है उनका ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : (क) तथा (ख) ऐसा समझा जाता है कि माननीय सदस्य का आशय उन विशिष्ट मामलों से है, जिनमें पहले विद्युत जनित्रण उपकरणों का आयात करने की अनुमति दी गई है। विद्युत जनित्रण उपकरणों के आयात पर लगाये गए सामान्य, प्रतिबन्ध को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार के उपकरणों का आयात करने की आम तौर पर अनुमति नहीं दी जाती है। किन्तु कुछ एसे मामले भी हुए है, जिनमें इस प्रकार के उपकरणों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय इस आधार पर किया गया है कि या तो सामान देने का समय कम है, जिससे देशी निर्माताओं के पास पर्याप्त समय नहीं रह गया या डिजाइन गैर-मानक किस्म का था। जिन तीन मामलों में हाल ही में इस प्रकार के उपकरणों का आयात करने की अनुमति दी गई है, वे निम्नलिखित हैं :—

(1) पोलैन्ड से कोराडी थर्मल पावर स्टेशन के लिए 120 मेगावाट के दो टर्बोसेट।

(2) रुस से ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए 200 मे० वा० के दो टर्बोसेट।

(3) मैसूर राज्य में लिंगानामा की डैम पावर हाउस के लिए 275 मे० वा० के दो विद्युत जनित्रण उपकरण।

Increase in prices of Ambassador and Fiat Cars

9858. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Heavy Industry** be pleased to state :

(a) whether prices of Ambassador and Fiat cars have again increased;

(b) the extent to which their prices have been increased; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to check the increase in the prices thereoff ?

The Minister of Heavy Industry (Shri T. A. Pai) : (a) and (b) With effect from 1-1-1973, the ex-factory retail price of Ambassador car was increased by Rs. 272/- and that of the Fiat (Premier President) car by Rs. 339/-. Thereafter there has been no increase.

(c) Final price of cars depends on a variety of factors including prices of materials, level of wages, prices of components and rate of Governmental levies at various stages. In addition to taking various steps to rationalize price levels of various inputs, Government has been trying to encourage higher production to reduce costs as a result of scale economies.

बिजली के बल्व बनाने के लिए संयंत्र की स्थापना करने हेतु एच० एम० टी० और हंगरी की एक कंपनी में करार

8859. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली के बल्व और अन्य उपकरणों के उत्पादन के लिए एक संयंत्र लगाने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और हंगरी की एक कम्पनी 'टंगस्टन' के बीच करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कहां लगाया जायेगा और इसके कार्य-एककों में कितने भारतीय तकनीशियन और कितनी तकनीकी जानकारी का उपयोग किया जाएगा ?

भारी उद्योग मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिध्देश्वर प्रसाद) : (क) तथा (ख) इस प्रकार का कोई भी करार अभी तक स्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

युद्ध में शहीद हुए सैनिक कर्मचारियों के आश्रितों से जिला गुरदासपुर (पंजाब) में पैट्रोल पम्प खोलने के लिए लाइसेंस देने हेतु अभ्यावेदन

9860. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री जिला गुरूदासपुर (पंजाब) में पेट्रोल पम्प खोलने के लिए लाइसेंस देने संबंधी अभ्यावेदनों के बारे में 7 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3394 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पाक युद्ध में शहीद हुए गुरूदासपुर जिले के सैनिकों के आश्रितों से प्राप्त आवेदनों पर सरकार द्वारा क्या अन्तिम कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या उक्त जिले के ऐसे सैनिक अधिकारियों के आश्रितों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जो युद्ध में शहीद हो गए थे और जिन्हें मरणोपरांत 'वीर चक्र' प्रदान किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) इण्डियन आयल कारपोरेशन से अनुरोध किया गया है कि वह अन्य राज्यों के साथ साथ पंजाब में और अधिक इण्डियन आयल कारपोरेशन की एजेन्सियों उपलब्ध कराय ताकि लाइसेंसों में उनके पुनर्व्यवस्थापन के लिए पात्र आवेंदकों के अनुरोधों को पूरा किया जा सके ।

(ख) और (ग) 1965 के भारत-पाक युद्ध में मारे गय एक अफसर जिसे मरणोपरांत 'वीर चक्र' से विभूषित किया गया, के पिता ने नौशेरा मज्जा, जिला गुरुदासपुर में पैट्रोल पम्प के लाइसेंस के लिए अनुरोध किया था । क्योंकि उपर्युक्त स्थान पर पैट्रोल पम्प के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा पेशकश किया गया स्थल नहीं था अत: उसे जालन्धर/फिरोजपुर जिलों में पट्रोल पम्प के लिए पेशकश की गई परन्तु उसने उसे अस्वीकार कर दिया । उस व्यक्ति को और आग सूचित किया गया कि यदि नौशेरा मज्जा में पैट्रोल पम्प के लिए उसके पास कोई उपयुक्त भूमि है तो वह भूमि के खाके के साथ नया आवेदन भेजे ताकि उस स्थान पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए उनके मामले पर इण्डियन आयल कारपोरेशन के प्राधिकारियों के साथ बात-चीत की जा सके । सरकार द्वारा अभी तक उनसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । अफसर का पिता 1-2-1972 से आश्रितों के लिए उदार दरों पर पेंशन पाने का पात्र है ।

अमरीका में भारतीय दूतावास के भवन के वार्षिक किराये और रख-रखाव पर व्यय

9861. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अमरीका में भारत के राजदूत के रियाहशी मकान और दूतावास के भवन का वार्षिक किराया कितना है ; और

(ख) उक्त भवनों के रख-रखाव पर 1970-71 और 1971-72 के वित्तीय वर्षों में कितना व्यय हुआ ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह): (क) राजदूत का निवास तथा राजदूतावास के भवन भारत सरकार के हैं । इसीलिए इन दोनों भवनों के लिए कोई किराया नहीं दिया जाता ।

(ख) 1970–71 तथा 1971–72 के वित्तीय वर्ष के दौरान इन भवनों के रख-रखाव पर खर्च का विवरण इस प्रकार है :—

	1970–71	1971–72
	रु०	रु०
(i) राजदूत का निवास . . .	54,092.21	66,661.00
(ii) राजदूतावास भवन . . .	1,72,144.05	49,707.63

रूस में भारतीय दूतावास के भवन के वार्षिक किराये और रख-रखाव पर व्यय

9862. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रूस में भारत के राजदूत के रिहायशी मकान और दूतावास के भवन का वार्षिक किराया कितना है ; और

(ख) उक्त भवनों के रख-रखाव पर 1970-71 और 1971-72 के वित्तीय वर्षों में कितना व्यय हुआ ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) राजदूत तथा कुछ अन्य अधिकारियों के निवास मास्को में चान्सरी भवन के अहाते में हैं । इन भवनों के लिए अलग-अलग किराया नहीं दिया जाता और अहाते में स्थित इन सभी भवनों के लिए कुल समेकित राशि 4,72,607.55 रुपय वार्षिक दी जाती है ।

(ख) भवनों के रख-रखाव पर किया गया खर्च निम्नलिखित था :

1970–71.	रु० 85,515.31
1971–72.	रु० 60,728.04

Qualifications Prescribed for Examiner Selection Grade and Examiner Grade I and II

9863. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the qualifications prescribed for Examiner Selection Grade and Examiner Grade I and II;

(b) the number of those incumbents of the aforesaid posts in I.G.S. Central India whose qualifications fall short of the prescribed qualifications;

(c) whether the promotion of these employees who do not possess the prescribed Qualifications is not indicative of the irregularities committed in the Trade Test; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) All vacancies in the post of Examiner Selection Grade are to be filled by promotion of Examiner Grade I on the basis of merit. Hence no minimum qualifications have been prescribed for this post.

Vacancies in the posts of Examiner Grade I and Grade II are to be filled, to the extent possible, by promotion of existing employees, in the respective lower Grades subject to their

passing of prescribed trade tests. No minimum qualifications have been prescribed for promotion to these grades.

Direct recruitment to these posts are resorted to only if sufficient number of Departmental Candidates are not available for promotion. In the case of direct recruitment the minimum qualifications prescribed are as follows :

Examiner Grade II	Matric/ITI.
Examiner Grade I	Certificate plus, 2 Years Shop experience which will not be necessary in case of person who has undergone ITI training for not less than 2 Years.

(b) Nil; The minimum qualifications prescribed relate only to direct recruits and no direct recruitment to this post has so far been resorted to at IGS Central India;

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को तीसरे फेडरेशन के रूप में मान्यता देना

9864. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को इसकी जांच के पश्चात भी तीसरे फेडरेशन के रूप में मान्यता नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों ; और

(ग) क्या उक्त संघ को इसकी सूचना दे दी गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क) से (ग) जी नहीं श्रीमन् । भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ को अभी मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि इसमें रक्षा मज़दूरों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना नहीं समझा गया है । संघ के अध्यक्ष एवं महा सचिव को तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।

खान मालिकों को मुआवजा

9865. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोककर कोयला खान मालिकों के नाम क्या हैं जिनकी प्रदत्त पूंजी 75 लाख रुपये से अधिक है ;

(ख) इनमें से प्रत्येक को कितना मुआवजा दिया गया ;

(ग) इन में से प्रत्येक की सरकारी खाते में या उनकी एजन्सी के खाते में कितनी रकम देनी दर्ज है ; और

(घ) इनमें से प्रत्येक मामले में देनदारी की राशि क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा): (क) ओरियन्टल, बराकर, ईस्ट इंडिया, लोडना, तथा बंगाल कोल कंपनियाँ कोककर कोयला खानों के ऐसे मालिक हैं, जिनकी प्रदत्त पूंजी 75 लाख रुपये से अधिक है ।

(ख) उनमें से प्रत्येक को दी जाने वाली राशि कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 की अनुसूची II में दी गई है ।

(ग) और (घ) एक विवरण, जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है, संलग्न है ।

विवरण

मालिकों के नाम	मालिकों के 17-10-71 से 30-4-72 तक के लेखों के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि० को देय राशि	मालिकों के 17-10-71 से 30-4-1972 तक के लेखों के अनुसार भारत कोकींग कोल से ली जाने वाली राशि	अधिग्रहण से पूर्व सरकार को देय रकम			
			रायल्टी	भविष्य निधि	बिक्री कर	कुल
1	2	3	4	5	6	7
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
ओरिएंटल कोल कं० लि०	17,62,328	15,48,642	35,12,587	10,34,456	..	45,47,043
बाराकर कोल कं० लि०	1,29,573	13,10,549	12,86,842	1,77,212		14,64,054
बंगाल कोल कं० लि०	4,44,280	4,80,287	1,67,000	61,500	..	2,28,500
ईस्ट इंडिया कोल कं० लि०	54,44,280	1,86,174	48,38,775	72,76,589	2,95,342	1,24,10,786
लोडना कोलरी कं० लि०		2,692	24,57,161	45,05,071		69,62,232

उड़ीसा में कोरापुट और गंजम एजेंसी में बसाए गए विस्थापित व्यक्ति

9866. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले और गंजम एजेंसी में कितने शरणार्थियों और विस्थापितों को बसाया गया है ;

(ख) उन्हें क्या सुविधाएं दी गई हैं ;

(ग) क्या उन्हें वहां स्थायी रूप से बसाया गया है या यह व्यवस्था अस्थायी है ; और

(घ) अब तक उन पर कितना खर्च हुआ है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित बस्तियां

9867. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चारों पंचवर्षीय योजनाओं में उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में कितनी बस्तियां स्थापित की गई ;

(ख) इनमें से कितनी बस्तियां अच्छी अवस्था में हैं ;

(ग) क्या कुछ बस्तियों में पानी की तथा अन्य न्यूनतम सुविधाएं नहीं हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

कोयला खान श्रमिकों को परिवर्तनशील महंगाई भत्ता और उपदान

9868. **श्री सोम चन्द सोलंकी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1972 से खनिज कोयले, बी० एच० हाई कोक और बी० पी० हाई कोक के प्रति मैट्रिक टन मूल्य में प्रतिमास कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) कोयला खान मजदूरों को दिए जाने वाले परिवर्तनशील महंगाई भत्ते और उपदान के कारण प्रति टन कुल कीमत में उसका औसत भाग कितना है और दिसम्बर, 1972 तक इससे कुल कितनी राशि एकत्र हुई ;

(ग) क्या कोई मान्यता प्राप्त उपदान ट्रस्ट स्थापित किया गया है यदि हां, तो कब ; और उसको कितनी राशि नियत की गई है अथवा दी गई है और कितनी राशि वितरित की गई है ; और

(घ) कितनी श्रमिकों को उपदान का भुगतान वास्तव में किया गया है, उसकी कुल राशि कितनी है और कितनी राशि का भुगतान किया जाना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) 30 अप्रैल, 1973 से कोयले की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) प्रति व्यक्ति-पारी औसतन उत्पादन तथा दिसम्बर, 1972 में कोयले की प्रभावी कीमतों के आधार पर मोटे रूप से परिगणना के अनुसार 35.80 रुपए प्रति टन की कुल लगभग कीमत में परिवर्ती महंगाई भत्ते का संघटक लगभग 3.55 रुपए था । उपदान का संघटक 0.60 रुपए प्रति टन था।

(ग) कोई उपदान ट्रस्ट स्थापित नहीं किया गया है क्योंकि उपदान संदाय अधिनियम, 1972 में इस प्रकार के ट्रस्ट की आवश्यक रूप से स्थापना अपेक्षित नहीं है। अतः प्रश्न के पिछले भाग का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) उपदान का संदाय सेवान्त लाभ के रूप में नियोजक द्वारा कर्मचारी को सीधे किया जाता है। किए गए संदायो इत्यादि के संबंध में विस्तृत ब्यौरे सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

न्यू सतग्राम और न्यू मजरी कोयला खानों के नाम कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशियां

9869. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू सतग्राम और न्यू मजरी कोयला खानों के मालिकों के नाम श्रमिकों को देय भविष्य निधि बोनस अथवा अन्य राशियां बकाया थीं ; यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1965, 1967 और 1970 को कितनी राशि बकाया थी ;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक वर्ष में भुगतान न की गई राशि का ब्यौरा क्या है और श्रमिकों को देय राशि कितनी थी ;

(ग) क्या भूतपूर्व स्वामियों और उनके प्रतिनिधियों के संयुक्त खाते में स्टेट बैंक में कोई राशि जमा है ; और

(घ) यदि हां, तो 30 जनवरी, 1973 को आसनसोल पश्चिम बंगाल और वॅन बरोरा, महाराष्ट्र में बैंक में उनके नाम की कितनी राशि जमा थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

ट्रैक्टरों तथा कृषि मशीनरी का निर्माण करने वाले सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के एकक

9870. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कितने एकक ट्रैक्टरों और कृषि मशीनरी का निर्माण कर रहे हैं ; और

(ख) क्या छोटे ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में कृषि ट्रैक्टरों शक्ति चालित हलों और कम्बाइन हारवेस्टरों का निर्माण करने वाले एककों की संख्या नीचे दी जाती है :—

	एककों की संख्या	
	सरकारी क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र
(1) कृषि ट्रैक्टर	1	6
(2) शक्ति चालित हल	कोई नहीं	2
(3) कम्बाइन हारवेस्टर	कोई नहीं	1

(ख) 20-25 अश्व शक्ति के छोटे ट्रैक्टरों की पर्याप्त क्षमता के लिए पहले ही लाइसेंस दे दिया गया है। फिर भी, बिना विदेशी सहयोग और अधिक क्षमता के विषय पर गुणावगुण के आधार पर विचार हो सकेगा ।

कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में रोजगार देना

9871, **श्री भागीरथ भंवर** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उपकरणों, मशीनों और ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में बेरोजगार कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को रोजगार देने के लिए कोई योजना आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या ट्रैक्टरों का निर्माण करने वाले सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का यह निदेश देने का विचार है कि वे रोजगार देने के मामले में मेकेनिकल इंजीनियरिंग स्नातकों की अपेक्षा कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को तरजीह दें ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) चूंकि सरकारी क्षेत्र का एकमात्र एकक पर्याप्त देशी अन्तर्वस्तुओं का उपयोग करके निर्माण करने में इस क्षेत्र में प्रगति पर है, इसलिए इसमें कृषि इंजीनियरी स्नातकों को शामिल करने की योजना शुरू करने के विषय में उपयुक्त समय पर विचार किया जायेगा ।

लखनऊ और दिल्ली में कृषि इंजीनियरिंग स्नातक

9872. **श्री शिवकुमार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम जनवरी, 1973 को लखनऊ और दिल्ली के रोजगार कार्यालयों में कुल कितने कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों के नाम दर्ज थे ;

(ख) वर्ष 1972 में कुल कितने कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों को रोजगार दिया जा सका ; और

(ग) जनवरी से अप्रैल 1973 तक कुल कितने ऐसे स्नातकों को रोजगार दिया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग)

	1-1-1973 का चालू रजिस्टर में दर्ज कृषि इंजीनियरिंग स्नातकों की संख्या	रोजगार दिलाए गए स्नातकों की संख्या	
		1972 (जनवरी-दिसम्बर)	1973 (जनवरी-अप्रैल)
लखनऊ	38	..	
दिल्ली . . .	7	..	..

सेवामुक्त एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन देना

9873. **श्री अन्नासाहेब गोटखिण्ड** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968 के बाद सेवामुक्त एमर्जेन्सी कमीशनप्राप्त अधिकारियों को पेंशन दी गई है ;

(ख) क्या उन्हें वर्ष 1968 से पूर्व सेवामुक्त किए गए एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पेंशन दिए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) एमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अफसरों को तीन स्रोतों से लिया जाता है। जिन्हें केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारोंके अधीन स्थायी पदों से भर्ती किया जाता है और ऐसे असैनिक पदों पर पुर्नग्रहणाधिकार रखने की अनुमति होती है, वे एमर्जेन्सी कमीशंड अफसरों के रूप में अपनी सेवामुक्ति पर किसी पेंशन अथवा उपदान के पात्र नहीं हैं परन्तु असैनिक पेंशन के लिए अपनी एमर्जेन्सी कमीशंड सर्विस की गणना के पात्र हैं।

असैनिक जीवन से सीधे भर्ती किए गए एमर्जेन्सी कमीशंड अफसर सेवान्त उपदान के पात्र हैं परन्तु पेंशन के लिय नहीं (जिसकी मात्रा एमर्जेन्सी कमीशंड अफसर के रूप में की गई उनको सेवा के वर्षो पर निर्भर करती हैं)।

जिन्हें सेना में सेवा कर रहे ज्युनियर कमीशंड अफसरों अथवा अन्य रैंकों और वायु सेना अथवा नौसेना में उनके समकक्ष अफसरों से लिया गया है उन्हें उपदान प्राप्त करने अथवा पेंशन पाने का विकल्प है। प्राप्त हुए कुछ अभ्यावेदनों के परिणामस्वरूप, ऐसे मामलों में पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम सेवा 1-4-67 से 15 वर्ष से घटाकर केवल 12 वर्ष कर दी गई है।

बर्न एण्ड कम्पनी के कार्यकरण की जांच

9874. **श्री एम० राम गोपालरेड्डी** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्न एण्ड कम्पनी के कार्यकरण के जांच कार्य में और विलम्ब किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई): (क) तथा (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत मे० बर्न एण्ड कम्पनी के कार्यो की जाँच करने के लिए नियुक्त की गई जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है, यह सरकार के विचाराधीन है।

विश्वविद्यालयों में छात्रों के मार्गदर्शन हेतु सूचना एवं परामर्शदात्री ब्युरों

9875. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयो के नाम क्या हैं जिनमें छात्रो के मार्गदर्शन हेतु रोजगार और सूचना एवं परामर्शदात्री ब्यूरो है ; और

(ख) क्या अन्य विश्वविद्यालयों को भी ऐसे ही ब्यूरो खोलने के लिए राजी करने और उन्हें इसके लिए वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय से उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) इस समय देश के 52 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनकी सूची विवरण में दी गई है।

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना करना और इनके लिए वित्तीय व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों से शेष विश्वविद्यालयों में ऐसे केन्द्र खोलने के लिए अनुनय किया जा रहा है।

विवरण

उन विश्वविद्यालयों को सूची जहां विश्वविद्यालय रोजगार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र कार्य कर रहे है ।

1. आंध्र विश्वविद्यालय, वालटेयर ।
2. औसमानिवा विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।
3. श्री वेंकटेस्वर विश्वविद्यालय, तिरुपति ।
4. गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी ।
5. डिबरुगढ़ विश्वविद्यालय, डिबरुगढ़ ।
6. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर ।
7. पटना विश्वविद्यालय, पटना ।
8. रांची विश्वविद्यालय, रांची ।
9. भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर ।
10. पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़ ।
11. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली ।
12. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली ।
13. एम० एस० विश्वविद्यालय, बड़ौदा ।
14. गुजरात विश्वविद्यालय, अहमदाबाद ।
15. सरदार पटल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर ।
16. सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट ।
17. दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत ।
18. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र ।
19. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार ।
20. केरल विश्वविद्यालय, ट्रिवंडरम ।
21. कालिकट विश्वविद्यालय, कालिकट ।
22. कोचीन विश्वविद्यालय, कोचीन ।
23. जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर ।
24. विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन ।
25. सागर विश्वविद्यालय, सागर ।
26. मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद ।
27. बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई ।

28. नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर
29. पूना विश्वविद्यालय, पूना ।
30. शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर ।
31. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर ।
32. मैसुर विश्वविद्यालय, मैसूर ।
33. करनाटक विश्वविद्यालय, धारवार ।
34. उड़ीसा कृषि और टेक्नालोजी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर ।
35. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ।
36. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना ।
37. राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपूर ।
38. अन्नामाला विश्वविद्यालय, अन्नामालाएनगर ।
39. मद्रास विश्वविद्यालय, मद्रास ।
40. मदुराय विश्वविद्यालय, मदुराय ।
41. आगरा विश्वविद्यालय, आगरा ।
42. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलिगढ़ ।
43. इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
44. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर ।
45. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
46. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर ।
47. मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ ।
48. रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की ।
49. बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी ।
50. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता ।
51. जादवपुर विश्वविद्यालय, जादवपुर ।
52. बर्दवान विश्वविलद्याय, बर्दवान ।

मै० ग्रेशम एण्ड क्रेवन एण्ड कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड कलकत्ता

9876. **श्री समर गुह** : क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स ग्रेशम एण्ड क्रेवन एण्ड कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 22, कोबरा रोड, कलकत्ता–14 रेलवे के डिब्बे तथा अन्य सामान का निर्माण करती थी ;

(ख) क्या कम्पनी से सार्वधिक जमा योजना के द्वारा जनता से 5 लाख रुपया उधार लिया था और क्या इस ऋण की व्यवस्था वर्ष 1969–70 में फाइनेंस ब्रोकर मैसर्स ईस्टर्न फाइनेंसियर्स, 14 इंडिया कर: एक्सचेंज प्लेस कलकत्ता–1 ने की थी;

(ग) क्या सरकार ने पांच साल के लिए फर्म के प्रबंध को अपने हाथ में ले लिया है; और

(घ) यदि हां, तो जिन लोगों से धन इकट्ठा किया गया था उन्हें उसे लौटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) मे० ग्रेशम एण्ड क्रेवन आफ इंडिया (प्रायवेट) लिमिटेड विभिन्न रेलवे रोलिंग स्टाक कम्पोनेंट का निर्माण करती है न कि रेलवे रोलिंग स्टाक का।

(ख) वर्ष 1970 में कम्पनी के तत्कालीन प्रबंधकों ने अनेक व्यक्तियों से सावधि जमा के रूप में केवल 4,80,392 रु० की राशि उधार ली थी, जिसमें से 4,43,392 रु० की व्यवस्था मे० ईस्टर्न फाइनेंसियर्स, कलकत्ता ने की थी।

(ग) भारत सरकार ने 31 मार्च, 1971 को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 की धारा 18-ए० के अंतर्गत पांच साल की अवधि के लिए कम्पनी का प्रबंध अपने अधिकार में लिया था।

(घ) वित्तीय स्थिति और कम्पनी के कार्य को स्थिर करने की आवश्यकता पर विचार करते हुए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18एफ० बी० के अन्तर्गत 17 अगस्त 1972 से एक वर्ष की अवधि के लिए विद्यमान देयताओं पर कम्पनी को ऋण स्थगन स्वीकृत किया गया था। इसके अन्तर्गत सभी संविदाओं को पूरा करना सम्पत्ति प्रत्यायुतियों करारों, समझौता पंचायते लागू स्थायी आदेशों या अन्य लिखतो को जिसके लिए ग्रेशम एण्ड क्रेवन (प्रा०) लिमिटेड एक पार्टी है या 31 मार्च, 1971 से तत्काल पूर्व जो इस पर लागू हो, को अभिसूचक की वैद्यता की अवधि के रान निलम्बित किया गया है।

सितम्बर 1969 और नवम्बर 1971 के बीच खरीदी गई प्रत्येक कार पर अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए प्रीमियर आटोमोबाईल्स लिमिटेड का अनुरोध

9877. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा:** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड ने सरकार द्वारा सितम्बर, 1969 और नवम्बर, 1971 के बीच खरीदी गई प्रत्येक फियेट कार के लिए 300 रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) तथा (ख) मे० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड ने संभरण तथा निपटान के महानिदेशालय से अनुरोध किया है कि उन्होंने अक्तूबर और नवम्बर, 1970 के दौरान निदेशालय की संविदा दर पर जिन फियाट कारों का संभरण किया था, उनके संबंध में उन्हें 1353 रु० की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाये। यह मामला उक्त प्राधिकरण के विचाराधीन है।

फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों को कोयले का वितरण

9878. **श्री मधु दण्डवते :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) के लघु उद्योगों को उत्पादन के आधार पर कोयले का वितरण किया गया था;

(ख) क्या इस पद्धति का परित्याग कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कब से और पुरानी पद्धति को बदलने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

हैदराबाद में बिजली के बल्ब का कारखाना

9879. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में बिजली के बल्ब का एक कारखाना लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने के लगाने पर अनुमानित लागत कितनी आयेगी और इसकी क्षमता क्या होगी; और

(ग) क्या यह कारखाना विदेशी सहयोग से लगाया जायेगा, यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) मे० हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का लैम्प तथा लैम्प बनाने वाली मशीनों का निर्माण करने के लिए हंगरी के मे० डरसरैम के सहयोग से हैदराबाद स्थित अपने एकक के संलग्न के रूप में एक एकक स्थापित करने का प्रायोगिक प्रस्ताव है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्स से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्रम नीति को नया उद्देश्य देना

9880. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1973 के 'संडे स्टैण्डर्ड' के पृष्ठ 4 के कालम 4 और 5 में लेबर पालिसी टु बी गिवन न्यू आब्जेक्टिव्ह' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी क्षेत्रों में प्रत्यक को उसके श्रम अनुसार के सिद्धांत को लागू करने, हड़तालों और तालाबंदियों पर प्रतिबंध लगाने और निष्पक्ष न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से व्यापक औद्योगिक संबंध कानून के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं ।

पाकिस्तान द्वारा युद्ध-बन्दियों का मारा जाना स्वीकार न करना

9881. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अप्रैल, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'पाक डिनाइज पी० ओ० डब्लूज० किल्ड' से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान रेडिओ ने भी विदेश मंत्री के इस वक्तव्य को निराधार बताया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । लेकिन विदेश मंत्री की टिप्पणी सावधानीपूर्वक सत्यापित सूचना पर आधारित थी और पाकिस्तान का इससे इंकार करना गलत है ।

इंडियन एसोसिएशन फार एफ्रो-एशियन सोलिडेरिटी को दी गई सहायता

9882. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एसोसियेशन फार एफ्रो-एशियन सोलिडेरिटी के प्रेसिडेंट ने दिनांक 29 अगस्त, 1969 के पत्र में उन से अनुरोध किया था कि उक्त संस्था को अल-फतह (फलस्तीनी मुक्ति संगठन) की भारत-भर की यात्रा का प्रबंध करने के लिए उनके विमान किराये, होटल खर्च परिवहन-खर्च के लिए सहायता दी जाये और यदि हां तो इस संबंध में उक्त संस्था को कितनी राशि दी गई ;

(ख) क्या उक्त पत्र में उक्त प्रेजिडेंट ने अलफतह की भारत यात्रा के संबंध में यह भी लिखा था कि "मुझे विश्वास है कि पहले के अवसरों की भान्ति सरकार हमारी सहायता करेगी यदि सरकार उनकी भारत यात्रा के दौरान विमान-किराये, होटल और परिवहन खर्च के लिए सहायता देगी तो मैं आभारी रहूंगा" ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त "पहले अवसर" कौन से थे और उक्त संस्था को कितनी सहायता दी गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अंतराष्ट्रीय व्यवहार तथा इन विशिष्ट विदेशी अतिथियों के प्रति सौजन्य की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसे व्यय का ब्यौरा प्रकाशित न किया जाय ; और ऐसा करना भी जन-हित में नहीं है ।

उड़ीसा में पायी गई स्वर्ण वाली चट्टानें

9883. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में स्वर्ण वाली चट्टाने पाई गई हैं ; और

(ख) क्या इस संबंध में कोई और सर्वेक्षण किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी , हां ।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा उड़ीसा के विभिन्न भागों में स्वर्ण के लिए किए गए अन्वेषणों के परिणामस्वरूप, उड़ीसा के कोरापुट, संबलपुर, सुंदरगढ, धनकबाल क्योंझर और मयूरभंज जिलों से स्वर्ण वाली चट्टानों और नदी बालू की सूचना प्राप्त हुई थी लेकिन अभी तक स्वर्ण के कोई आर्थिक निक्षप नहीं पाये गये है । राज्य खान निदेशालय को भी अपने क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान, कोरापुट जिले के उमरकोट क्षेत्र में स्वर्ण वाली कुछ चट्टानों का पता चला था जो अभी भी अन्वषणाधीन हैं । प्रयोगशाला विश्लेषण प्रगति पर हैं और नमूनों का अध्ययन किया जा रहा है ।

5—14 LSS(ND)73

इस्पात के आयात की नीति

9884. **श्री मोहम्मद शरीफ :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात के आयात की कोई नई नीति घोषित की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रुपरेखा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) इस्पात और लोह्-मिश्र धातुओं के लिए वास्तविक उपयोक्ता आयात नीति जो 1973-74 के लिए आयात व्यापार नियन्त्रण नीति (प्रथम खण्ड) के परिशिष्ठ 41 और अनुसूचियों में समाविष्ट है की घोषणा 2 अप्रैल, 1973 को की गई थी । आयात व्यापार नियंत्रण नीति की प्रतियां भी उसी दिन सभा पटल पर रख दी गई थी ।

मोटे तौर पर पहले की भांति इस वर्ष भी इस्पात के लिए आयात नीति के अधीन केवल उन मदों के आयात की अनुमति है जो अपेक्षित क्वालिटी अथवा मात्रा में देश में उपलब्ध नहीं है । काफी मदों के लिए 1971-72 अथवा 1972-73 के वास्तविक उपभोग का एक निश्चित प्रतिशत सीधे आयात करने की अनुमति है । अपनी शेष आवश्यकताओं के लिए उप-भोक्ताओं को घरेलू उत्पादकों को पक्के आर्डर देने पडते हैं । परन्तु यदि घरेलु उत्पादकों द्वारा पूरा माल अथवा उसका कुछ भाग सप्लाई करने में असमर्थ होने के कारण अथवा किसी और कारणवश जिस की वजह से अतिरिक्त आयात का औचित्य सिद्ध होता है और अधिक मात्रा के आयात की मांग की गई हो तो वास्तविक उपभोक्ताओं को आयात आवेदन पत्र अन्य-कागज-पत्रों सहित अपने अपने प्रायजको के मार्फत भेजने होते है । इन कागज-पत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ ये शामिल हैं । निश्चित मात्रा के लिए घरेलु उत्पादकों को दिए गए पक्के आर्डरों का प्रमाण और घरेलु उत्पादकों द्वारा पूरा माल अथवा उसका कुछ भाग सप्लाई करने में व्यक्त की गई असमर्थता के पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियां ।

अधिकतर मदों के लिए धरेलु उत्पादकों से "अनुपलब्धि प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत करने की शर्त को समाप्त कर दिया गया है ।

विशाखापत्तनम के समीप बालाचेरुरी में सहायक पत्तन का निर्माण

9885. **श्री वाई ईश्वर रेड्डी :**
क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड ने विशाखापत्तनम के समीप बालाचेरुरी में वहां प्रस्तावित इस्पात संयंत्र की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने के उद्देश्य से एक सहायक पत्तन के निर्माण का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) मेसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए स्वतंत्र पत्तन सुविधाओं के बारे में एक तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा गया था । उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, जो मई, 1972 में प्राप्त हुई थी, कहा है कि बालचे-रुवु में एक स्वतन्त्र पत्तन बनाने का औचित्य उसी हालत में है जब कि प्रतिवर्ष 25 लाख टन अथवा इससे अधिक कोकिंग कोयले का आयात करना हो । चूंकि फिलहाल कोकिंग कोयले के आयात का विचार नहीं है इसलिए विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने के लिए एक सहायक पत्तन बनाने के प्रश्न पर आगे कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अधिकार आयोग द्वारा रंगभेद के व्यवहार को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध अपराध मानना

9886. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के मानवीय अधिकार आयोग ने रंगभेद के व्यवहार को अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध अपराध मानने की शिफारिश की है ;

(ख) क्या भारत ने इस का समर्थन किया है और यदि नहीं, तो क्यों, और

(ग) इस सिफारिश पर कितने देश सहमत हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां ।

26 फरवरी से 6 अप्रैल 1973 तक जनेवा में आयोजित मानवीय अधिकार आयोग के 29 वें अधिवेशन में जातीय पृथग्वासन से सम्बद्ध अपराध के उन्मूलन तथा सजा के लिए एक अभिसमय के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई थी । अभिसमय में सिफारिश की गई है कि इस अभिसमय के सभी पक्षधर राज्य घोषणा करते हैं कि जातीय पृथग्वासन मानवता के विरुद्ध एक अपराध है तथा जातीय पृथग्वासन की नीति एवं तथा इसी तरह के जातिभेद एवं वार्धक्य की नीति एवं प्रथा के कारण जो अमानवीय काम होते हैं, वे अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों तथा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं तथा अपराध है ।

(ख) जी हां । जिस प्रस्ताव में उपर्युक्त सिफारिशें की गई है, उसके प्रस्तावकों में भारत भी था ।

(ग) इक्कीस देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में तथा दो ने विपक्ष में मत दिए, जबकि पांच देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया ।

बर्मा से निष्कासित व्यक्तियों का पुनर्वास

9887. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा से आने वाले भारतीय विस्थापितों को बसाने में क्या प्रगति हुई है और

(ख) वैध भारतीय पहचान पत्र और पारपत्र धारी इन नागरिकों के जीवन की दशा और वर्तमान समस्यायें क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री : (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बर्मा से आए लगभग 1,96,661 व्यक्तियों (लगभग 65,554 परिवारों) में से 31-3-1973 तक व्यवसाय ऋण और कृषि भूमि के एलाटमेंट के रूप में लगभग 63,190 परिवारों (लगभग 1,89,570 व्यक्तियों) को पुनर्वास सहायता दी जा चुकी है । इनमें वे परिवार भी शामिल है जिन्हें आंशिक सहायता दी जा चुकी है तथा जिन्हें और सहायता दी जानी है । 14,701 परिवारों को गृह-निर्माण ऋण दे दिए गए है । 24,376 व्यक्तियों को शिक्षा के लिए वजीफे, वृद्धावस्था पेंशन, उचित दर की दुकानों का एलाटमेंट, लाइसेंस आदि तथा रोजगार की व्यवस्था जैसी अन्य सहायता दी जा चुकी है । बर्मा से आए प्रत्यावासियों को राहत तथा पुनर्वास के लिए राज्य सरकारों को ऋण के रूप में 1180.35 लाख रुपए तथा अनुदान के रूप में 277.73 लाख रुपये दिए जा चुके हैं ।

स्थायी दायित्व श्रेणी के लगभग 400 परिवारों को छोड़कर, लगभग 500 परिवार शिबिरों में रह रहे हैं। लगभग 280 परिवारों के पुनर्वास के लिए योजनाएं मंजूर की जा चुकी है। राज्य सरकारों से व्यवसाय तथा आवासीय ऋणों के लिए वर्तमान नमूना योजनाओं के अन्तर्गत शष परिवारों के यथाशीघ्र पुनर्वास की व्यवस्था करने को कहा जा रहा है।

आई० आई० टी० दिल्ली द्वारा बनाई गई अमोनिया से चलने वाली कार

9888. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1973 के स्टैटसमैन में अमोनिया ड्रिवन कार मेड बाई दिल्ली आई० आई० टी० शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) क्या सरकार का इसके विकास में सहायता देने का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, हां।

(ख) वस्तुतः विकास कार्य एक सरकारी संस्था में किया जा रहा है।

चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में बसे विस्थापितों के लिए रोजगार के अवसर

9889. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये लगभग 3000 विस्थापित परिवारों को आगामी कुछ वर्षों में चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में जाना है,

और इसमें से अधिकांश लोग निम्न वर्ग के हैं और उन पर अपने सेवा काल के अन्तिम चरण में सरकारी गृह निर्माण अन्तिम धन अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से अपने मकानों के निर्माण पर व्यय के लिए भारी ऋण का बोझ होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालोनी में बसे लोगों, जरूरतमन्द परिवारो अथवा उनके आश्रितों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु उक्त कालोनी में व्यवसाय एवं प्रशिक्षण केन्द्रों, कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना की वांछनीयता पर विचार करेगी ताकि विभाजन से प्रभावित इन लोगों की सहायता की जा सके ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) नई दिल्ली में कालकाजी के समीप, चित्तरंजन पार्क को योजना भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आए उन विस्थापित व्यक्तियों द्वारा आवासीय मकानों के निर्माण के लिए आवासीय प्लाट उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी जो दिल्ली में लाभ-प्रद रोजगार पर लग हुए तथा बसे हुए

थे। इस योजना की पुनर्वास परियोजना के रूप में कल्पना नहीं की गई थी इसलिए एलाटियों या उनके आश्रितों के लिए कुटीर तथा लघु उद्योग या व्यापार एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री

9890. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 में विभिन्न किस्मों की एच० एम० टी० घड़ियों का कुल कितना उत्पादन हुआ और विभिन्न किस्मों की कुल कितनी घड़ियां, महीने वार और किस्म-वार उक्त अवधि में दिल्ली विक्रय केन्द्र को सप्लाई की गई;

(ख) संसद सदस्यों और एच० एम० टी० के कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत स्टाक आरक्षित हैं;

(ग) क्या स्टाक उपलबध होने के बावजूद जन साधारण को घड़ियां प्राप्त करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो ये कब तक आसानी से उपलब्ध हो जायेंगी ; और

(घ) देश में विक्रय केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है और क्या कोई नोटिस बोर्ड लगाने का प्रस्ताव है जिसमें विभिन्न घडियों के प्रति दिन के स्टाक का उल्लेख हो और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) ब्यौरा अनुबन्ध क में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5036/73।]**

(ख) संसद सदस्यों और एच० एम० टी० के कर्मचारियों के लिए स्टाक के आरक्षण की कोई पद्धत्ति नहीं है।

(ग) 1973-74 तक देश में प्रतिवर्ष कलई घड़ियों की मांग का कुल अनमान 45 लाख लगाया गया है। जबकि एच० एम० टी० की क्षमता प्रति वर्ष 3,60,000 घड़ियों का उत्पादन करने की है। 1978-79 तक स्थिति में काफी सुधार हो जाने की आशा है। जबकि आशा की जाती है कि कम्पनी प्रतिवर्ष 8,60,000 कलाई घड़ियों बिक्री हेतु देने की स्थिति में हो जाएगी।

(घ) बिक्री केन्द्रों की कुल संख्या अनुबंध (ख) में दी गई है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5036/73।]** सुरक्षा की दृष्टि से और जाली खरीदारों से बचने के लिए इस समय बिक्री काऊंटर पर विभिन्न प्रकार की घड़िया के प्रतिदिन के स्टाक को सूचित करने के लिए नोटिस बोर्ड लगाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं हैं।

दिल्ली में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों का काले बाजार में बिकना

9891. **श्री सतपाल कपूर :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां काले बाजार में उपलब्ध है जहां कि दिल्ली में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बिक्री कार्यालयों में इन का स्टाक आमतौर पर समाप्त रहता है ;

(ख) सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियां काले बाजार रे न पहुंचे और वे हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बिक्री विभाग के काऊंटर पर ही बेची जाये ; और

(ग) क्या सुपर बाजार और सहकारी समितियों को हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों की एजेंसियां देने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) सरकार इस बात से अवगत है कि दिल्ली में एच० एम० टी० कलाई घड़ियों की मांग एच० एम० टी० द्वारा की गई सप्लाश से पूरी नहीं की जा सकती । संभव है कि ऐसी स्थिति एच० एम० टी० की कुछ घड़ियां कुछ लाभ पर बेची गई हों । फिर भी, काले बाजार में बेची जाने का कोई विशिष्ट उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं आया । एच० एम० टी० द्वारा कलाई-घडियों के उत्पादन नें वृद्धि हो जाने से स्थिति सुगम हो जाने की संभावना है ।

(ग) एच० एम० टी० और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के बीच हुए समझौते के अनुसार ये घड़ियां विभिन्न स्वीकृत उपभोक्ता सहकारी समितियों/स्टोरों द्वारा बेची जा रही हैं ।

Wage Board for Mica Workers

9892. **Shri Sankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether a demand for setting up a Central Wage Board for Mica Workers is pending for the last 10 years ; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) A demand has been made for the setting up of a Wage Board for Mica Workers.

(b) The National Commission on Labour has made recommendations for changes in the Wage Board system which are under consideration. A national wage policy which would provide guidelines for wage revisions is also being worked out.

श्री लंका के साथ कच्चातीबू द्वीप के प्रश्न के बारे में समझौता

9893. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चाताबू द्वीप संबंधी विवाद श्री लंका की सरकार के साथ इस बीच निपटा लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस विवाद को निपटाने का है और यदि हां, तो इसमें कितना समय लगेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) भारत और श्री लंका दोनों इस बात से सहमत हैं कच्चातीबू और अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा जारी रहेगी और जल्दी ही निर्णय लिया जायगा । दोनों देशों के अधिकारी इस मामले पर विचार विमर्श के लिए शीघ्र ही मिलेंगे ।

देश में रक्षा कर्मचारियों के लिए भर्ती केन्द्र

9894. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, रक्षा कर्मचारियों के लिए कितने भर्ती केन्द्र हैं और गत तीन वर्षों में थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना के विभिन्न वर्गों में, राज्यवार वास्तव में कितने व्यक्ति भर्ती किये गये ;

(ख) ऐसी भर्ती की प्रक्रिया क्या है और भर्ती होने वाले व्यक्ति की लम्बाई, सीना आदि जसी मूल अर्हताओं सहित इस बारे में बनाये गये नियमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या विशेष मामलों इन नियमों में कुछ ढील दी जाती है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5037/73।**]

(ख) और (ग) एक विवरण सलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5037/73।**]

यूरोप में भारत से लाई गई महिलाओं स न्यूनतम मजूरी (स्टारवेशन वेज) पर निम्न स्तर का कार्य लिया जाना

9895. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 अप्रैल, 1963 के लेन्दन 'आबजखर' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि यूरोप मे निम्न स्तर के कार्य के लिए 'थर्ड वर्ल्ड' के देशों, विशेष कर भारत, फिलिपीन तथा कोरिया से महिलाओं को न्यूनतम मजूरी पर यूरोप लाया जा रहा है। और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) आब्जर्वर की रिपोर्ट मुख्य रुपसे फिलोपीन और कोरिया की उन लड़कियों के बार में है जिन्हें कुछ पश्चिम-यूरोपीय दशों में घरेलू कर्मचारियों के रुप में नियुक्त किया गया है। इसमें इस बात का भी उल्लेख है कि एक केरल के कैथोलिक पादरी ने बालिका-प्रवेशार्थिनियों को यूरोप के कुछ धार्मिक समदायों में भेजा था। इस आरोप की हमने पहले जांच की थी और विदेश मंत्री द्वारा 29 मार्च 1972 को इसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई थी।

अपने विदेश स्थित मिशनों द्वारा और जांच किए जाने पर भी ऐसा ज्ञात नहीं हुआ कि यूरोप में भारतीय लड़कियों को जीवन-यापन के लिए अपर्याप्त मजदूरी पर छोटे कामों पर लगाया गया है। इसके विपरीत हमारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय लड़कियां जो यूरोप में ननों, ट्रेनी नर्सों या नर्सों के रूप में काम कर रही हैं प्रसन्न हैं तथा खूब अच्छा काम कर रही ह।

गैर-कोकिंग कोयले के मूल्य

9896. **श्री जोतिर्मय बसु :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1972 से 15 अप्रैल, 1973 तक महिना वार प्रत्येक क्षेत्र में घरेलू प्रयोग के लिए गैर-कोकिंग कोयले के मूल्य क्या थे; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यों के बढने अथवा कम होने के क्या कारण है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जुलाई, 1972 से 15 अप्रैल, 1973 तक की कालावधि के दौरान घरेलू प्रयोग के लिये गैर कोककारी कोयले (साफ्ट कोक) की रेल पयन्त निःशुल्क कीमत, जोकि उच्च श्रेणी के लिए 72 रुपये प्रति टन और साधारण श्रेणी के लिये 60 रुपय प्रति टन थी, अद्योपान्त एक समान रही है। परिवहन की परिवर्ती कीमत और संचालन प्रभारों के कारण, विभिन्न क्षेत्रों में साफ्ट कोक की खुदरा विक्रय कीमतें भिन्न भिन्न है।

कोयला क्षेत्र भर्ती निकाय (कोलफील्ड रक्रूटिंग वाडी) को समाप्त करना

9897. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला क्षेत्र भर्ती निकाय खत्म कर दिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो भर्ती के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सूबोध हंसदा) (क) और (ख) सरकार ने कोयला क्षेत्र भर्ती संगठन के माध्यम से, कोयला खानों के लिए कर्मकारों की भर्ती को बंद करने का विनिश्चय किया है। कोयला खानों में भर्ती के लिए प्रायिक माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। उन कोयला खानों में, जिनका सरकार द्वारा प्रबंध ग्रहण किया जा चुका है, पहले से ही नियोजित गोरखपुरी कर्मकारों को, नियोजन की अन्य शर्तों के अधीन स्थायी कर्मकार बनने का मुक्त विकल्प दिया गया है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को 'गाजी' के स्थान पर अन्य पनडुब्बी की सप्लाई

9898. **श्री आर के सिन्हा :**

श्री शशि भूषण :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संयुक्त राज्य अमरीका का विचार पाकिस्तान को 'गाजी' के स्थान पर, जिसे दिसम्बर, 1971 के युद्ध में विशाखापतनम से कुछ दूर समुद्र में डुबा दिया गया था, अन्य पनडुबी देने का है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या इस बारे में अमरीकी सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) 'गाजी' पनडुब्बी की क्षति पूर्ति करने के लिए अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को पनडुब्बी की पूर्ति करने के संबंध में किसी प्रस्ताव को सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। तथापि, सरकार ने इस संबंध में समाचार देखें हैं जिनका भारत में अमेरीकी राजदूत दवारा दृढ़तापूर्वक खन्डन किया गया है।

स्वदेशी सप्लायरों द्वारा प्रतिरक्षा सामग्री की सप्लाई

9899. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री शशि भूषण :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वदेशी सप्लायरों के नाम क्या है जिनको 1972–73 में प्रतिरक्षा सामग्री की सप्लाई के लिए आर्डर दिए गये थे तथा आर्डरों का मूल्य क्या है;

(ख) इन आर्डरों को किस हद तक पूरा किया गया है;

(ग) कम माल सप्लाई किये जाने के कारण क्या है और ऐसे सप्लायरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) प्रतिरक्षा सामग्री की सप्लाई में देश को आत्म निर्भर करने तथा स्वदेशी निजी सप्लायरों पर निर्भरता को खत्म करने हेतु प्रतिरक्षा कारखानों के विस्तार के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) रक्षा के लिए भण्डारों को प्राप्त करने के संबंध में अनेकों एजेंसियों के द्वारा आदेश रक्षा पूर्ति विभाग के अलावा जैसे डी जी एस एण्ड डी, सेना मुख्यालयों, स्टोर्स डिपो इत्यादि के द्वारा दिए जाते है। स्वदेशी पूर्तिकर्ताओं के नामों की सूचना का संकलन तथा आदेशों के अन्य ब्यौरे एक भारी कार्य है तथा सम्भवित लाभ के अनुरुप नहीं होंगे। 1972–73 वर्ष के दौरान तथापि रक्षा पूर्ति विभाग ने 2306 आदेश दिए है इन आदेशों की लागत 31.61 करोड़ रुपए है ।

(ख) रक्षा पूर्ति विभाग मुख्यतया उन मदों के उत्पादन पर व्यस्त है जो कि अब तक आयात होती थी या जिनका पहली बार देश में विकास किया जाना है। उन्हें कठोरता से रक्षा विशिष्टियों के अनुरूप होना है तथा अधिकांश मामलों में मदों के सैम्पिल भी उपलब्ध नहीं है। उद्यम के द्वारा मद का विकास करने के उपरान्त, आदि प्रारूप का मूल्यांकन किया जाता है तथा अनुमोदन किया जाता है तदउपरांत उत्पादन से पूर्व माडल का पुनः मूल्यांकन फील्ड क्षेत्रों में तथा प्रयोग शालाओं में किया जाता है। माडल के उत्पादन पूर्व संतोषजनक निष्पादन के उपरान्त थोक उत्पादन के लिए मंजूरी दी जाती है। यहां पर भी कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती है जैसे अनिवार्य कच्चे माल की तथा कुछ उपकरणों की अनुपलब्धता इत्यादि । कुछ मामलों में संतुलनकारी यंत्रों को आयात करना पड़ता है । यद्यपि रक्षा पूर्ति विभाग ने ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने को अनुरूप बना लिया है तथा सक्रिय सहायता करता है ; आदेश देने तथा पूर्तियों को करने के मध्य की कार्यवाही श्रम साध्य तथा समय लेने वाली है। अतः पूर्तियों के प्रारंभ होने से पूर्व औसतन लगभग दो वर्षों के समय की आवश्यकता है। इस पृष्ठ भूमि में यह सम्भव नहीं है जिस वर्ष में आदेश दिए जाएं उसी वर्ष में उसकी पूर्ति की जा सके। तथापि, 1972–73 वर्ष के दौरान 18.07 करोड़ रुपए की पूर्तियां प्राप्त की गई है जिनके लिए करार आदेश पिछले वर्षों मे दिए गए थे ।

(ग) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान सुविधाओं की और बढाने तथा जहां लोकहित आवश्यक होता है रक्षा फैक्टरीज में नई सुविधाओं को स्थापित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा रहे है। यद्यपि सरकार निजी उद्यम को प्रोत्साहित करना चाहती है किंतु यह समग्र रक्षा हित तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरल उपकरणों, सब एसेंम्बलीज तथा एसेम्बलीज के लिए स्थापित किया जाएगा ।

रक्षा सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपणास्त्रों के विकास का प्रस्ताव

9900. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तीनों रक्षा सेवाओं के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपणास्त्रों के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है और इससे रक्षा सेवाएं कितनी सुदृढ़ होंगी और इनका विकास कब तक किया जायेगा ?

रक्षा **मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :** (क) जी हां श्रीमन ।

(ख) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

थाईलेंड में व्यापार के विदेशी स्वामित्व पर प्रतिबन्धों से प्रभावित भारतीय

9901. **श्री आर० के० सिन्हा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाइलैंड सरकार ने थाइलैंड में व्यापार पर विदेशी स्वामित्व को सीमित करने के लिए कुछ नये उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितने भारतीयों पर प्रभाव पडा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। रायल थाई सरकार ने विदेशी लोगों को व्यापार और व्यवसाय की अनुमती देने से संबंधित तीन आदेश जारी किए थे । बाहरी लोगों के व्यापार पर नियंत्रण यह पहला आदेश 24–11–1972 को जारी हुआ था जिसमें बाहरी लोगों द्वारा शासित व्यापार प्रतिष्ठानों के लिए सिद्धांत और कार्य पद्धति निर्धारित की गई थी। इस आदेश में सभी व्यापारों को तीन श्रेणियों में बांट दिया है और विदेशी लोगों पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं। बाहरी लोगों के व्यवसाय पर नियंत्रण यह दूसरा आदेश 13–12–1972 को जारी किया गया था इसमें एक रायल आदेश में निर्धारित कुछ व्यवसायों को बाहरी लोगों के लिए निषेध कर दिया गया है और यह निश्चय किया गया है कि जो कार्य बाहरी लोगों के लिए निषिद्ध नहीं है उनके लिए भी केवल लाइसेन्स से अनुमति दी जायेगी । इसके बाद एक तीसरा आदेश 14–3–1973 को जारी किया गया जिसमें 36 कार्यों में विदेशी लोगों को रखने पर रोक है ।

(ख) इन कानूनों के प्रभाव का पता लगाना अभी सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि यह इनकी क्रियान्विति पर निर्भर करता है। इन आदेशों से प्रभावित होने वाले भारतियों की ठीक-ठीक संख्या अभी ज्ञात नही है ।

राष्ट्रीय केडेट कोर में पुनः नियुक्त रक्षा कर्मचारियों को मिलिट्री पेंशन का भुगतान

9902. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केडेट कोर (प्रशिक्षक कर्मचारी) में पुनः नियुक्त सेवा निवृत्त रक्षा कर्मचारियों की मिलिट्री (सेवा) पेंशन नहीं दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं, श्रीमन ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कडेट कोर में पुनः नियुक्त किए गए सैनिक कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु

9903. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केडेट कोर में पुन: नियुक्त सेवानिवृत्त सैनिक कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु (55 अथवा 58 वर्ष) तक पहुंचने से पूर्व ही छंटनी कर दी जाती है हालांकि राष्ट्रीय केडेट कोर के विभिन्न अनुभागों में रिक्त स्थान पड़े है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) और (ख) राष्ट्रीय केडेट कोर में सेना के सेवानिवत्त कार्मिकों (अन्य रेंकों) का नियोजन 3 वर्ष की अवधि के लिये प्राधिकृत है । यह अवधि महानिदेशक राष्ट्रीय केडेटों कोर के द्वारा एक बार में एक वर्ष के आधार पर उस समय तक बढ़ाई जा सकती है जब तक कि कार्मिक 49 वर्ष की आयु तक पहुंचता है । इन मामलों में साथ 55 या 58 वर्ष की आयु का कोई सम्बन्ध नहीं है। सेवा काल का बढाया जाना उनके कार्य निष्पादन तथा शारीरिक योग्यता पर निर्भर करता है। जब भी रिक्त पद होते है तो नए आवेदकों में से भरे जाते हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर में पुनः नियुक्त प्रतिरक्षा कर्मचारियों को वार्षिक वृद्धि देना

9904. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय केडेट कोर में पुन: नियुक्त किये गये सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारियों (अन्य रेंक) को कोई वार्षिक वृद्धि दी जाती है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन। अन्य रेंक (जुनियर कमीशंड अफसरों को छोडकर) केवल नियत वेतन पाते है।

(ख) 1962 मे नेशनल कैडट कोर में पुन: नोकरी पर लगाए गये भूतपूर्व सैनिकों के लिए जब वेतन मान निर्धारित किए गये थे तो नियमित सेना में अन्य रेंकों को उनकी **अन्य रेंक में 5 वर्ष की सेवा के पश्चात 2.50 प्रतिमास की दर पर केवल सेवा वेतन-वृद्धि की गई थी और 10 वर्ष की अन्य रेंक सेवा के पश्चात 2.50 रुपए प्रति मास** की और आगे वेतन-वृद्धि की गई थी। क्योंकि नेशनल कैडेट कोर में भूतपूर्व सैनिकों की सेवा की कुल अवधि 3 वर्ष है अत: उन्हें सेवा वेतन वृद्धि देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

हिन्द महासागर में अन्य देशों के नौसैनिक अड्डें

9905. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक हिन्द महासागर में नौसैनिक अड्डे बनाए हैं और प्रत्यक मामलें में उनकी अनुमानिक नौसैनिक शक्ति कितनी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : ऐसी जानकारी है कि ब्रिटन, अमेरिका, फ्रांस तथा आस्ट्रेलिया अपने नियन्त्रण के अधीन हिन्द महासागर क्षेत्र में अड्डे की सुविधाएं रखते हैं। इन हरेंक अड्डों में उनकी नौसेना शक्ति के बारे में सरकार को सही जानकरी नहीं है।

बिजली का उत्पादन करने वाले उपकरणों के आयात पर प्रतिबन्ध

9906. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली का उत्पादन करने वालों उपकरणों के आयात पर लगे प्रतिबन्ध में छूट देना मंजूर कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) देश की विदेशी मुद्रा स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़गा ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में बिजली की कमी के संदर्भ में सरकार ने सहायक डीजल जनरेट्टींग सेटों के आयात पर लगे प्रतिबंध में ढील देने का निर्णय किया है और औद्योगिक एककों द्वारा अपेक्षित बडे परास के सेटों का आयात करने की अनुमति दे दी है ताकि वे उत्पादन का उपयुक्त स्तर बना सकें। विदेशी मुद्रा के प्रावधान पर इस छूट का प्रभाव उस लाभ की तुलना में कम है, जो औद्योगिक उत्पादन के उच्च स्तर से प्राप्त होगा। डीजल जेनरेटींग सेटों से भिन्न विद्युत जनित्रण उपकरणों के बारे में सरकार ने मामले की जांच करके एक मामले के आधार पर उनके डिजाइन में गैर-मान स्वरूप या माल देने के कम समय जिसमें सेटों के वितरण और निर्माण के लिए देशी संयंत्रों को पर्याप्त समय की व्यवस्था नहीं की गई है, के आधार पर कुछ सेटों के आयात करन की अनुमति दे दी है। कुल मिलाकर इन सेटों का आयात रुपये में भुगतान वाले क्षेत्रों से किया गया है।

भारत तथा नेपाल के बीच बातचीत के लिए नया प्रस्ताव

9907. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री के० लकप्पा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी आर्थिक सहयोग बढाने के लिए मंत्री स्तरीय बातचीत का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है; और

(ग) संबंध सुधारने के लिए और क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) इस वर्ष फरवरी में जब प्रधान मंत्री ने नेपाल की यात्रा की तो यह तय हुआ कि दोनों देशों के योजना आयोगों के बीच और अधिक घनिष्ठ सहयोग हो जिससे कि भारत और नेपाल में ऐसा आर्थिक विकास किया जा सके जिससे दोनों देशों का हित हो। तदनुसार योजना मंत्री श्री डी० पी० धर के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने 29 अप्रैल से 3 मई, 1973 तक नेपाल की यात्रा की। यात्रा की समाप्ति पर 3 मई, 1973 को एक संयक्त विज्ञप्ति जारी की गई जिसकी प्रति संलग्न है [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5038/73।**]

संयुक्त विज्ञप्ति में दिए गए समझौते को लागू करने के लिए दोनों पक्ष कदम उठायेंगे।

किरकी स्थित एम्यूनीशन फैक्टरी के जनरल मैनेजर द्वारा मैसर्स नेशनल फायर आर्मस कम्पनी तथा फ्रन्टियर आर्मस कम्पनी को हथियारों तथा गोला बारूद की बिक्री

9908. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री पी० गंगादेव :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरकी स्थित एम्यूनीशन फैक्टरी के जनरल मैनेजर द्वारा 1970 से मैसर्स नेशनल फायर आर्मस कंपनी तथा फ्रन्टियर आर्मस कंपनी को कुछ सामान बेचा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बेचा गया सामान नकली बैंक चालानों पर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे सौदों के लिए फर्मों तथा फैक्टरी प्रबंधकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमान ।

(ख) और (ग) पूर्ति किए गए सामान के बारे में रिसीटिड मनी रिसीवेल आर्डरों की जांच करने पर उन्हें प्रामाणिक नहीं पाया गया और मामले की जांच-पड़ताल चल रही है ।

राइफल फैक्टरी, इच्छापूर के महाप्रबंधक द्वारा गैर-सरकारी व्यापारियों को शस्त्रास्त्रों और गोला बारूद की बिक्री

9909. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री के० लकप्पा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राइफल फैक्टरी, इच्छापूर के महाप्रबंधक ने गैर-सरकारी शस्त्रास्त्र व्यापारियों को कुछ शस्त्रास्त्र और गोला बारूद बेचे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बेची गई वस्तुओं की डिलीवरी बैंक चालान पर की गई थी जिसकी भुगतान की पुष्टि अभी तक सुनिश्चित नहीं हो सकी है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी फर्मों के नाम क्या हैं, बिक्री की तिथि क्या है और पार्टियों द्वारा किए गए भुगतान का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां श्रीमान । राइफल फैक्टरी इच्छापूर पंजीकृत आर्मस तथा अम्यूनिशन व्यापारियों को स्पोर्टिंग शस्त्रास्त्रों की पूर्ति करती है। तथापि फैक्टरी स्पोर्टिंग अम्यूनीशन की पूर्ति नहीं करती है ।

(ख) कुछ सौदों के संबंध में एक बैंक के द्वारा जो प्रकट रूप में धन रसीदें जारी की गई थीं सत्यापन पर असली नहीं पाई गई है। मामले की जांच की जा रही है।

(ग) सौदों के विवरण संलग्न विवरण में दिए गए है ।

विवरण

फर्म का नाम	बिक्री की तारीख	भुगतान के ब्यौरे	राशि
मैसर्स कोहली, गन हाउस ओल्ड सिनेमा रोड, बटाला, जिला गुरदासपूर	4-3-1972	एम आर ओ नं० डी-8800, दिनांक 28-1-72	33,990 रुपए
मैसर्स दोआबा गन हाउस जी टी रोड, फगवाडा	20-6-1972	एम आर ओ नं० डी/30560, दिनांक 25-4-1972	33,990 रूपए
मैसर्स नेशनल फायर आर्मर्स कार्पोरेशन, कपूरथला, जालंधर	16-11-1972	एम आर ओ नं०डी/30919, दिनांक 24-8-72	33,990 रुपए
		एमआरओनं० सी/514729 दिनांक 14-4-71	26,265 रुपए
मैसर्स फ्रन्टीयर आर्मर्स कम्पनी, आर्मर्स एण्ड अम्यूनिशन डीलर्स जी टी रोड, जालंधर शहर	4-12-72	एम आर ओ नं० डी 30635 दिनांक 9-10-71	33,990 रुपए
	11-6-71	एम आर ओ नं० सी 514782 दिनांक 23-4-71	17,510 रुपए

भारत अर्थ मुवर्स लि० के ईस्ट जोन वेयर हाउस कलकत्ता से मैसूर को स्थानान्तरण

9910. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लि० के प्रबंधकों ने अपने पूर्व क्षेत्र के भाण्डागार को, कलकत्ता से मैसूर स्थानान्तरित करने अथवा विकल्प के रूप में इसके कार्यभार में भारी कमी करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) क्या अब मैसूर से पूर्वी क्षेत्र में स्थित सभी खानों, बांधों, विद्युत परियोजनाओं' सीमावर्ती सड़कों आदि और बंगला देश को उपकरणों की सप्लाई पर अधिक व्यय करना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो उक्त भाण्डागार को स्थानान्तरित करने संबंधी कथित निर्णय का क्या आधार है; और

(घ) क्या कलकत्ता छोड़ने के अनिच्छुक कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार दिया जायगा?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (घ) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

दण्डकारण्य परियोजना में पश्चिम बंगाल के शरणार्थी पुनर्वास विभाग के प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारी

9911. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार के शरणार्थी पुनर्वास विभाग के कितने कर्मचारी इस समय दण्डकारण्य परियोजना में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं;

(ख) क्या इनमें से किन्हीं को परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अनावश्यक घोषित किया गया है ताकि उन्हें पश्चिम बंगाल वापस भेजा जा सके; और

(ग) यदि हां, तो क्या परियोजना प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार के बीच तालमेल के फलस्वरूप इस संबंध में कोई कार्यवाही की गई है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

दण्डकारण्य परियोजना में प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों पर केन्द्रीय वेतनमान लागू करना

9912. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के लिए केन्द्रीय वेतनमानों को दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकरण के अन्तर्गत श्रेणी तीन के रूप में नियुक्त कर्मचारियों पर अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ख) परियोजना तथा अन्य केन्द्रीय उपक्रमों के अन्तर्गत अध्यापकों के विरुद्ध ऐसे भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतन मानों तथा अन्य लाभों को इन प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों पर लागू किया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, के श्रमिक विधि डिप्लोमा को मान्यता देना

9913. **श्री चन्द्रिका प्रसाद** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या श्रम और रोजगार विभाग श्रमिक समस्याओं से सम्बन्द्ध वरिष्ठ ग्रेड के पदों के लिए, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, के 'श्रमिक विधि डिप्लोमा' को मान्यता देने के विरुद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) भारतीय विधि संस्थान ने श्रम अधिकारी (केन्द्रीय पूल) के पद पर नियुक्तियों के लिए श्रमिक विधिओं में अपने डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता देने का अनुरोध किया था। सितम्बर, 1972–जून, 1973 से शुरू होने वाले सत्र से संस्थान द्वारा दिए गए डिप्लोमा को मान्यता दे दी गई है।

रोड़-रोलरों के आयात के बारे में निर्णय

9914. **श्री वेंकारिया :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **वर्ष** 1973–74 में रोड़ रोलरों को आयात करने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय **किया** है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : सरकार का 1973–74 में किसी भी **रोड़** रोलर का आयात करने का विचार नहीं है।

उड़ीसा में भारी उद्योग के अन्तर्गत उद्योगों की स्थापना

9915. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अलग **अलग** भारी उद्योग के अन्तर्गत कौन से उद्योग स्थापित किए जाएंगे और उनकी संख्या **कितनी** है; और

(ख) इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है और इसमें कुल कितनी पूंजी नियोजन **करने** का विचार है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) चौथी योजना की शेष अवधि में **या** पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र **में** कोई भी भारी उद्योग एकक स्थापित करने का अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं **हुआ** है। यह विचार किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड और यूनियनों के बीच समझौता

9916. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अक्तूबर, 1970 को उडीसा राज्य बिजली बोर्ड और यूनियनों के बीच हुआ समझौता पूरी तरह लागू हो गया है;

(ख) क्या उडीसा राज्य बिजली बोर्ड और विभिन्न यूनियनों, जिन्होंनें उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी संघ का गठन किया, के बीच 10 अक्तूबर, 1972 को एक और समझौता हुआ था जिसके अनुसार यह व्यवस्था की थी कि नवम्बर के अन्त तक उचित कार्यवाही की जायेगी और सेवा शर्तों के बारे में नियम तथा विनियमों को दिसम्बर, 1972 तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त समझौते को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा; और

(घ) इस समझौते को क्रियान्वित करने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

डाइतरी लौह अयस्क खान मजदूर संघ को मान्यता देना

9917. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय ने उड़ीसा खनन निगम के अध्यक्ष को अलग से एक पत्र लिखा है जिसमें उड़ीसा में डाइतरी लौह अयस्क खान मजदूर संघ, क्योंझर को मान्यता देने की सिफारिश की गई है; और

(ख) इसका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक मान्यता नहीं दी गई है।

राष्ट्रीय कैडेट कोर संस्थापन में नियुक्त लिपिक कर्मचारियों का स्थानांतरण

9918. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर संस्थापन द्वारा नियुक्त लिपिक कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जा सकता है; और

(ख) इलाहाबाद में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे लिपिकों की संख्या कितनी है ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) राष्ट्रीय कैडेट कोर स्थापनाओं में नियुक्त असैनिक लिपिक कर्मचारियों की दो श्रेणियां हैं :—

(1) जो राष्ट्रीय केडट कोर निदेशालयों/प्रशिक्षण स्थापनाओं में कार्य कर रहे हैं उनका भारत में कहीं भी स्थातांतरण किया जा सकता है; और

(2) जो ग्रुप मुख्यालयों/यूनिटों में कार्य कर रहे हैं वे राज्य सरकार के कर्मचारी ह और उनका राज्य के बाहर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है।

(ख) इलाहाबाद में कोई राष्ट्रीय केडट कोर निदेशालय अथवा प्रशिक्षण स्थापना स्थित नहीं है। इलाहाबाद में राष्ट्रीय कैडट कोर मुख्यालयों। यूनिटों में कार्य कर रहे राज्य सरकार कर्मचारियों को सेवा के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

राष्ट्रीय कैडेट कोर के अधिकारियों की इलाहाबाद में नियुक्ति

9919. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर के ऐसे कितने अधिकारी हैं जो इलाहाबाद में सात वर्ष से अधिक समय से नियुक्त हैं;

(ख) वे इलाहाबाद में कब से नियुक्त हैं और

(ग) उनके किसी एक स्थान पर इतने अधिक समय तक रहने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) : भारत में कही भी सेवा के लिए उत्तरदायित्ववाला कोई एन०सी०सी० अफसर इलाहाबाद में 7 वर्ष से अधिक से सेवा नहीं कर रहा है। जिन में एन०सी०सी० यूनिटों की व्यवस्था है उन शैक्षणिक

संस्थाओं के शिक्षण संवर्ग से संबंधित आठ अंशकालिक एन० सी० सी० अफ़सर इलाहाबाद में 7 वर्ष से अधिक से कार्य कर रहे हैं, परन्तु इन अफ़सरों का स्थानांतरण नहीं हो सकता है।

Celebration of Republic day Parade in the States by Rotation

9920. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government of India are in favour of effecting economy in Republic Day Celebrations in the Capital keeping in view the economic condition of the country; and

(b) whether Government of India are in favour of considering the question of celebrating Republic day in the Capital of other States of the country turn by turn and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir. Efforts are made to effect as much economy as possible in organising Republic Day celebrations keeping in view the importance of the occasion.

(b) Republic Day celebrations in Delhi, which is the capital of the country, are organissed by the Government of India; in State capital & these are organised by the State Governments concerned. The question whether the Republic Day Parade of the size and magnitude held in Delhi could be held at different State capitals by rotation has been examined but such an arrangement has not been found feasibie because of the practical difficulties in making arrangements in this behalf at different places each year.

जापान के उत्पादन की तुलना में भारत में इस्पात का उत्पादन

9921. **श्री राजदेव सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के पास अपने इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल नहीं है और उसे पूरी तरह से आयात पर निर्भर होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समय जापान अपने वर्ष 1948 के 17 लाख टन इस्पात उत्पादन के मुकाबले 930 लाख टन इस्पात का उत्पादन कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या वर्ष 1948 में हमारा उत्पादन 13 लाख टन था और विकासशील इस्पात उद्योग के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक साधन होने के बावजूद भी इस समय इस्पात का उत्पादन केवल 63 लाख टन ही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जापान में उपलब्ध खनिज स्रोत उनकी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रायः अपर्याप्त है और जापान का लोहा और इस्पात उदयोग बहुत हद तक आयात पर निर्भर है।

(ख) वर्ष 1948 में जापान में क्रूड इस्पात का उत्पादन 17 लाख टन था जो बढ़कर 1972 में लगभग 970 लाख टन हो गया।

(ग) भारत में इस्पात पिण्ड का उत्पादन जो 1948 में 13 लाख टन था बढ़कर 1972 में लगभग 70 लाख टन हो गया। यह ठीक है कि इस देश में लोहे और इस्पात उद्योग के विकास के लिए प्राकृतिक साधन प्रायः पर्याप्त है।

(घ) जापान में आर्थिक विकास (इस्पात का उत्पादन भी शामिल है) न केवल भारत बल्कि बहुत से दूसरे देशों की तुलना में बहुत अधिक हुआ है। इस को इस संदर्भ में देखना चाहिए कि जापान ने न केवल इस्पात के उत्पादन में बल्कि औद्योगिक गतिविधि

के बहुत बड़े क्षेत्र अर्थात पोत निर्माण, मशीनें बनाने, इलेक्ट्रोनिक आदि में औद्योगिक विकास स्वचालित यंत्रों तथा परिचालन दक्षता तथा अनुशासन के कारण बड़ी द्रुत गति से प्रगति की है ।

अपनी पूरी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग

9922. **श्री राजदेव सिंह : क्या भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र के कुछ अति महत्वपूर्ण उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता से कम उत्पादन कर रहे है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रवार उन उद्योगों के नाम क्या है और उनमें पूरी क्षमता से उत्पादन न होने के क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्री श्री टी० ए० पाई : (क) तथा (ख) जी हां । औद्योगिक-मशीन, खनन-मशीन, भारी वैद्युत ढांचे तथा मशीनी औजार जसें कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर सरकारी क्षेत्र में, एकक निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक कारणों से अपनी पूर्ण क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं।

(1) इस प्रकार से के उपकरणों विशेष रुप से मशीन उद्योग जैसे रबड मशीनों, खनन मशीनों, छपाई-मशीनों, रसायन मशीनों, चीनी मशीनों आदि के लिए आर्डरों का पर्याप्त मात्रा में न मिलना ।

(2) इस्पात, बिजली आदि जैसी वस्तुओं की उपलब्धता में रुकावटें

(3) ढ़ली हुई वस्तुओं तथा गढ़ी हुई वस्तुओं की अनियमित सप्लाई ।

(4) औद्योगिक संबंधों की स्थिति ।

(5) टेक्नोलाजिकल तथा प्रबंध संबंधी समस्याएं ।

(6) जटिल प्रकार के उत्पादन से संबद्ध दक्षता प्राप्त करने में विलम्ब होना ।

भारत-चीन सीमा-विवाद के बारे में चीन के प्रधान मंत्री के पत्र का पुनः प्रकाशन

9923. **श्री समर गुह : क्या विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत–चीन सीमा विवाद के बारे में चीन के प्रधान मंत्री के पत्र के पुनः प्रकाशन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है, और यदि हां, तो चीन द्वारा किन बातों पर पुनः जोर दिया गया है;

(ख) क्या इससे भारत के चीन के साथ अपने राजनैतिक तथा अन्य सम्बन्ध को सामान्य बनाने के प्रयासों में बाधा पड़ेगी, और

(ग) पुनः प्रकाशित हुए पत्र के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। प्रकाशन द्वारा भारत चीन सीमा के प्रश्न पर चीन सरकार की नीति मात्र दुहराई गई है ।

(ख) जी नहीं। यह उनके पूर्व ज्ञात रवैये की पुनरुक्ति मात्र है ।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में दिए गए उत्तरों के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिये रूस के साथ सहयोग

9924. **श्री समर गुह :**

श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो और भिलाई इस्पात संयंत्रों के विस्तार के लिये सरकार ने रूस के साथ कोई सहयोग किया है;

(ख) क्या लोहा और इस्पात उद्योगों के विस्तार के लिये इस सहयोग के अन्तर्गत अन्य लौहा और इस्पात उद्योग भी आते हैं;

(ग) यदि हां, तो रूसी सहयोग के अन्तर्गत आने वाली सभी प्रस्तावित परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या है; और

(घ) इस सहयोग की शर्तें क्या हैं; और

(ङ) तकनीकी और व्यापारिक दृष्टि से रूस का सहयोग के लिये चुने जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) भिलाई और बोकारो के इस्पात कारखानों का 40-40 लाख पिण्ड टन क्षमता तक विस्तार करने का काम पहले ही चल रहा है । इस सम्बन्ध में सोवियत संगठन आवश्यक सहायता दे रहे हैं। इन विस्तार कार्यों के लिए सोवियत रूस ने ऋण के रुप में सहायता देनी भी स्वीकार की है। भारत सोवियत संयुक्त आयोग की बैठक के अवसर पर सोवियत पक्ष के साथ हाल में हुए विचार विमर्श में यह बात स्वीकार कर ली गई थी कि भिलाई इस्पात कारखाने का 70 लाख टन इस्पात पिण्ड वार्षिक क्षमता तक और बोकारो इस्पात कारखाने का 10 लाख टन इस्पात पिण्ड वार्षिक क्षमता तक विस्तार किया जा सकता है । भारतीय परमर्श दाता सोवियत रूस के अभिकरणों की यथा आवश्यक सहायता से इन विस्तार कार्यों के लिए तकनीकी आर्थिक प्रतिवेदन तैयार कर रहे है ।

(ख) से (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय देश में दूसरे इस्पात कारखानों के विस्तार से है । यदि ऐसा है तो सरकार ने किसी अन्य इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए सोवियत रुस से सहयोग के लिए कोई समझौता नहीं किया है ।

(ङ) चूंकि बोकारो और भिलाई के इस्पात कारखाने सोवियत सहयोग से स्थापित किए गए है, अतः विशेषकर प्रौद्योगिकी के क्रम को बनाए रखने की दृष्टि से यह लाभप्रद होगा कि इन कारखानों का विस्तार भी सोवियत सहायता से किया जाए।

अखिल भारतीय शांति परिषद द्वारा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के प्रतिनिधि-मंडल के लिए चंदा इक्कटठा किया जाना

9925. **श्री समर गुह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय शांति परिषद को दक्षिण वियतनाम गणतंत्र के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल के लिए, जब उन्होंने भारत का दौरा किया था; कलकत्ता से चंदे के रूप में 18,403 रुपए की राशि मिली थी,

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मक्ति मोर्चे का प्रतिनिधि मंडल इस धनराशि को भारतीय मुद्रा के रूप में वियतनाम ले गया था; और क्या उसके लिए सरकार से विशेष अनुमति मांगी गयी थी;

(ग) क्या अखिल भारतीय शांति परिषद ने राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे के प्रतिनिधि मंडल के लिए समस्त भारत से चंदे के रूप में काफी धन इकट्ठा किया था; और

(घ) यदि हां, तो प्राप्त किए गए चंदों का क्या हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि "दक्षिण वियतनाम की अफ्रो–एशियाई तथा शांति समितियों" के प्रतिनिधि मंडल की भारत यात्रा के समय भारत में कुछ स्थानों पर धन संग्रह किया गया था और उसे थैलियां भेंट की गई थीं।

(ख) सरकार को यह सूचना नही है कि भारतीय मुद्रा भारत से बाहर ले जाई गई थी और सरकार को विश्वास है कि ऐसा किया भी नहीं गया होगा क्योंकि उसके लिए अनुमति नहीं मांगी गई थी।

(घ) ऐसे चंदे की धनराशि को ये संगठन कैसे खर्च करते है इसके लिए वे सरकार के प्रति उत्तरदायी नही है और इस लिए सरकार को मालूम नहीं है कि यह धन कैसे खर्च हुआ।

अम्बाझरी आयुध कारखाने में उत्पादन

9926. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध कारखाना अम्बाझरी (नागपुर) में उत्पादन अभी आरंभ नहीं हुआ है जैसा कि आशा थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) कुछ पंक्तियों में गोला बारुद बनाने का कार्य पहले ही प्रारंभ हो गया है। शेष पंक्तियों के बारे में संयंत्र और मशीनों को प्राप्त किया जा रहा है तथा स्थापित किया जा रहा है और उसके पश्चात कार्य चालू हो जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र के आयुध कारखानें में काम करने वाले श्रमिकों को दुरूह स्टेशन भत्ते की अदायगी

9927. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानों पर नए आयुध कारखानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दुरूह स्टेशन भत्ता देने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और यदि हां, तो उसकी सिफारिश क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) रक्षा मंत्रालय की विभागीय परिषद (संयुक्त परामर्शदायी तंत्र) ने अपनी 30–3–1970 की बैठक में एक समिति गठित की थी जो इस प्रश्न पर विचार करेगी कि क्या परियोजना भत्ता चालू रखा जाय और आर्डनेन्स फैक्टरी, भण्डारा में इसको समाप्त करना समय पूर्व है । समिति ने सिफारिश की है कि परियोजना भत्ते को पुनः लागू न किया जाय अपितु जिस हद तक कर्मचारियों को वास्तव रूप से कठिनाई उठानी पड़ी है उसकी प्रतिपूर्ति की जाए तथा सामान्यतया सब कर्मचारियों पर लागू कोई भी दुरूह स्टेशन भत्ता नहीं हो सकता है । समिति की सिफारिश विभागीय परिषद (जे० सी० एम०) ने अपनी 30–4/1–5–1971 की बैठक में स्वीकार कर ली थी।

समिति की सिफारिशों के आधार पर अनेकों फैक्टरियों के कर्मचारियों की प्रतिपूर्ति करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

Increase in Unemployment by 1975

9928. **Shri Jagannathrao Joshi**
Shri R. V. Swaminathan

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the extent to which the number of employment seekers is likely to go up by 1975; and

(b) the action taken or proposed to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy): (a) & (b) The exact number of job-seekers at the end of 1975 cannot be assessed at present. However, according to the latest available information (from the Live Register of Employment Exchanges) there were about 6.9 million job-seekers at the end of December, 1972. A number of programmes such as, schemes for educated unemployed, Special Employment Programmes in States and Union Territories and the Crash Scheme for Rural Employment have been introduced in the recent past and are being continued to combat the unemployment problem. In addition, a programme to find jobs for half-a-million educated unemployed has also been introduced in 1973-74. These, it is hoped will have a substantial impact on the unemployment position in the coming years.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों को स्थायी करना

9929. **श्री भोला मांझी :**
श्री रामावतार शास्त्री

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बहुत से कर्मचारी अपनी 5 से 10 वर्ष की सेवा अवधि पूरी होने के बावजूद स्थायी नहीं किये गये हैं, और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा सूचना जैसी कि स्थिति 1–5–1973 को थी एकत्र की जा रही है । यह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

कोयले की कमी के कारण कपड़ा मिलों के बन्द होने का भय

9930. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले के बढ़े हुए उत्पादन के बावजूद भी बहुत सी कपड़ा मिलें पर्याप्त मात्रा में कोयला न मिलने के कारण बन्द होने की स्थिति का सामना कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या आवश्यक कदम उठाये हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार को कुछ कपड़ा मिलों के संबंध में, जो कोयले की अपर्याप्त मात्रा की आवश्यकता के कारण बंदी का सामना कर रही है, सूचना प्राप्त हुई है ।

(ख) कपड़ा मिलों के लिए, कोयले के पर्याप्त संचलन को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मंजूरी के बारे में भारतीय श्रमिक सम्मेलन का मत

9931. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपक्षीय भारतीय श्रमिक सम्मेलन द्वारा अपने 13 वें अधिवेशन में आवश्यकत पर आधारित न्यूनतम मंजूरी के बारे में बनाये गये मत पर सरकार फिर से विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अधिक बोनस के बारे में बोनस पुनरीक्षण समिति का प्रतिवेदन

9932. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोनस पुनरीक्षण पैनल से कहा है कि अधिक लाभ कमाने वाली कम्पनियों के कर्मचारियों को अधिक बोनस देने के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करें ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ; और

(ग) सरकार का उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) बोनस पुनरीक्षा समिति अपने कार्य को शीघ्रता से कर रही है और आशा है कि उसकी रिपोर्ट सरकार को लगभग जुलाई 1973 के अन्त तक प्रस्तुत कर दी जायगी ।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता ।

1971 के भारत-पाक युद्ध में शूरता का प्रदर्शन करने वाले सेना कर्मचारियों को निःशुल्क भूमि का आंवटन

9933. **श्री पी० जी० मावलेंकर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1971 के भारत-पाक युद्ध में शूरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों (अधिकारियों एवं जवानों को) निःशुल्क भूमि का आबंटन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) कितने सेना कर्मचारियों को उक्त भूमि मिली और किन राज्यों में भूमि आवंटित की गई ?

रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जे० बी० पटनायक) : (क) से (ग) युद्ध में मारे ग सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के आश्रितों तथा अशक्त हुए कार्मिकों को उदार पेंशन मंजूर करने के अतिरिक्त राज्य सरकारों से भूमि आबंटन करने के लिए कहा गया है। आवंटन की सुविधा के लिए 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान शौर्य अलंकरण प्राप्त करने वालों की सूचि राज्य सरकारों को भेज दी गई है। अभी तक राज्य सरकारों से ऐसे कार्मिकों को आवंटित की गई भूमि के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

उड़ीसा में मलंगटोली लौह अयस्क खानों के विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था

9934. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में मलंगटोली लौह अयस्क निक्षेपों के विकास के लिए 1973-74 के लिये तथा पांचवीं योजना के लिये कितनी वित्तीय व्यवस्था की गई है ; और

(ख) मलंगटोली से निर्यात के लिये प्रतिवर्ष कितना लौह अयस्क निकालने का प्रस्ता है और इसे कब तक कार्य रूप दिया जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को मलंगटोली लौह अयस्क निक्षेपों के विकास के लिए एक शक्यता अध्ययन तैयार करने को कहा गया है। 1973–74 के लिए 10 लाख रुपये और पांचवीं योजना के लिये 83.20 लाख रुपये की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) परिचालन के पैमाने, समय-सारणी तथा निकला हुआ लौह अयस्क निर्यात के लिए अथवा दूसरे प्रयोग के लिए होगा, के बारे में कोई संकेत केवल शक्यता अध्ययन तैयार हो जाने के बाद ही मिल सकेगा ।

Seminar on Mineral Wealth held in Bhopal (M.P.)

9935. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether in the Seminar on Mineral Wealth, its Extraction and Exploitation, held in Bhopal in February, 1973, in which renowned geologists of the country participated, this view was prominently expressed that the mineral wealth available in Madhya Pradesh should also be developed in a planned way;, and

(b) if so, the full facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) & (b) The information is being collected from the Govt. of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Rehabilitation of Refugees of Koda Bijapur Area in Bastar District Madhya Pradesh

9936. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have requested the Government of Madhya Pradesh to make available one and a half lakh acres of land for rehabilitation of refugees of Koda Bijapur area in Bastar district; and

(b) if so, the particulars in this regard?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Raghunath Reddy) : (a) & (b) The Government of Madhya Pradesh were requested in October, 1972 to release about one lakh acres of land in Bijapur area of Bastar district for the resettlement of about 10,000 families of displaced persons from former East Pakistan.

The reactions of the State Government to the proposal made, are still awaited.

सरकारी उपक्रमों द्वारा कृषि रसायनों के लिए गैर सरकारी वितरण प्रणाली का उपयोग

9937. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय से संबद्ध और कृषि रसायनों का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कृषि रसायनों के लिये स्थापित सरकारी वितरण प्रणाली का उपयोग करने के स्थान पर गैर सरकारी वितरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या 'हिन्दुस्थान जिंक' और 'हिन्दुस्तान कापर' कृषि रसायनों के लिये अपना स्वयं का संवर्धन और विपणन जाल बिछा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) से (ग) इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन किसी भी पब्लिक उपक्रम द्वारा ऐसा कृषि रसायन उत्पादित नहीं किया जाता है। शायद माननीय सदस्य का संकेत हिन्दुस्तान जस्ता लिमिटेड द्वारा उत्पादित उर्वरक और हिन्दुस्तान ताम्र के उर्वरक उत्पादन के प्रस्ताव की ओर है। उपर्युक्त दो उपक्रमों के अतिरिक्त नैवेली लिग्नाइट निगम और भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में तीन इस्पात संयंत्रों द्वारा भी उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। उपर्युक्त उपक्रमों के उर्वरकों के वितरण के संबंध में वर्तमान व्यवस्था निम्नलिखित है :—

हिन्दुस्तान जस्ता लिमिटेड : कम्पनी द्वारा, जिसका विपणन प्रभाग है, अपने सिंगल सुपरफास्फेट के उत्पादन को मुख्यत: सहकारियों के माध्यम से वितरित किया जाता है।

हिन्दुस्तान ताम्र लिमिटेड : कम्पनी द्वारा अपनी खेतड़ी ताम्र परियोजना में 1974 के पश्चात् ट्रिपल सुपरफास्फेट उत्पादित किए जाने की सम्भावना है। यह उर्वरक एक नया उत्पाद है और इसे कृषकों में विख्यात किए जाने की आवश्यकता है। ट्रिपल सुपरफास्फेट के विक्रय के लिए कम्पनी द्वारा अपने विपणन विभाग की स्थापना की जा रही है।

नैवेली लिग्नाइट निगम : 1969–70 के दौरान नैवेली लिग्नाइट निगम ने फर्टिलाइझर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटड जैसी पब्लिक कम्पनियों के साथ दीर्घावधिक संविदा करने की संभावना का समन्वेषण किया है लेकिन उत्तर के अभाव ने मैसर्स रेल्लीस इंडिया लिमिटेड के माध्यम से व्यवस्था की गई

थी। अब निगम ने अपनी द्वारा उत्पादित यूरिया के सीधे अपने थोक और खुदरा व्यापारियों के माध्यम से विपणन के लिये एक प्रायोजना तैयार की है और वह कार्यान्वयनाधीन है। मेसर्स रेल्लीज इण्डिया लिमिटेड के साथ व्यवस्था 12 जुलाई, 1973 को समाप्त होती है।

हिन्दुस्तान इस्पात लिमिटेड : भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में तीन इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित अमोनियम सल्फेट तथा राउरकेला में उर्वरक संयंत्र द्वारा उत्पादित कैलशियम अमोनियम नट्रेट को, कम्पनी द्वारा सहकारियों, राज्य विपणन अभिकरणों और प्राइवेट संगठनों के माध्यम से वितरित किया जाता है। संस्थागत अभिकरणों को अधिकतम सीमा तक उपयोग करने की दृष्टि से, इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित उर्वरकों के लिए एक उपयुक्त वितरण पद्धति तैयार करने का प्रश्न विचाराधीन है।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा उपभोक्ता मनोरंजन के इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों (गेंडगटस) का निर्माण

9938. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड का विचार उपभोक्ता मनोरंजन के इलैक्ट्रानिक्स उपकरणों का निर्माण करने का है ; और

(ख) इस क्षेत्र में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) उपभोक्ता मनोरंजन के विद्युतीय उपकरणों का निर्माण करने के लिए भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड अथवा हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में कस्टोडियनों की नियुक्ति के बारे में अपनाई गई कसौटी

9939. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत कोयला खानों में कस्टोडियनों की नियुक्ति करते समय सरकार ने किस कसौटी का अनुसरण किया था ;

(ख) क्या इस संबंध में बड़ी कोयला खान-मालिकों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) प्रबंध के प्रयोजनार्थ ग्रहीत खानों को 49 दलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक दल पब्लिक सेक्टर कोयला कम्पनी अथवा कोयला बोर्ड अथवा खान सुरक्षा के महानिदेशालय से आए अभिरक्षक के अधीन है। अभिरक्षकों की नियुक्ति के लिए तकनीकी कार्यक्षमता, प्रशासनिक योग्यता, सम्पूर्णता और समग्रतः उपयुक्तता को मापदण्ड के रूप में अपनाया गया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

भारत गोल्ड माईनिंग कम्पनी द्वारा सोने का उत्पादन

9940. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोने का सस्ते दामों पर उत्पादन बढ़ाने के मामले में भारत गोल्ड माईनिंग कम्पनी के० जी० एफ० ने क्या प्रगति की है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : कोलार स्वर्ण खानों में कई दशाब्दियों तक कार्य किए जाने के परिणामस्वरूप कम्पनी को उपलब्ध राशियों के क्षय और कार्यकरण की उच्च लागत की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा स्वर्ण के उत्पादन को वर्धित करने और लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) आर्थिकेत्तर निखननों में कार्य को रोक दिया गया है ;

(2) उत्पादनशीलता और दक्षता को सुधारने के लिए विद्यमान क्रियाकलाप को पुनः अनुसूचित करना ;

(3) बीसानाथन खान, रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र को पुनः खोलना ;

(4) खानों के, अर्थात नंदी दुर्ग में, और आगे समन्वेषण और विकास के लिए नई प्रायोजनाएं आरम्भ की जा रही है ;

(5) अयस्क की उपलब्ध राशियों में सुधार के लिए अयस्क के नए स्रोत अवस्थापित करना ;

(6) संक्रियात्मक दक्षता को वर्धित करने और लागत में कमी करने के लिए, 25 साइकिल शक्ति से परिवर्तित कर 50 साइकिल शक्ति करना, ताम्र कतरनों को बचाना इत्यादि जैसे अन्य कदमों का उठाया जाना।

रक्षा सामग्री का आयात

9941. **श्री बीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री एस० एन० मिश्र :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्ष 1972–73 में रक्षा सामग्री का आयात किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मात्रा तथा उसका मूल्य कितना है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उन वस्तुओं को देश में ही प्राप्त करने का है ; और

(घ) समस्त रक्षा सामग्री को स्वदेशी सूत्रों से कब तक प्राप्त किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां श्रीमन्, परन्तु यह अनिवार्य न्यूनतम मात्राओं तक ही सीमित है।

(ख) यह सूचना देना लोकहित में नहीं है।

(ग) केवल एसे मदों की आयात का ही सहारा लिया गया है जिनका तकनीकी अथवा आर्थिक तौर से उत्पादन सम्भव नहीं था और इसलिए देश में उपलब्ध नहीं थी।

(घ) अधिकतम आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी उत्पादन के क्षेत्र तथा सीमा का लगातार पुनरीक्षण किया जा रहा है।

रक्षा सेनाओं में रैंकों को समाप्त किया जाना

9942. **श्री मधु दण्डवते :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेनाओं में अधिक भावात्मक एकता तथा उत्तम वातावरण उत्पन्न करने के लिये सरकार का विचार रक्षा सेनाओं में चीन की भांति सभी रैंकों का समाप्त करने का है; और

(ख) इस प्रस्ताव पर रक्षा सेनाओं के अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी नहीं श्रीमन् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एच० एम० टी० घड़ियों का निर्माण और निर्यात

9943. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा वर्ष 1972–73 के दौरान, किस्मवार, कुल कितनी घड़ियों का निर्माण किया गया ;

(ख) कुल कितनी घड़ियां निर्यात की गई ; और

(ग) ये किन-किन देशों को निर्यात की गई ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) वर्ष 1972–73 की अवधि में एच० एम० टी० द्वारा निर्मित घड़ियों की किस्म-वार संख्या निम्न प्रकार है :—

1.	सोना	116971
2.	जनता	103977
3.	तरुण	13907
4.	जनता ल्यूमिनस	3725
5.	पायलट	25739
6.	जवाहर (सफेद डायल)	16689
7.	जवाहर (काला डायल)	8247
8.	सुजाता (पैराशाक)	11242
9.	नूतन	32945
10.	जवान	1
11.	आटोमैटिक डे-डेट (सफेद डायल)	4597
12.	आटोमैटिक डे-डेट (काला डायल)	4960
	योग	343000

(ख) और (ग) वर्ष 1972–73 की अवधि में कम्पनी ने संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, फिलीपाइन्स, तंजानिया, इंगलैण्ड, प० जर्मनी, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, पेरु, मैक्सिको, मलेशिया, इटली और स्विटजरलैंड को 2,332 घड़ियों का निर्यात किया ।

"लोएस्ट प्रियोरिटी टू स्टील फार रूरल हाऊस बिल्डिंग" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

9944. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 फरवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड' में 'लोएस्ट प्रियोरिटी टू स्टील फार रुरल हाउस बिल्डिंग' शीर्षक के अन्तर्गत समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) सरकार ने उल्लिखित समाचार देखा है ।

(ख) गांवों तथा ऐसे स्थानों, जो नगर पालिकाओं के क्षेत्र में नहीं है, में मकानों के बारे में वही नीति अपनाना व्यावहारिक नहीं है जिसका नगरों के बारे में पालन किया जा रहा है । अतः ऐसे आवेदनों को वास्तविक उपभोक्ताओं से प्राप्त हुए आवेदन माना जाता है और स्टाकयार्ड की वितरण प्रणाली के अनुसार उन पर माल दिया जाता है । यदि कठिनाई के बारे में कोई विशेष मामला लोहा और इस्पात नियंत्रक के ध्यान में लाया गया तो उसकी जांच की जाएगी ।

इस्पात के मूल्यों में एकरूपता

9945. **श्री एस० ए० मुरुगननतम** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा इस्पात के मूल्यों को एक समान कर दिया गया है और फिर भी इसके अभी तक चार प्रकार के मूल्य हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस्पात के मूल्यों में एकरुपता लाने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) इस्पात मूल्यों पर इस समय कोई कानूनी नियन्त्रण नहीं है। यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने इस्पात के मूल्यों को एक समान कर दिया है। परन्तु सरकार ने एक संयुक्त संयंत्र समिति की स्थापना की है और उन्हे मुख्य इस्पात उत्पादकों के उत्पादों के मूल्य निश्चित करने का अधिकार दिया है जो वे सरकार के परामर्श से निश्चित करते हैं । सरकार ने बिलेट पुर्नविलोक समिति की स्थापना भी की है और उनी बिलैटों से पुनर्वेलित उत्पादों के मूल्य निश्चित करने का अधिकार दिया है जो सरकार के अनुमोदन पर ही लागू होंगे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

Contract Workers in Textile Mills

9946. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of workers a textile mill can employ on contract basis ; and

(b) whether Government propose to abolish the contract system in textile mills; and

(c) if so, the time by which it would be abolished?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) The Contract Labour (Relgulation and Abolition) Act, 1970 applies to a textile mill if twenty or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as contract labour.

(b) & (c) The textile mills fall within the purview of the State Governments for the purposes of enforcement of the Contract Labour Act, 1970 and Rules framed thereunder. It is, therefore, for the State Governments to consider the question of abolition of Contract labour in textile mills in consultation with the State Advisory Contract Labour Boards.

आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-अफगानिस्तान संयुक्त आयोग

9947. **श्री श्रीकिशन मोदी :**

श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या मार्च, 1973 के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में दो देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई एक सप्ताह तक लम्बी वार्ता में भारत-अफगानिस्तान व्यापार और आर्थिक सम्बन्धों पर पुनर्विचार किया गया था ;

(ख) क्या दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-अफगानिस्तान संयुक्त आयोग की काबुल में हुई गत बैठक में उनके द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के बारे में विचार किया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) जी हां। दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने भारत अफगान संयुक्त आयोग की पहली तथा दूसरी बैठकों में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन की समीक्षा की।

(ग) यह गौर किया गया कि भारत-अफगान आर्थिक सहयोग के कृषि, सिंचाई एवं विद्युत, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस पर सहमति हुई कि इस वर्ष के दौरान क्रियान्वयन को और अधिक गतिशिल किया जाय।

Auction of Unserviceable Jeeps by Defence Department

9948. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of jeeps auctioned during 1970, 1971 and 1972 after being proved useless and the number of jeeps sold in each year and the revenues earned therefrom in each year;

(b) the price paid by the Defence Department for the jeeps which have been sold by them now and the number of years for which these were used by this department?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) The number of surplus Willys jeeps disposed of by auction through the DGS&D during the last three years and the sale proceeds therefrom are as under :

Year	No. of jeeps auctioned	Amount realised
		Rs.
1970-71	897	52,19,158.00
1971-72	495	37,57,290.00
1972-73	1,247	92,60,688.00

(b) Willys jeeps are discarded from service after completing the prescribed vintage and mileage. They are generally retained in service for ten years, before discard. The average purchase price of Willys jeeps, which have been discarded during the last three years, was Rs. 14,731.00 per jeep.

पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के दावों का न निपटाया जाना

9949. **श्री बी० वी० नायक** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के कितने मामलों में अभी तक मुआवजे के दावों का निपटान नहीं किया गया है ; और

(ख) उक्त दावों का निपटान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और इनका कब तक निपटान कर दिये जाने की सम्भावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) 1 अप्रैल, 1973 को पश्चिम पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से आए विस्थापित व्यक्तियों के अनिर्णित दावों के मुआवजों से संबंधित मामलों की संख्या नीचे दी गई है :—

(i) नए मामले	38
(ii) वे मामले जिन पर पुर्नविचार किया जाना है . .	3902
(iii) अप्रयुक्त लेखा विवरण	4507
(iv) जम्मू तथा काश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्रों तथा पश्चिम पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) में उत्तर पश्चिम सरहदी सूबे के आदिवासी क्षेत्रों के प्रवासियों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी से संबंधित मामले . .	197

(ख) इन सभी मामलों को अन्तिम रूप देने की निश्चित तिथि बताना कठिन है। फिर भी इन मामलों को यथाशीघ्र निपटाने के लिए हर प्रयत्न किए जा रहे हैं।

रक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए सहयोग

9950. **श्री बी० वी० नायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनके साथ भारत ने यहां अथवा उनके यहां रक्षा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये सहयोग समझौता किया है ; और

(ख) इस बारें में खर्च कौन वहन करता है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख)

(1) विदेश में भारतीय कार्मिकों को प्रशिक्षण :

विदेशों में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के थोड़े से कार्मिकों को प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है। सामान्यतः लागत भारत सरकार वहन करती है। किन्तु कुछ मामलों में पारस्परिक पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में ट्यूशन फीस तथा कुछ अन्य प्रभारों को वे देश वहन करते हैं।

(2) **विदेशी कार्मिकों का भारत में प्रशिक्षण :**

भारत सरकार की यह नीति है कि हमारी रक्षा स्थापनाओं में मित्र देशों के सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण सुविधा की व्यवस्था की जाए। जहां तक हमारा इन देशों के सहयोग तथा तकनीकी सहायता का कार्यक्रम है। प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के प्रयोजन के लिए इन देशों को तीन वर्गों में बांटा गया है। प्रथम वर्ग के देशों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण तथा अन्य प्रभार भारत सरकार के द्वारा पूर्णतया पूरे किए जाते हैं। दूसरे वर्ग के देशों के सम्बन्ध में भारत सरकार के द्वारा प्रशिक्षण की लागत आंशिक रूप में पूरी की जाती है तथा तीसरे वर्ग के मामले में सम्बन्धित देश प्रशिक्षण इत्यादी का पूरा व्यय वहन करते हैं।

(3) **भारतीय प्रशिक्षकों की विदेशों में प्रतिनियुक्ति :**

हम अपने प्रशिक्षकों को भी विदेशों में उन देशों की विशिष्ठ मांग पर सशस्त्र सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिनियुक्त करते हैं। हमारे प्रतिनियुक्त किए गए व्यक्तियों पर होने वाला व्यय सम्बन्धित देश वहन करते है।

(4) देशों के नाम बताना लोक हित में नहीं होगा।

क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों का असंतोष जनक कार्य

9952. **श्री सुधाकर पाण्डे :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालयों में भविश्य निधि का अद्यतन लेखा उपलब्ध नहीं है और कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने के पश्चात तथा अन्य अवसरों पर समय पर धन नहीं मिल पाता है ;

(ख) यदि हां, तो इन कठिनाइयों के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :—

(क) से (ग) कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के भविष्य निधि खातों को, केवल ऐसे खातों को छोड़कर जहां नियोजकों से अद्यतन राशियां और विवरणियां प्राप्त नहीं होती यथा सम्भव रूप से अद्यतन रखा जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की दायिता उसी सीमा तक सीमित है जिस तक कि निधि में अंशदानों को वास्तविक रूप से जमा किया जाता है।

नियोजकों से भविष्य निधि अंशदानों और विवरणियों को प्राप्त करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं :—

(i) कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अन्तर्गत अभियोजन चलायी जाती है।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1953 की धारा 8 के अन्तर्गत राजस्व वसूली कार्रवाईयां प्रारम्भ की जाती हैं।

(iii) उपयुक्त मामलों में, पुलिस/न्यायालयों में भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अन्तर्गत शिकायतें दायर की जाती है।

(iv) चूक को नियोजकों तथा कर्मकारों के संगठनों, जिनमें ट्रेड युनियन भी शामिल हैं, के ध्यान में लाया जाता है।

(v) कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14-ख के अंतर्गत दंडनीय क्षति पूर्तियां लगाई जाती हैं।

(vi) कुछ मामलों में, प्रतिष्ठानों को, पर्याप्त गारंटी, जमानत इत्यादि देय राशियों को किश्तों में अदा करने का मौका दिया जाता है।

(vii) ऐसी कपड़ा मिलों के मामले में, जो दिवालिया हो गई है, पुनर्निर्माण की योजनाओं की छानबीन गुण-दोष के आधार पर की जाती है।

दार्जिलिंग में घड़ियां बनाने का कारखाना

9953. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जीलिंग के पिछड़े पर्वतीय जिले में घड़ियां बनाने का कारखाना खोलने के लिए एक लाइसेंस जारी किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी, नहीं। घड़ी उद्योग ऐसा उद्योग नहीं है जो (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की तालिका में आता हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना

9954. **श्री ए० के० एम० इसहाक** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटा नागपुर डिवीजन और संथाल परगना जिले में कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण कर देने के कारण 5,000 से अधिक खनिज बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र में खान मालिकों द्वारा दिये गये उपदान सम्बन्धी लाभ

9955. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खाने बन्द हो जाने और छैटनी के बाद गैर-सरकारी क्षेत्र में खान मालिकों ने उपदान सम्बन्धी लाभों के रूप में कितनी धन-राशि दी है ; और

7—14 LSS(ND)/73

(ख) खान मालिकों को इस प्रकार के बेरोजगार श्रमिकों को उपदान का भुगतान करने के लिए मजबूर करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है। वह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

Extraction of sulphur-mixed Coal from Madhya Pradesh

9956. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme to extract sulphur-mixed coal from Madhya Pradesh at commercial level; and

(b) whether Government propose to provide assistance in carrying out feasibility study at 'Pilot Plant' level for converting the said variety of coal into unrefined synthetic?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda)

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

E.P.F. Scheme in Madhya Pradesh

9957. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state whether the Employees Provident Fund Scheme has not been applicable in a number of establishments in Madhya Pradesh from the date it was required to be made applicable but on the contrary this scheme has been introduced there at later dates and thus the owners have completely escaped from the responsibilities in regard to provident fund?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : The information is being collected by the Provident Fund Authorities. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Implementation of Loomba Committee's recommendations in Rourkela Steel Plant

9958. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether the recommendations of Loomba Committee have been fully implemented in Rourkela Steel Plant; and

(b) if not, the recommendations which are yet to be implemented there?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Subodh Hansda) : (a) & (c) Action has been taken by the Rourkela Steel Plant for implementation of the recommendations of the Committee.

Setting up of New Esis Hospitals in Madhya Pradesh

9959. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Central Government have given any amount for setting up new hospitals in Madhya Pradesh under the Employees State Insurance Scheme;

(b) if so, the amount given for the said scheme during the last three years; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : The Employees' State Insurance Corporation have furnished the following information :—

(a) and (b) The Employees' State Insurance Corporation have sanctioned the construction of a 75 bed Employees' State Insurance Hospital with Staff Quarters at Gwalior at an estimated cost of Rs. 19,96,400, out of which a sum of Rs. 10 lakhs was released to the State Government in April, 1973.

(c) Does not arise.

Strikes and Lockouts in Madhya Pradesh

9960. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased te State :

(a) whether there have been too many strikes and lockouts in Madhya Pradesh during the last three years;

(b) whether the largest number of labourers participated in labour agitations in Madhya Pradesh; and

(c) if so, the reasons therefor and the action taken by Government to remedy the situation?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) The attached statement summarises the available information about the number of industrial disputes (strikes and lockouts), number of workers involved and the number of mandays lost, state-wise, during 1970, 1971 and 1972, the figures for 1972 being provisional. [*Placed in Library. Se No. L. T.* 5039/73].

(b) According to available information, this is not so.

(c) Does not arise.

गैर-सरकारी क्षेत्र के एककों को इस्पात की सप्लाई

9961. **श्री डी० के० पंडा :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर सरकारी क्षेत्र के ऐसे एकक कौन-कौन से हैं और कहां-कहां पर स्थित है जिन्होंने पिछली चार तिमाहियों के दौरान 100 टन या इससे अधिक इस्पात का समान प्राप्त किया है ;

(ख) प्रत्येक एकक ने प्रत्यक तिमाही में अलग अलग कितनी कितनी मात्रा प्राप्त की ;

(ग) प्रायोजन अधिकारियों ने ऐसे प्रत्येक एकक को तिमाही बार कितने प्रतिशत सप्लाई की प्राथमिकता हेतु कितनी मात्रा की सिफारिशें की ; और

(घ) प्रत्येक तिमाही में ऐसे कितने आवेदन-पत्र प्रयोजित किये गये जिसको इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा कोई आवंटन नहीं किया गया ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) से (घ) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चित्तरंजन पार्क, नई दिल्ली में भूमि का किराया

9962. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चित्तरंजन पार्क पुनर्वास कालोनी, नई-दिल्ली में किराये की दर दक्षिण दिल्ली की समृद्धि सरकारी कर्मचारी आवास सहकारी कालोनियों के किराये की तुलना में बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त पुनर्वास कालोनी में भूमि की अधिग्रहण लागत पर भूमि किराये को निम्न दर पर पुन: निर्धारित करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) चित्तरंजन पार्क में प्रथम दस वर्षों के लिये भूमि के किराए की दर दक्षिण दिल्ली में सहकारी समितियों के लिए लागू दर से अधिक है। सहकारी समितियों में प्लाटों के एलाटियों को भूमि अर्जन की लागत के ऊपर अतिरिक्त भार को देना होता है और विकास की अवधि के अन्तर्गत लगाए गए धन पर ब्याज भी भरना पड़ता है, जबकि चित्तरंजन पार्क में प्लाटों का प्रीमियम भूमि अर्जन और विकास की वास्तविक लागत पर आधारित है जिसमें विकास की अवधि में ब्याज की अदायगी का कोई अंश शामिल नहीं है। तथापि, वित्तीय देयताओं की ठीक ठीक तुलना करना कठिन है ।

(ख) और (ग) चित्तरंजन पार्क में किराए की दर को कम करने का प्रश्न विचाराधीन है।

चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में अलाटियों द्वारा किश्तों का भुगतान

9963. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कालकाजी, नई दिल्ली के निकट पूर्वी पाकिस्तान विस्थापित कालौनी चितरंजन पार्क के बड़ी संख्या में अलाटी वित्तीय कारणों से समय पर भूमि के प्रीमियम की किश्त नहीं दे सके थे ;

(ख) क्या अलाटियों की कमजोर वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार भूमि के प्रीमियम की दर को कम करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ;

(ग) क्या सरकार ने ही प्रीमियम के भुगतान पर ब्याज माफ करने अथवा समाप्त करने की वांछनीयता पर भी विचार किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां। कुछ एलाटियों ने किश्तों के भुगतान में चूक की है ।

(ख) से (घ) चूंकि प्लाटों का एलाटमेंट अर्जन और विकास की वास्तविक लागत के आधार पर किया गया है अत: किस्तों की रकम में कमी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

चितरंजन पार्क में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से आए विस्थापित व्यक्तियों को जनवरी, 1966 और अगस्त, 1967 में जारी किए गए प्रेस नोटों में उल्लिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अनुसार प्लाट एलाट किए गए थे। प्रीमियम के किस्तों मे भुगतान करने की रियायत में ब्याज की अदायगी का शामिल किया जाना अनिवार्य है।

चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में बाजारों का निर्माण

9964. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन पार्क, नई दिल्ली में बाजारों के लिए निर्धारित की गई भूमि में सरकार ने दुकानें बनाना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने और विलम्ब किये बिना स्थानीय प्रशासन और नगर निगम से परामर्श करने अथवा उनके सहयोग से बाजारों के निर्माण की आवश्यकता, तथा अनुग्रहपूर्वक राहत उपायों और आर्थिक पुनर्वास के रूप में उक्त कालोनी को किराये पर अलाट करने पर विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) चित्तरंजन पार्क के नक्शे में 4 स्थलों को व्यापार तथा बाजार केन्द्रों के लिए निश्चित किया गया है। काफी संख्या में मकानों के बन जाने पर इन चारों स्थलों को नीलाम करने का निर्णय लिया गया था। यद्यपि मकान बनाने की प्रगति बहुत धीमी है परन्तु कुछ लोगों ने पहले ही इस कालोनी में रहना शुरू कर दिया है अतः इन चार स्थलों में से एक स्थल को बाजार तथा दुकान केन्द्र के विकास के लिए दिल्ली नगर निगम को हस्तान्तरित करने का निर्णय किया गया है। दिल्ली नगर निगम से हमारे उक्त प्रस्ताव के उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है।

कोयला खानों में उपदान योजना

9965. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपदान योजना के बारे में कानून बनने से पहले किन-किन कोयला खान मालिकों अथवा उनके मैनेजिंग एजेंटों ने उपदान योजना को स्वीकार कर लिया था ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : सूचना एकत्र की जा रही है। वह यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

विदेशियों द्वारा भारत के बैंकों में जमा राशियों पर आयकर की दर में कमी करने के लिये अनुरोध

9966. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी तथा अन्य देशों में स्थित भारतीय दूतावासों ने सरकार से हाल ही में अनुरोध किया है कि भारत-मूलक विदेशियों द्वारा भारत के बैंकों में जमा राशियों पर आयकर की दर में कमी की जाये ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्र संघ के एशिया तथा सुदूरपूर्व के देशों संबन्धी आर्थिक आयोग में बंगलादेश को शामिल किया जाना

9967. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र संघ के एशिया तथा सुदूरपूर्व के देशों सम्बन्धी आर्थिक आयोग की अभी हाल की मीटिंग में उक्त आयोग में बंगला देश को शामिल करने के लिए सरकार ने प्रयास किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव के बारे में अन्य एशियाई देशों का क्या आम रुख है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ने न्यूयार्क में सम्पन्न अपने 54 वें अधिवेशन में मान्य कार्यविधि के अनुसार एशिया तथा सुदूरपूर्व आर्थिक आयोग में बंगला देश के प्रवेश पर विचार किया। यद्यपि भारत इस परिषद का सदस्य नहीं है, फिर भी इस बारे में सकारात्मक निर्णय प्राप्त कराने में भारत ने अन्य मित्र देशों के साथ सहयोग किया।

(ख) इकाफे में बंगला देश के प्रवेश के लिए मंगोलिया ने एक प्रस्ताव का प्रारूप प्रस्तुत किया था। अनेक प्रतिनिधि मंडलों ने इसका समर्थन किया।

इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तथा इसके पक्ष में 21 और विपक्ष में एक (चीन) मत पडा। पांच (नाइजर, हेती, अल्जीरिया, बुरंडी तथा माली) ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

(ग) चीन तथा पाकिस्तान को छोडकर सभी एशियाई देश इकाफे में बंगला देश के प्रवेश के पक्ष में थे।

राज्य सरकार कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए प्रदर्शन

9968. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 राज्यों और संघों राज्य क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों ने 18 अप्रैल' 1973 को संसद भवन के सामने प्रदर्शन किया था और आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी और सेवा सुरक्षा तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान वेतन तथा उप. लब्धियों की मांग की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का सारांश क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) 19-4-73 को समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, 18 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की मांग के लिए 18 अप्रैल, 1973 को बोट क्लब पर एक रैली आयोजित की।

(ख) समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार, याचिका में की गई मांगों में जीवन निर्वाह मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि का पूर्ण निराकरण, 15 वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा निर्धारित किए गए मानकों के अनुसार आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन, 8.33 प्रतिशत के न्यूनतम बोनस की मंजूरी, अनुच्छेद 310 और 311(2)(ग) के अन्तर्गत बरखास्तगी के अधिकारों को रद्द करने; पूर्ण ट्रेड यूनियन अधिकारों की स्वीकृति, अत्याचार को समाप्त करने और संविधान के "असाधारण" अधिकारों के अन्तर्गत बरखास्त हुए कर्मचारियों की बहाली, की मांगे सम्मिलित थीं। ज्ञापन ने कुछ राज्य सरकारों के आदेशों को भी रद्द करना चाहा है जिन्होंनें सेवा निवृत्ति की आयु को निरंकुशता से कम करके 58 से 55 वर्ष कर दिया है।

(ग) यह राज्य सरकारों का कार्य है कि वे अपने कर्मचारियों के वेतन मानों और सेवा की अन्य शर्तों को विनियमित करें। जहां तक संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, तीसरे वेतन आयोग ने उनके वेतन मानों और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में सिफारिश की है । सरकार इन सिफारिशों की जांच कर रही है ।

अफ्रीकी-एशियाई एकता और अखिल भारतीय शान्ति परिषद् के निमंत्रण पर विदेशी प्रतिनिधिमंडलों की भारत यात्रा

9969. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अनेक प्रतिनिधि मंडलों (अल फतह और वियतनाम से राष्ट्रीय मुक्त मोर्चे आदि) ने अफ्रीकी-एशियाई एकता और अखिल भारतीय शान्ति परिषद के निमन्त्रण पर भारत की यात्रा की है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रतिनिधि मण्डल को वित्तीय सहायता दी है और या उन के स्वागत सत्कार और यात्रा व्यय वहन किए है; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस व्यय को किस शीर्षक के अधीन वहन किया ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई । फिर भी कुछ मामलों में जहां विदेशी अतिथि के स्तर और महत्व को देखते हुए स्थानीय आतिथ्य उचित समझा गया, वहां यह सहायता दी गई । इस प्रकार के विशिष्ट विदेशी अतिथियों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय रिवाज और शिष्टाचार के अनुसार इस प्रकार किये गये खर्च के ब्योरे प्रकाशित नहीं किए जाते और ऐसा करना जनहित में नहीं है ।

अफ्रेशियाई एकता सम्मेलन और अखिल भारतीय शांति परिषद् के पदाधिकारियों को निःशुल्क विमान टिकट

9970. **श्री एच एम० पटेल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक अवसरों पर अफ्रेशियाई एकता सम्मेलन और अखिल भारतीय शांति परिषद के पदाधिकारियों को निःशुल्क विमान टिकट दिए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सार्वजनिक कोष को हानि पहुंचाकर इन संगठनों के नेताओं को ऐसी सुविधाएं किस आधारपर दी गई हैं ; और

(ग) उन पदाधिकारियों के नाम क्या है जिन्हें अब तक निःशुल्क टिकट दिए गए है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने अफ्रीकी-एशियाई एकता सम्मेलन तथा अखिल भारतीय शांति परिषद के पदाधिकारियों को कोई निःशुल्क विमान टिकट नहीं दिया । हालांकि सरकार ने कुछ प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों को जिनमें संसद सदस्य भी शामिल थे— अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कुछ सहायता दी थी जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का लाभ उठाएं तथा भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करें।

(ग) नामों का उल्लेख जन हित में नहीं है ।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों का वेतन नियत करने के बारे में अनदेश

9971. **श्री मायावन :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा मुक्त किए गए आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अल्प सेवा कमिशन प्राप्त अधिकारियों की सिविल पदों पर नियुक्ति के अवसर पर उनके वेतन नियत करते समय उनकी सैनिक सेवा पर भी विचार करने के सम्बन्ध में सरकारी अनुदेश संबंध मन्त्रालय ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की जानकारी में लाए है और उसके द्वारा उनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा उनका पालन न करने का क्या कारण है; और

(ग) सरकारी उपक्रमों द्वारा उक्त अनुदेशों के तुरन्त अनुपालन के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऊपर भाग (क) के उतर को देखते हुए जहां तक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि० का सम्बन्ध है कोई विशेष कदम उठाने का विचार नहीं है ।

गैस सिलेण्डरों के लिये आयात लाइसेन्स

9972. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आक्सीजन, नाइट्रोजन और असेटीलीन सिलेण्डरों के लिये कुल कितने मूल्य के आयात लाइसेन्स बकाया है;

(ख) वे किस अवधि के लिये बकाया पड़े है और उनके आयात में क्या कठिनाइयां अनुभव की जा रही है, और

(ग) क्या ये वस्तुयें उन देशों से उपलब्ध की जायेगी जिनको रुपये का भुगतान किया जा सकता है और यदि नहीं, तो उन्हें अन्य साधनों से प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इनका आयात कब तक किया जायेगा ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) और (ख) गैस सिलेन्डरों का आयात करने के लिए जारी किए गए बकाया आयात लाइसेंसों का कुल मूल्य बताना और किस अवधि के लिए ये बकाया पड़े है वह बताना संभव नहीं है । किन्तु आक्सीजन और एसीटीलीन का आयात करने के लिए जारी किए गए लाइसेंसों का मूल्य और पार्टियों की संख्या नीचे दी जाती है—

अवधि	लाइसेंस का कुल मूल्य	पार्टियों की संख्या
अप्रैल–मार्च, 1972 . .	34,12,617 रुपये	7
अप्रैल–मार्च, 1973 . .	1,87,86,720 रुपये	17

(ग) ये वस्तुएं निसंदेह रुपया भुगतान वाले देशों से उपलब्ध हैं लेकिन कुछ आयातकों ने अभ्यावेदन दिया है कि रुपया भुगतान वाले देशों से सिलैन्डर प्राप्त करने में उनको कठि-

नाइयां हो रही है और अपने कथन की पुष्टि में इन देशों के खेद पत्र प्रस्तुत किए हैं। इसलिए उन्होंने अनुरोध किया है कि उन्हें गैर रुपया स्रोतों से सिलेन्डरों का आयात करने की अनुमति दी जाय। यह निर्णय किया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारत पम्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद, जिसे एच० पी० गैस सिलेन्डरों का निर्माण करने के लिए एक परियोजना स्थापित करने का काम सौंपा गया है। वास्तविक उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए जापान से 1973 के दौरान फिलहाल 30,000 गैस सिलेडरों का आयात करेगा। इन सिलेन्डरों की डिलीवरी कुछ महीनों से शुरू होने की आशा है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों मे गैस सिलैण्डरों का निर्माण

9973. **श्री नरेंद्रकुमार सांघी :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में आक्सीजन तथा एसीटीलीन के सिलेण्डरों के निर्माण की अनुमति नहीं दी है क्यों कि इनका उत्पादन केवल सरकारी क्षेत्र के लिये ही आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसे कितने सिलेण्डरों का निर्माण हुआ और उत्पादन की वर्तमान दर देश में बढ रही आवश्यकताओं को पूरा करने में किस हद तक सफल हुई है;

(ग) क्या तुरन्त आवश्यकता को पुरा करने के लिये सरकार को इन दो प्रकार के सिलेण्डरों का आयात करना पडा और उक्त अवधि में इनके आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई; और

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में इन सिलेण्डरों के उत्पादन की अनुमति देने का सरकार का विचार है ताकि सरकारी क्षेत्र में हो रहे उत्पादन को बढाया (सप्लीमेंट) जा सके और यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) चूंकि आक्सीजन तथा एसीटिलीन सिलेण्डरों का निर्माण करने के लिये सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता की आयोजना की गई है, इसलिये गैर-सरकारी क्षेत्र में और अधिक क्षमता उत्पन्न करने की अब कोई गुंजाईश नहीं है।

(ख) तथा (ग) इन सिलेण्डरों का निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है और फिलहाल देश की आवश्यकताएं आयात करके पूरी की जा रही है। आक्सीजन तथा एसीटिलीन सिलेण्डरों के आयात के पृथक आंकडे उपलब्ध नहीं है क्योंकि इन वस्तुओं का पुनरीक्षित भारतीय व्यापार वर्गीकरण में अलग से वर्गीकरण नहीं किया जाता है। फिर भी, 1970–71 से 1972–73 के दौरान सितम्बर 1972 तक विभिन्न प्रकार के कम्प्रेस्ट गैस सिलिण्डरों के आयात का कुल मूल्य नीचे दिया जाता है :—

1970–71	1971–72	1972–73 (सितम्बर, 1972 तक)
42,34,000 रु०	60,01,000 रु०	57,25,000 रु०

(घ) जी, नहीं।

Non-Deposit of E.P.F. by Globe Motors, Delhi

9974. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Globe Motors, Delhi has not deposited thousands of rupees which were contributed by its employees from their salary towards Provident Fund with the office of Provident Fund Commissioner, Delhi;

(b) if so, the amount yet to be deposited;

(c) whether there is great resentment among the employees on this account; and

(d) if so, the reasons for not depositing their provident fund amount so far, the action taken against the persons found guilty and the time by which the total amount would be realised?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : The Provident Fund Authorities have reported as under :—

(a) to (d) The management of M/s. Globe Motors Ltd., Delhi have defaulted in the payment of employer's share of Provident Fund contributions to the tune of about Rs. 20,000. No dues on account of arrears of employees' share of contributions are payable by them.

Legal action by way of revenue recovery and prosecution proceedings was initiated against the establishment from time to time but the Company got a Scheme of Arrangement for liquidation of arrears in instalments approved by the High Court of Delhi, which stayed the prosecution proceedings. The establishment has paid 4 instalments in accordance with the Scheme and has moved the High Court for the extension of period of payment of 5th instalment which has been opposed by the Employees' Provident Fund Organisation. The arrears are expected to be cleared by the 21st February, 1974, according to the Scheme of Arrangement.

पट्टाधारियों से पीपली कैम्पिंग ग्राउण्ड भूमि (कुरुक्षेत्र जिला) का लिया जाना

9975. **श्री दलीप सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 में जब पीपली कैम्पिग ग्राउंड (जिला कुरुक्षेत्र) मे मिलिट्री भूमि का पट्टा खत्म हो गया था तब उसका कब्जा पट्टाधारी से ले लिया गया था परन्तु वह अब भी क्या उस में खेती कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसको ऐसा किस प्राधिकार के अन्तर्गत करने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या सरकार इस भूमि का कुछ भाग इस पट्टाधारी को अब अलाट कर रही है, यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत; और

(घ) क्यां भूतपूर्व सैनिकों की कुछ समिति के आवेदन पत्र इस भूमि के आबंटन के लिए सरकार के पास लम्बित है और यदि हां, तो उनके निपटान का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम) : (क) से (घ) पीपली कैम्पिग ग्राउण्ड (जिला कुरुक्षेत्र) का नाप लगभग 68 एकड है । 31–5–1969 तक यह तीन व्यक्तियों के पास कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर था, हरेक के पास लगभग 22 अथवा 23 एकड भूमि थी। उसके पश्चात पट्टे का नवीनकरण नहीं किया गया। परन्तु पट्टेधारियों ने सैनिक सम्पदा अधिकारी को उसका कब्जा नहीं दिया और जिलाधीश, करनाल के न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया । मुकदमा खारिज कर दिया गया। पट्टाधारियों में से एक ने अपने अधीन भूमि को शान्तिपूर्वक खाली कर दिया। अन्य दो व्यक्तियों के विरुद्ध सार्वजनिक भूमि

(अनाधिकृत कब्जा करने वालों से खाली कराना) अधिनियम, 1971 के अधीन न्यायालय में कार्रवाई आरम्भ की गई। वे हरियाणा उच्च न्यायालय में चले गये जिसने सैनिक सम्पदा अधिकारी द्वारा कब्जा लिए जाने के विरुद्ध रोकने का आदेश देने से मना कर दिया। उसके ऊपर 12–7–72 को एकपक्षीय अधिकार कर लिया गया क्योंकि पट्टेधारी उपस्थित नहीं थे। क्योंकि भूमि पर फसल खडी थी अत: दोनों पट्टेधारियों को सरकार ने खडी फसल काटने के लिए लाइसेंस दे दिया। 9–11–72 को दोनो पट्टेधारियों में से एक ने उसके अधीन भूमि का कब्जा दे दिया।

2. दो पट्टेधारियों द्वारा इस प्रकार से खाली की गई लगभग 45 एकड भूमि पर-शिक्षण तथा कैम्पिग प्रयोजन के लिए एक सेना यूनिट को सौंप दी गई। तीसरे पट्टेधारी के अधीन भूमि का एक पक्षीय कब्जा 1–2–73 को ले लिया गया परन्तु लोकोपकारी आधार पर, विशेष मामले के रूप में, सरकार ने उसे खडी फसल काटने की आज्ञा दे दी। उसके पश्चात सरकार ने 1–5–73 से 2 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 10 एकड (उसके कब्जे में 23 एकड भूमि के प्रति) भूमि उसे पट्टे पर दे दी है।

4. कुछेक भूतपूर्व सैनिक सोसाइटियों, पीपली कैम्पिग ग्राउन्ड की पट्टे पर देने के लिए आवेदन दिए है। क्योंकि भूमि की आवश्यकता है और उस पर एक सैनिक यूनिट का कब्जा है, अत: इस भूमि को कृषि प्रयोजन के लिए अब पट्टे पर देने का प्रश्न नहीं उठता।

ब्रिटानिया इंजीनियरिंग वर्क्स, टीटागढ़ (पश्चिम बंगाल) को अपने नियंत्रण में लेना

9976. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटानिया वर्क्स, टीटागढ, 24 परगना, पश्चिम बंगाल को अपने नियन्त्रण में लेने के बारे में कोई निर्णय किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रुप रेखा क्या है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नही उठता।

बेप्टिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता का बन्द हो जाना

9977. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कलकत्ता स्थित बेप्टिस्ट मिशन प्रेस जो कलकत्ता में 24 भाषाओं वाला सब से बडा प्रैस है, प्रबन्धकों ने नवम्बर, 1972 से बन्द कर दिया है;

(ख) इस प्रैस को पुन: खोलने के लिये सरकार ने इस बीच क्या कार्यवाही की है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार, जो कि मुख्यत: संबंधित है, द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दि बैप्टिस्ट मिशन प्रेस, कलकत्ता, 13 नवम्बर, 1972 से बन्द पडा है। राज्य

श्रम निदेशालय का समझौता तंत्र इस प्रेत को पुनः खुलवाने के प्रयास करता रहा है। तथापि, राज्य औद्योगिक सम्पर्क तंत्र द्वारा किए गये प्रयासों के असफल होने की सूचना दी गई है।

चीनी मिल, अहमदपुर का बन्द होना

9978. **श्री गदाधर साहा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में अहमदपुर स्थित चीनी मिल, जो केन्द्रीय सहायता से स्थापित की गई थी, के बन्द होने के बारे में जानकारी है जिसके परिणाम स्वरूप बडी संख्या में कर्मचारी और उनके परिवार प्रभावित हुये है, यदि हां, तो मिलके बन्द होने के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारियों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पडा है; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निश्चित निर्णय कर लिया है अथवा इस मिल को पुनः खोलने और बेरोजगार कर्मचारियों को रोजगार देने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को एक निश्चित कार्यक्रम अपनाने का परामर्श दिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) और (ख) सूचना प्राप्त की जा रही है।

नेपाल में भारत से आयात के लिए परमिटों के वितरण पर नियंत्रण

9979. **डा० हरिप्रसाद शर्मा :**

श्री मूल चन्द डागा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में भारत से आयातित विभिन्न किस्मों की वस्तुओं के लिये परमिटों का वितरण करने का काम अपने हाथ में लेने के लिये नेपाल सरकार ने अभी हाल में नेपाल स्थित भारती दूतावास से मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उस सरकार ने अपनी मांग के समर्थन में क्या कारण दिये है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेंद्र पाल सिंह) : (क) और (ख) उन भारतीय वस्तुओं की नेपाल को आपूर्ति, जिनकी भारत में स्वयम कमी है, कोटा पद्धति पर विनियमित की जाती है। इनमें से अधिकांश कोटे नेपाल की महामहिम सरकार के व्ययन पर हैं। कुछ मदों का थोडा प्रतिशत भारत के राजदूतावास, काठमांड द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जो राजदूतावास के पास सीधे आवेदन करते हैं।

नेपाल की महामहिम सरकार ने अनुरोध किया है कि समस्त कोटा वस्तुओं की आपूर्ति उनके माध्यम से ही होनी चाहिए। नेपाल की महामहिम सरकार के अनुसार यह नेपाल की वर्तमान विकास आवश्यकताओं के अनुकूल होगा।

इस मामले पर महामहिम सरकार से अविलंब बातचीत होगी।

मैसर्स इंडियन कापर कारपोरेशन, चाइना क्ले एण्ड आयरन और माइन्स में ठेकेदारों के श्रमिकों पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू करना

9930. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स इण्डियन कापर कारपोरेशन लिमिटेड, घाटशिला, जिला सिंह भूमि और चाइना क्ले माइन्स एण्ड आयरमैन और माइन्स में काम पर लगे ठेकेदारों के श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि, 1952 के अन्तर्गत नहीं लाया गया है; और

(ख) क्या जुग सलाई, जमशेदपूर में और इसके आसपास कई इंजीनियरिंग स्थानों को भली भांति तथा पिछली तिथि से कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत नहीं लाया गया है, और यदि हां, तो कर्मचारी भविष्य निधि को उस तिथि से, जब से इसे वसूल किया जाता है, उन संस्थानों पर पुन: लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : भविष्य निधि प्राधिकारियोंने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) मैसर्स इंडियन कापर कार्पोरेशन लि० (जिसका नाम अब हिन्दुस्तान कापर लि० है) घाटशिला, के नौ ठेकादारों के प्रतिष्ठानों में से दो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम / योजना के अन्तर्गत आते है और बीकी के सात प्रतिष्ठानों के सीमा क्षेत्र की जांच की जा रही है । अन्तर्गत लाने योग्य 13 चाइना क्ले खानें और 21 लौह अयस्क खानें कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 और योजना की सीमा में लाइ गई है । सभी पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया है ।

(ख) जुगसलाई - जमशेदपूर में और उसके आसपास के अन्तर्गत लाये जाने योग्य 52 इंजीनियरी प्रतिष्ठानों में से 44 को भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 की सीमा में नियत तिथियों से लाये गये है । अन्य 8 मामलों को, जिनमें नियोजक रिकार्ड पेश करने में असमर्थ रहे, अन्तिम रूप से अधिनियम और योजना के अन्तर्गत लाया गया है । इन मामलों के शीघ्र ही अन्तिम रूप दिये जाने की संभावना है ।

Duty roster and select list for promotion of S.C. and S.T. Regional Inspectors in E.P.F.O.

9981. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the name and designation-wise particulars of the prescribed roster and select list prepared in compliance with the instructions of the Ministry of Home Affairs for promotion of the officers belonging to Scheduled Classes to the posts of Regional Inspectors; Grade I and Grade II in the Employees Provident Fund Organisation;

(b) the number of such inspectors belonging to Scheduled Classes as have been confirmed under reservation in confirmation and as have been given opportunities of officiating promotion in higher posts in compliance with the orders of the Ministry of home Affairs indicating the names and particulars thereof; and

(c) the names of the inspectors belonging to Scheduled Classes who have been given benefit of reservation in seniority in compliance with the latest orders of the Ministry of Home Affairs indicating the particulars thereof?

The Deputy Minister in the ministry of Labour and Rehabilitation (Shri G. Venkatswamy) : (a) to (c) The information is being collected by the Provident Fund authorities. It will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Large Deposits of Uranium in Chamoli District, U.P.

9982. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether largest deposits of uranium in the world have been found in Pokhari Region of district Chamoli, Uttar Pradesh;

(b) if so, the acreage of the area in which it has been found and the names of the village coming under it; and

(c) whether any scheme has been formulated in regard to its mining and if so, the salient features thereof?

The Deputy Minister in the ministry of Steel and mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) & (b) Small occurrences of uranium have been found to occur around Pokhari at a number of places such as Tunji, Deothan, Gwinalakhal and Khetarpal in Chamoli district (Garhwal), but so far no economically workable uranium lode has been found.

(c) Drilling is continuing in the area in an effort to explore for possible occurrence of large and workable concentrations of uranium in the shear zones. It will take some time before a clear picture of mineralization becomes avaliable from the current exploration effort.

मैसर्स आलडक्ट इंडिया, सिकन्दराबाद द्वारा बकाया राशि का भुगतान

9983. **श्री महादीपक सिंह शाक्य :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आलडक्ट इंडिया, सिकन्दराबाद को श्रम विभाग द्वारा हाल ही में निदेश दिया गया है कि वह बकाया राशि का भुगतान कर दे ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राशि वसूल कर ली गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रशासन का विचार उक्त फार्म के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स आलडक्ट इंडिया, सिकन्दराबाद द्वारा श्रमिक कानूनों का पालन न करना

9984. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री मैसर्स आलडक्ट इंडिया, सिकन्दराबाद द्वारा श्रमिक काननों का पालन न करने के बारे में 7 दिसम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्नसंख्या 3515 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स आलडक्ट इंडिया, सिकन्दराबाद द्वारा श्रमिक काननों का पालन न करने के बारे में श्रम आयुक्त, हैदराबाद का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

विदेशों से भारत लौटे व्यक्तियों को गुजरात में बसाने के लिये धन का आबंटन

9985. **श्री बेकारिया :**

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार गुजरात को विदेशों से भारत लौटे व्यक्तियों को बसाने के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ;

(ख) यह राशि किन पुनर्वास कार्यक्रम पर व्यय की गई है ; और

(ग) ये व्यक्ति किन-किन देशों से भारत आये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) कुल राशि 3.42 लाख रुपये है। वर्ष-वार विभाजन नीचे दिया गया है :—

	(लाख रुपयों में)
1970–71	1.18
1971–72.	2.19
1972–73.	0.05
योग .	3.42

(ख) और (ग) बर्मा से आए प्रत्यावासियों को व्यापार/व्यवसाय ऋण मंजूर कर के पुनर्व्यवस्थापन देने के लिए 3.00 लाख रुपये दिए गए थे। बर्मा से आए प्रत्यावासियों को राहत सुविधाओं की व्यवस्था पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में 2,000 रु० दिए गए थे।

मोजाम्बिक से आए प्रत्यावासियों में से विधवाओं, यतीमों तथा अपंग व्यक्तियों के, जो दयनीय स्थिति में थे, भरण-पोषण भत्ते पर राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च के 40,000 रु० आंशिक प्रति पूर्ति के रूप में दिए गए थे।

इण्डियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड द्वारा अपने देश को भेजी गई राशि

9986. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) 1968-69 से 1971-72 तक इण्डियन ट्यूब कम्पनी लि०, कलकत्ता की वर्षवार प्रदत्त पूंजी कितनी-कितनी थी ;

(ख) इन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उक्त कम्पनी द्वारा कितने प्रतिशत लाभांश की घोषणा की गई ;

(ग) लाभांश के रूप में उसने प्रत्येक वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अपने देश में भेजी ; और

(घ) क्या 1969-70 के बाद इस कम्पनी का निर्यात लगातार घटता जा रहा है और लाभांश के रूप में भेजी जाने वाली राशि लगातार बढ़ती जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :

वर्ष	चुकता पूंजी	लाभांश की प्रतिशतता	पौंड स्टर्लिंग में प्रेषित राशि
1	2	3	4
	रु०		पौंड
1-1-68 से 31-12-68 तक	7,95,48,020	8 प्रतिशत	106,244
1-1-69 से 31-12-69 तक	7,95,48,220	10 प्रतिशत	156,374
1-1-70 से 31-3-71 तक . . .	7,95,48,830	20 प्रतिशत	286,228
1971-72	7,95,48,830	16 प्रतिशत	182,927 (उनके शेयर होल्डरों मै० स्टीवार्टस और लायड्स लि०, यू० के० द्वारा देय कुछ आय-कर देयताओं के समंजन के पश्चात्)

(घ) जी, हाँ। आयात लें कमी विभिन्न कारणों जैसे कच्चे माल की कमी, गैल्वानाइज्ड ट्यूबों के बारे में कंपनी के समक्ष आई कुछ तकनीकी संबंधी समस्याओं इस्पाती ट्यूबों के लिये अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में नीचा रुख आदि से हुई। उसी समय कंपनी देश में अपनी बिक्री में वृद्धि करने में समर्थ हो गई थी, जिसके परिणामस्वरूप लाभांश में वृद्धि हुई।

दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र के मिश्र उत्पाद का पुनरीक्षण

9987. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र के मिश्र उत्पाद (प्रोडक्ट मिक्स) के पुनरीक्षण का काम पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पुनरीक्षण के क्या परिणाम निकले है ; और

(ग) पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर सरकार का कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुनरीक्षण समिति की सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की संभावना है और सरकार उन

भारत और चीन के बीच व्यापार

9988. **श्री देवेंद्र सिंह गरचा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत ने चीन के साथ पुनः व्यापार चालू करने की पेशकश की है ; और

(ख) यदि हां, तो पीकिंग से इस बारे में क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने चीन के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में उससे व्यापार संबंधों के नवीकरण के लिए बराबर इच्छा व्यक्त की है ; किंतु चीन की अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है ।

पश्चिम बंगाल सरकार का हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय

9989. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल सरकार के हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में जनता की प्रतिक्रिया की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो अन्य राज्य सरकारों से भी कहा गया है कि वे भी इस निर्णय को आदर्श के रूप में अपनायें ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

वनस्पति घी और चीनी की अनुपलब्धता और उनकी कीमतों में असाधारण वृद्धि

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : यह एक ऐसा विषय है जिसपर यह सभा तथा सारा देश चिन्तित है । हम चाहते है कि इसपर चर्चा का मौका दिया जाये ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : हमने भी इस बारे में नोटिस दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए एक पृथक नोटिस दे सकते है ।

श्री नवल किशोर सिन्हा (मुजफ्फरपुर) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें ।

"पंजाब, दिल्ली और देश के अनेक अन्य भागों में वनस्पति और चीनी की कीमतों में असाधारण वृद्धि तथा अनुपलब्धता ।"

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, चीनी की आंशिक नियन्त्रण की मौजूदा नीति विशेषतया चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार की गई थी ताकि चीनी कारखाने गन्ने का अधिसूचित मूल्य से अपेक्षाकृत ऊंचा मूल्य दे सकें । इस नीति के अधीन देश में

8—14 LSS(ND)/73

[प्रो० शेर सिंह]

उत्पादित चीनी का 70 प्रतिशत मुख्यतया घरेलू उपभोक्ताओं में वितरण करने के लिए अधिग्रहण किया जाता है जिससे उनकी जरूरतों का उचित अनुपात पूरा किया जा सके और शेष 30 प्रतिशत उत्पादन को खुले बाजार में बेचने की इजाजत दी जाती है। सरकार ने पहली अक्तूबर, 1972 से देश भर में समान मूल्य पर लेवी चीनी बेचने के लिए एक योजना लागू की है। प्रारम्भ में निर्गम मूल्य 2 रुपये प्रति किलो था और पहली दिसम्बर, 1972 से बढ़ाकर इसे 2.15 रुपये कर दिया गया है। लेवी चीनी का थोक व्यापार भी पहली जनवरी, 1973 से ले लिया गया है और अधिकांशतः यह व्यापार भारतीय खाद्य निगम और कुछ राज्यों में सहकारी समितियों जैसी अन्य सरकारी एजेंसियों को सौंप दिया गया है।

2. जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, विभिन्न राज्य सरकारों को चीनी का आबंटन युक्ति-युक्त आधार पर किया जाता है जोकि जनसंख्या और पिछली खपत प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। राज्य में लेवी चीनी का वितरण राज्य सरकारों को सौंपा गया है। केन्द्रीय सरकार ने वितरण के लिए व्यापक निदेश दिए है अर्थात किसी व्यक्ति को एक किलो प्रति मास से अधिक चीनी नहीं मिलेगी और किसी परिवार को एक किलो प्रति मास से कम चीनी नहीं मिलेगी। राज्यों में उपभोक्ताओं (ग्रामीण तथा शहरी दोनों) को लेवी-चीनी का वितरण, कुल मिला कर, संतोषजनक ढंग से हो रहा है।

3. गर्मी के महीनों में चीनी की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने सामान्य मासिक निर्मुक्ति के अलावा मई और जून के प्रत्येक महीने के लिए 20,000 मीटरी टन लेवी चीनी आबंटित की है। दिल्ली के बारे में, दिल्ली प्रशासन को मौजूदा राशन यूनिटों के आधार पर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चीनी का पूरा कोटा आबंटित किया गया है ताकि वे 900 ग्राम प्रति मास के हिसाब से चीनी वितरित कर सकें। दिल्ली प्रशासन ने उपभोक्ताओं को चीनी देने के लिए पहली मई, 1973 से महिने में दो बार चीनी सप्लाई करने की प्रणाली शुरु की है जबकि उससे पहले साप्ताहिक प्रणाली लागू थी। यह आशा की जाती है कि अधिक आबंटन और नई वितरण प्रणाली से दिल्ली में उपभोक्ताओं को अपना चीनी का राशन लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

4. खुले बाजार में चीनी का थोक मूल्य, जो कि सितम्बर, 1972 में बहुत ही ऊंचा पहुंच गया था, दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के प्रमुख शहरों में 367 रुपये और 408 रुपये प्रति क्विंटल के बीच भिन्न-भिन्न रहा और जो विशेषतया मार्च, 1973 के दौरान गिरना शुरू हो गया, जिसके अन्त में मूल्य 327 से 354 रुपये प्रति क्विंटल के बीच भिन्न-भिन्न थे। गर्मी शुरू होने से मूल्य बढ़ने शुरू हो गये और अप्रैल के अन्त तक मूल्य 350 से 370 रुपये प्रति क्विंटल तक भिन्न-भिन्न थे और 7 मई, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह को विभिन्न मंडियों में मूल्य 352 से 383 रुपये तक और चढ़ कर स्थिर हो गए। सरकार ने प्रत्येक मई और जुन के गर्मी के दो महीनों के लिए अतिरिक्त 20,000 मी० टन लेवी चीनी आबंटित की है और यह अतिरिक्त सप्लाई अब उपभोक्ताओं तक पहुंच रही है और आशा है कि इससे कुछ हद तक खुले बाजार के मुल्यों की बढ़ोतरी की प्रवृत्ति का सामना होसकेगा। तथापि, सरकार स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं और जब कभी आवश्यक समझेगी उपयुक्त उपाय करेगी।

5. क्योंकि 1972-73 मौसम में अप्रैल, 1973 के अन्त तक चीनी का उत्पादन पहले 36.5 लाख मी० टन से भी अधिक हो गया है और आशा है कि यह सितम्बर के अन्त तक 38 लाख मी० टन तक पहुंच जाएगा और क्योंकि आगामी वर्ष के लिए चीनी के उत्पादन की सम्भावनाएं बहुत ही उत्साहवर्धक है; इसलिए मानसून के शुरू से खुले बाजार में चीनी के मूल्य हर हालत में गिरने शुरू होने चाहिएं।

6. जहां तक वनस्पति का सम्बन्ध है पिछले कुछ वर्षों में सप्लाई स्थिति सामान्यतया संतोषजनक रही है और हाल ही के दिनों तक यह उत्पाद नियंत्रित मूल्यों और कभी-कभी उससे कम मूल्यों पर उपलब्ध रहा है। 1970 और उसके बाद के वर्षों में उद्योग की स्थापित क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होने और उसके द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक बाजार स्थिति पैदा करने के कारण अधिकांशतः ऐसा हो पाया था।

7. तथापि, नवम्बर, 1972 से वनस्पति की पैदावार को बहुत धक्का पहुंचा है औरइस समय उद्योग अपने लगभग 50,000 मीटरी टन के सामान्य उत्पादन के 70-75 प्रतिशत पर कार्य कर रहा है। उत्पादन को धक्का पारस्परिक कुछेक बातों के कारण पहुंचा था जिनमें ये भी शामिल है (1) देशी कच्चे तेलों की अनुपलब्धता, लेकिन मूंगफली के उत्पादन में काफी कमी होने के कारण वह अत्यधिक ऊंचे मूल्य पर उपलब्ध था ; (2) आयातित तेल के स्टाक का प्रायः समाप्त हो जाना और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई स्थिति कठिन होने के कारण नयी सप्लाई की प्राप्ति में विलम्ब होना ; और (3) बहुत सारे राज्यों में इस समय चल रही बिजली की कमी होना जिससे न केवल वनस्पति की पैदावार पर ही प्रभाव पड़ा है बल्कि वनस्पति में प्रयुक्त होने वाले देशी तेलों पर भी प्रभाव पड़ा है।

8. इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा बराबर किए जा रहे प्रयत्नों के बावजूद भी पिछले कुछेक महीनों में स्थिति बिगड़ी है। उत्तरी क्षेत्र में सम्बन्धित राज्यों में प्रायः सभी कारखाने कम क्षमता पर कार्य कर रहेहैं। इस समय कुछ कारखाने बन्द पड़े है। डी० सी० एम० केमिकल वर्क्स के वनस्पति कारखाने में, जो कि देश का एक सबसे बड़ा कारखाना है, कपड़ा मिल कर्मचारियों की सहानुभूति में, कर्मचारियों द्वारा अचानक हड़ताल कर देने के कारण 30 अप्रैल को उत्पादन बंद कर देने से स्थिति और भी बिगड़ गई। जैसा कि सदन को पता ही होगा, हड़ताल समाप्त हो चुकी है और कारखाने में शीघ्र ही उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

9. विशेषतया उत्तरी क्षेत्र में किसी न किसी कारण उद्योग के अधिकांश भाग में उत्पादन कम होने के परिणामस्वरूप बनस्पति प्रयोग करने वाले उपभोक्ताओं द्वारा उठाई जा रही कठिनाइयों के प्रति सरकार अच्छी तरह जागरूक है और सामान्य स्थिति लाने के लिए सक्रियता से आवश्यक उपाय करने का पता लगा रही है। अभी अभी प्राप्त कुछ 15,000 मीटरी टन आयातित तेल को कारखानों को तेजी से भेजा जा रहा है और वनस्पति उद्योग द्वारा प्रयोग करने हेतु 50,000 मीटरी टन और तेल आयात करने के लिए भी आर्डर दे दिया गया है।

10. सरकार को समाचार पत्रों तथा अन्य साधनों से पता चला है कि वनस्पति अधिसूचित मूल्यों से अधिक मूल्यों पर बेचा जा रहा है। ऐसी रिपोर्टों को सामान्यतः सम्बन्धित राज्य सरकारों के ध्यान में लाया जाता है ताकि वे चूककर्त्ता लोगों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकें। तथापि, सरकार को वनस्पति निर्माता एसोसिएशनों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उनके सदस्य कारखाने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचने के लिए, पिछले वर्ष की मांग के अनुसार, सभी राज्य सरकारों की वनस्पति सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त आवश्यकताओं को एसोसिएशन को बता दिया गया है ताकि वे वनस्पति सप्लाई करने की व्यवस्था करें। यह आशा की जाती है कि वनस्पति की पैदावार में प्रत्याशित सुधार होने से और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण की प्रणाली के कार्यान्वयन से, दिल्ली, पंजाब और देश के अन्य भागों के उपभोक्ताओं द्वारा इस समय उठायी जा रही कठिनाइयां शीघ्र ही दूर हो जायेंगी।

श्री नवल किशोर सिन्हा (मुजफरपुर) : समूचे देश में उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो प्रयास किये जा रहे हैं मैं उनकी सारहना करता हूं। परन्तु माननीय मंत्री ने जो व्याख्या की है तथा अधिक्रम बताया है उससे किसी को संतोष नहीं होगा।

गत एक वर्ष में मूल्य सूची में 213 से बढ़कर 267 हो गया है। आज के इकनामिक महत्व में छपा है कि इस में प्रतिदिनि एक प्वांयट की वृद्धि हो रही है, मुंगफली के तेल में दिन प्रतिदिनि वृद्धि हो रही है। वनस्पति का उत्पादन 50,000 टन से कम होकर 37,000 प्रतिमास रह गया है।

[श्री नवल किशोर सिन्हा]

अबतक तीन लाख चीनी बाजार में भेजी गई है परन्तु इस पर भी उसके मूल्य बढ़ गये हैं। अधिकांश लोग खुले बाजार से चीनी लेकर ही अपनी गुजर करते हैं। ऐसा लगता है कि चीनी के उत्पादन से वृद्धि में भी उपभोक्ताओं की कठिनाइयों से कमी नहीं हुई है। माननीय मंत्री का वक्तव्य संतोष जनक नहीं है, मैं यह जानना चाहता हूं कि खाद्य सामग्री की अपेक्षित कमी का ठीक ठीक पता लगाने तथा इसका मुकाबला करने के लिए पहल से ही पर्याप्त कार्यवाही करने के सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अत्यावश्यक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरा स्थान पर ले जाने पर अधिक सतर्कता बरतने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दक्ष बनाने तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि स्थानीय पर्यवक्षी समिति में सदस्य का प्रयत्नशील योगदान हो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

मैं समिति के सदस्यों से मिला हूं और मुझे पता लगा है कि वितरण के मामले में अधिकारी गण उनकी बात नहीं सुनते। बनस्पति के राष्ट्रीयकरण के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि वह राज्यों में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि इसके कारण क्या है ? सरकार ने धागे के राष्ट्रीयकरण के मामले में राज्यों से किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं की थी। नियंत्रित चीनी की बाबत में अधिक मूल्यों पर बिक रही है। इसका कारण यह है कि हम पर कोई उचित जांच पड़ताल नहीं की जाती है ? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का विचार दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

प्रो० शर सिंह : हमने मई में भी तथा जून में भी 20,000 टन वसूली की अधिक चीनी बाजार में ली है, मई में दी गई चीनी अब उपभोक्ताओं के पास पहुंचनी आरम्भ हो गई है। हम स्थिती पर निगाह रखे हुए हैं और यदि मूल्यों में वृद्धि होना शुरू हो गया तो हम और अधिक चीनी बाजार में देने पर विचार करेंगे। आजकल विवाह हो रहे हैं इसलिए भी चीनी की मांग अधिक है। वसूली चीनी का मूल्य 2.15 रुपये प्रति किलो नियत किया गया है। जहां तक खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी का सम्बन्ध है इसके मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं है, दोनों प्रकार की चीनी की बिक्री के लिए पृथक पृथक दुकानें है।

जहां तक बनस्पति का सम्बन्ध है दिसम्बर में हमें पता लगा था कि इसकी कमी होने वाली है और इसके लिए हमने एसोसियशन से कहा था कि वह हमें कुछ माल दे जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बेचा जा सका इस बारे में राज्यों में उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछा गया था, कुछ राज्यों ने जानकारी दे दी है परन्तु कुछ ने नहीं दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सिन्हा ने कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं। आप उनका उत्तर दीजिए।

प्रो० शेर सिंह : हमने राज्यों को लिखा है कि वनस्पति को अधिक मूल्य पर बेचने वालों के विरुद्ध वे कठोर कार्यवाही करें।

चीनी पर आंशिक नियंत्रण लगाने का निर्णय अगस्त 1972 में किया गया था और इसके परीणाम सामने आने आरम्भ हो गये हैं। गन्ना उगाने वालों को अब अधिक मूल्य मिल रहा है और वे अधिक गन्ना मिलों को दे रहे हैं; चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई है और आशा है कि यह 38 लाख का हो जायेगी। जहां तक चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है हम चीनी जांच आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे है। वनस्पति के व्यापार के सरकारीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

हमने राज्यों को कहा है कि वे राज्य स्तर पर मंत्रणा समिति बनाये ताकि वितरण पर निगाह रखी जा सके।

Shri Hari Singh (Khurja) : Mr. Deputy Speaker, Sir, today the prices of essential commodities are shooting up and Government is also taking drastic steps in this direction. The most effective way of arresting the price-rise is controlling blackmoney and recovery of income-tax. Our Government has only the other day taken concrete steps in this regard and they deserve to be congratulated for that. But the black money cannot be controlled unless there is demonetisation. The prices of essential commodities are going up and depsite commendable steps taken by Government, the administration remains slack resulting in creation of artificial scarcity by hoarders. I do not want to entangle myself in the maze of figures and statistics. It appears only on papers that there is scarcity because if you go to the market and are prepared to pay the high price demanded of you, you can get whatever you want in as much as quantity as desired. In these circumstances Government cannot exercise any control on rising prices.

Besides this, the opposition parties also want Government to remain helpless so that they may spoil the image of the ruling party. They never oppose the hoarders nor will they demonstrate against them. They will take out procession only against the Government. .. (*Interruption*).

May I know whether the U.P. Government has sent a proposal to the Central Government regarding nationalisation of Sugar Mills in State and if so the reasons for the Governments sitting over it and the decision if any taken thereon?

Secondly, may I know the extent of stock of Dalda with the manufacturers whether it is a fact that they are not supplying Dalda to their agents and forward trading is going on in Bombay in the oil used in manufacture thereof and whether, Government would take action to curb this illegal trade? May I know whether Government have raided the establishments of hoarders in the country and if so, the name and number thereof and the quantity recovered therefrom?

Today Sugar is freely available in the open market but required quantity is not made available at the ration shops and even if it is available it is very dirty. I want to draw Government's attention towards this and want to know whether Government would frame any national pricing policy so that there is no difficulty in getting essential goods ? Will the Government would build a buffer stock of such essential commodities as Dalda so that it may withstand prices' shock ?

Shri Sher Singh : Sir, the hon. Member has raised three or four questions.

Regarding proposal from U.P. Government, re: nationalisation of sugar industrys, I may state that such a proposal has been received and it is under consideration by Home Ministry.

Shri Narsing Narain Pandey (Gorakhpur) : Since when?

Shri Sher Singh : As I stated, it is being considered by the Home Ministry.

Secondly he referred to hoarding. It is true that hoarding is done with the help of black money. We have been informed that they are using this money in hoarding after the taking over of wholesale grain trade. We have written to the State Government to take drastic steps against hoarding.

Thirdly, he referred to dirty sugar at ration shops. If he makes pointed reference of a particular place, we shall investigate (*Interruption*) and take action if that party is found guilty.

Shri Bhan Singh Bhaura (Bhatinda) : I have heard and read the statement made by the hon. Minister. Such statement which are prepared in air-conditioned rooms have no bearing on reality. The steps proposed therein would not bring down the prices and neither would people get things. First of all it should have been admitted that Government have failed to keep the prices stable and check black-marketing. This failure should be admitted.

[Shri Bhan Singh Bhaura]

Regarding sugar, it has been said in the statement that—

It is said that in Delhi, the monthly sugar quota is 900 grams but in villages even 500 grams is not being supplied. So where is your guideline ? It is nowhere. The supply meant for sugar co-operative Store also sells in the black market. Why should this not be so when it is sold at Rs. 4 per killos in the next shop as against Rs. 2 per killos in the ration shop ? Out of 100 bags of sugar, 50 go in the black market because your officers are in collusion with them and you have never looked into this matter. Not even a singal official has been apprehanded. I, therefore want to know what agreement has been entered into by your officials with sugar mills. Does that provide that 70 percent is for distribution through fair price shops and 3 percent is for open sale ? That is why sugar is selling at more than Rs. 4 per kg. today.

Now regarding vegetable ghee, it is not available in Punjab and elsewhere. Mustard oil is also selling at 6000 rupees a quintal. Even this is not freely available. What is Agriculture Ministry doing?

In cities it is sold at Rs. 8 to Rs. 10 per kilo. How it is made available in the black Market? I think it comes from the same mills which manufacture it. He has stated that the capacity has decreased but how? He has given figures of November, 1972 but so far we have been told that its production came down only recently, but why?

I feel Government have failed in the matter. He says that the State Government have been asked to take drastic steps against such traders, but your officers let them off after receiving gratification. I want to make it clear to him that now people would be compelled to seize stocks and distribute among themselves. When police comes there we shall see that also I, myself, shall lead a Jatha to seize stocks and distribute them among the people and see what his police and Department can do to prevent us. I, therefore request him to take steps as early as possible ?

I want to know whether the provision of 30 percent free sugar is going to be scrapped or not?

Secondly, when these sugar factories and vanaspati factories like Dalda are proposed to be nationalise.

Thirdly, whether it is not possible to supply full monthly quota of sugar so as to avoid the necessity of purchasing sugar in the black market. You have enough sugar but what the people should do when they do not get it? I, therefore, want to know whether this quota is proposed to be increased?

Fourthly, it is suggested that the distribution system should be taken over, fair price shops should be opened and a Committee of honest persons should be constituted to look after their management so that your officials may not be able to make any mischief and supplies to people are ensured.

I want the Hon. Minister to give categorical answeres to my question.

Prof. Sher Singh : Sir, regarding his first question, as I have stated in the past also, we have fixed a minimum prices of sugarcane to growers and if factories wanted they could pay them higher prices. This has resulted in payment of Rs. 12.50 per quintal in Punjab Rs. 13.50 in U.P. and Rs. 15 to Rs. 16 in Mysore and Rs. 13 to Rs. 16 in Maharashtra. Offers of more prices to farmers have encouraged them to grow more sugarcane in the next season so as to increase sugar production. That is why we expect 38 lakh tonns of more sugar this year.

Shri Dinen Bhattacharya : This is all cock and bull story. What about the rising prices?

Prof. Sher Singh : The hon. Member has asked why a quota of 2 k.g. per head is not fixed? If this is done we shall have to release 11 lakh tonnes per month and thereby our stock of 38 lakh tonnes would vanish in 2-3 months only. We, therefore, have to plan in such a manner that the available quantity is supplied all the year round. The traders and millers want that we shall release the maximum quantity so that the we run out of the stock, but we want to ensure uniform supply throughout the year and yet save something to release more in the event of scarcity.

In order to stave off the situation stated by the Hon. Member, we have asked the States about their requirement and to ensure proper distribution through fair price shops.

Shri Jagannath Rao Joshi : Sir, we have tried to draw the attention of the hon. Minister towards rise in sugar and vanaspati price and disappearance of the latter from the market and towards the ordeals of scarcity hit public but I am sorry to hear his statement made in reply thereto. Are we actually discharging our duty? What sort of statement is this that levy sugar is being distributed almost statisfactorily to consumers in States, both urban and rural. In the rural areas there has been incidents of firing and people have died for sugar what shall I ask? He has further stated that Government is watching the situation and they will take necessary steps whenever need arises. So, they have not thought it necessary yet. What are they watching? This is regarding sugar.

Regarding Vanaspati, he has stated that the Association has been informed about the requirements of various States for arranging supplies to them. Their responsibility ends there. I want to know whether he has read the Report of Estimates Committee where it has been clearly stated—

"There is absolutely no long range policy with this Government."

During the last ten years sometimes it is decontrolled, at another it is semi-controlled or partially controlled and sometimes there is talk of nationalisation, but nothing is done actually. You have no definite policy in this regard. I am quoting statistics. In 1968-69 35.69 lakh tonnes, in 1969-70 49.63 lakh tonnes of excess sugar was produced. In 1970-71 it was 30.67 lakh tonnes, in 1971-72 it was 32.67 lakh tonnes and this year it is said that 35 lakh tonnes of excess sugar would be produced. Why there is no balance here? The Estimates Committee has clearly said that growers should get remunerative price, but they are not getting it. When Shri Jagjivan Ram was the Food Minister, the minimum cane price was Rs. 10 but was later reduced to Rs. 8 then it was Rs. 7.37 and this year it is again Rs. 8. I may state that in 1952, when Shri R. A. Kidwai was the Food Minister, he had balanced the prices of cane and sugar *viz.* sugar price to be directly proportional to cane price. Why has this formula given up. Today when sugar is selling between Rs. 3 and Rs. 4 per kilo, the grower should get Rs. 35 per quintal. The hon. Minister just now stated that in Mysore, the caneprice was as high as Rs. 16 but in that case it was a co-operative sugar Mill having its own sugarcane which was grown in the land of shareholders. This rate was not paid to private farmers.

According to Estimates Committee Report cane dues upto 1970-71 were Rs. 16 crores. How do you expect cane production to increase when growers do not get remunerative rates and the available rates are also not paid to them. Whenever we raised this issue here he hon. Minister's reply has been that the State Government have been informed, but they 'o not pay it. In these circumstances it is not understandable how he has stated that they re satisfied with sugar production. You do not adopt Shri Kidwai's furmula. Can any rlation be established between in cane and sugar prices or not? It is strange that cane and ctton prices are falling whereas sugar and cloth prices are going up. I, therefore, want that afefinite policy be adopted and cane prices increased ((*interruption*). In 1930, when we were ir Congress, we took a pledge not consume sugar as it was then imported from Jawa and Muritius. •Then we used 'Bur' but they have given up that practice. But today when we pıduce sugar within the country, everyone will consume sugar.

Mr. Deputy Speaker : What are your questions?

Shri Jagannath Rao Joshi : I want to know why there is no uniformity in sugar production. Government should ensure remunerative cane prices and arrears to growers. levy sugar was 60 per cent last year and 70 per cent this year. I do not understand how this levy sugar is distributed and one month's quota lasts only a week while the additional requirement as also the sugar required for marriage and other purposes is met by consumer for the remaining 30 per cent available in the open market . . .

There is some confusion which should be looked into.

Same confusion prevails in the case of Vanaspati. There is no set policy regarding this also. The hon. Minister has stated that its production has been half. The installed capacity is 12 lakh tonnes, licenced capacity is 16 lakh tonnes whereas the production is 6 lakh tonnes Between 1968 and 1970 they delicenced it resulting in proliferation of oil mills. In 1970, it was licenced. In the South, there are no factories even today. They are only in the West and North India. I want to know how much groundnut in refined *viz.* Dalda etc. is consumed in major groundnut production States of Tamilnadu and Gujarat. . .

Mr. Deputy Speaker : I want you to put the questions.

Shri Jagannath Rao Joshi : You cannot solve problems by simply saying that requirements have been asked for and supplies would be made accordingly. What is needed is oilseed only. Groundnut oil cannot serve the purpose: Recently Soyabean, Rapeseed oil, Palm oil as mentioned to meet the requirement and the latest new fangled idea is to bring out cottonseed oil.

After all these things are to be calculated. The quantity of sunflower rapeseed, palm oil etc. has to be assessed for imports to ensure regular supplies of vegetable oil. You can not succeed by taking over each such industry. This is not proper. Scarcity alone gives rise to blackmarket. You cannot depend on imports of raw-material to ensure adequate production. Why the offer of Canada was turned down? Today people in Delhi are parcling in sun standing in a queue for supplies which are not there in stock. Why adequate supplies have not been made to Super Bazar and how long it will not be done. There was strike in cloth mills and he said it was only for a day.

I could not follow when he said that one man will get not more than 1 kg. and one family will get not less than 1 Kg. If it is wrong in Hindi, I might not have understood it. The statement reminds me of the saying that Nero was fiddling when Rome was burning. Similarly, he is fiddling when people are burning in the sun. I hope the hon. Minister would answer my questions.

Prof. Sher Singh : I want to answer the last question of the hon. Member. The meanng of not more than one Kg. to one person and not less than one Kg. to a family is that maximum and minimum quantities have been prescribed because in cities like Bombay 2 Kg. per person was allowed whereas in rural areas one family did not get even 1 Kg. We have therefore decided that even in villages at least one Kg. should be available to each family (*interruption*).

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी । जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हों तो उस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । माननीय मंत्री अपना उत्तर जारी रख सकते हैं ।

(अन्तर्बाधाएं)

जब मैं खड़ा होता हूं तो माननीय सदस्यों को बैंठ जाना चाहिये ।

इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है और मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

Prof. Sher Singh : Mr. Deputy Speaker, Sir, Some guidelines were prepared. I+ should be made available to every family in the villages and in cities not more than one kilogram should be given. It does not mean that less quantity should be given in villages. It is for the States to decide whether they want to supply equal quantities in cities and villages. In Gujarat and Punjab equal quantity is being supplied in cities and villages. In will wel-come if Madhya Pradesh also decides to supply sugar in equal quantity to all . . .

(व्यवधान)

As regards arrears, there was less than one per cent arrear in 1971-72. As regards the quantity of edible oils to be imported, about one lakh tons of Soyabean oil, rape seed oil and palm oil are being imported. More over restrictions have been put on the use of indigenous oils. Not more than 50 per cent of groundnut oil, 15 per cent of cotton seed oil, 10 per cent of mustard oil and 10 per cent of other oils can be used.

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब बैठ जायें। मैं एक साथ दस सदस्यों की बात नहीं सुन सकता। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में नियम यह है कि जिन्होंने प्रस्ताव में नाम दिये हैं उन्हें ही प्रश्न पूछने का मौका दिया जाता है। मैं इस नियम को भंग नहीं करना चाहता। अत: जिन सदस्यों का नाम उसमें नहीं है, उन्हें मैं प्रश्न करने की अनुमति नहीं दूंगा। (**व्यवधान**) मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकांश सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हैं। क्या संसदीय कार्य मंत्री इस असंतोष को देखते हुए इस पर चर्चा के लिए तैयार होंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया) : मैं सभा के दोनों ओर के सदस्यों की भावनाओं को समझता हूं। मैं सम्बद्ध मंत्रालयों को सूचित कर दूंगा कि सभा इस पर चर्चा करना चाहती है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो आपने कहा है, उसके बारे में कुछ सदस्य कुछ कहना चाहते हैं। मैं उन्हें संक्षेप में अपनी बात कहने की अनुमति देता हूं।

श्री के० रघु रामैया : मैं इस प्रश्न पर अपने अन्य साथियों अर्थात् सम्बद्ध मंत्रियों से बातचीत करूंगा और आज शाम तक इस बारे में आपको बता दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : दो दिन पूर्व स्वयं अध्यक्ष महोदय ने यह कहा था कि उन्हें आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में हुई वृद्धि पर बहुत अधिक चिन्ता है और मंत्री महोदय इस पर चर्चा के लिए समय निकालें।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : श्री जगन्नाथराव जोशी ने कुछ सवाल पूछे थे जिनका उत्तर नहीं दिया गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पूछे गये प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए। मैं अधुरे उत्तरों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं।

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to suggest that clause by clause consideration on the Criminal Procedure Code Bill should be postponed to the next session and the timeis, thus saved, can be allotted for the discussion on price-rise situation.

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मूल्य वृद्धि का प्रश्न एक महत्वपूर्ण मामला है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात से चिन्तित है। अत: हम चाहते हैं कि इस प्रश्न पर अगले सप्ताह सत्र समाप्त होने से पूर्व चर्चा हो।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : चूंकि श्री रघुरामैया चर्चा के लिए सहमत हो गये है, इसलिए इस पर कल ही चर्चा होनी चाहिए ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : चूंकि इस पर चर्चा के लिए हमने पहले ही नोटिस दे रखा है, इसलिए इस पर कल ही चर्चा हो । सरकार इसके लिए नये नोटिस की मांग न करे ।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : Sir, one full day should be allotted for discussion on it. The House can sit from 6 p.m. to 12 p.m. for this purpose.

श्री के० रघुरामैया : मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं । मैं सम्बद्ध मंत्री से बातचीत करके शाम तक सभा को इस बारे में सूचित कर दूंगा ।

सभा पटल पर रखें गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये का एक पत्र मेरे पास है जिसमें उन्होंने कुछ निवेदन करने की अनुमति मांगी है । वह संक्षेप में अपनी बात कहें ।

लोह और इस्पात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973 तथा खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम 1973

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुबोध हंसदा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत लोह और इस्पात (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 1973 में अधिसूचना संख्या सां० आ० 214 (ङ) में प्रकाशित हुआ था [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 5032/73 ।]

(2) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उपधारा (1) के अन्तर्गत खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 1973 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 मार्च, 1973 मे अधिसूचना संख्या सां० सां० नि० 345 में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 5033/73 ।]

Shri Madhu Limaye : Mr. Dy. Speaker, Sir, I want to say that the Essential Commodities Act confers wide powers on the Government. In section 4(b), it is stated that "Every order made under this section by the Central Government, or by any officer or authority of the Central Government, shall be laid before both Houses of Parliament as soon as may be after it is made". How soon it should be laid on the table? This is my question. This order was issued on 12th April and it took 32 days to lay it on the table. My second point is that an Explanatory note should be attached with the orders issued as delegated legislation so that the Government or the officers may not misuse it.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किस बात पर विनिर्णय चाहते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया । जहां तक 'जितनी जल्दी हो सके', का सम्बन्ध है, इसका अर्थ है कि उचित समय जिसमें विलम्ब न हो । मेरे विचार से इस मामले में विलम्ब हुआ है । अधिनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सभी सांविधिक नियम और आदेश, जिनका सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक होता है, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद 15 दिन के भीतर सत्र के दौरान सभा पटल पर रखे

जाने चाहिए। सत्रावसान के दौरान जारी किये गय ऐसे नियम और आदेश सभा आरम्भ होने पर 15 दिन के भीतर सभा-पटल पर रखे जाने चाहिये। इस मामले में समय सीमा का उल्लंघन हुआ है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : श्री सुबोध हंसदा इसके साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी नहीं जोड़ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: इस मामले में वह व्याख्यात्मक टिप्पणी बाद में देंगे। इसे सभा-पटल पर रखने की अनुमति अध्यक्ष महोदय पहले ही दे चुके हैं। किन्तु भविष्य में 15 दिन का समय सीमा समाप्त हो जाने पर सरकार को उसके साथ स्पष्टीकरण की टिप्पणी अवश्य लगानी पड़ेगी।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, 1971-72 और समीक्षा

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के वर्ष 1971-72 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा :

(दो) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का वर्ष 1971-72 का वार्षिक प्रति वेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणिया।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5034/73।]

श्री एस० एम० बनर्जी : वर्ष 1971-72 का प्रतिवेदन मार्च 1972 तक पूरा हो जाना चाहिए था। यह इतने विलम्ब से सभापटल पर क्यों रखा जा रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इस मामले में विलम्ब हुआ है तो सरकार को इसके लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : एक आधार भूत सिद्धान्त यह है कि जैसे एक नागरिक के लिए कानूनों का पालन करना अनिवार्य है उसी प्रकार सरकार के लिए भी होना चाहिए। यदि सरकार कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। विलम्ब के लिए स्पष्टीकरण दे देना ी पर्याप्त नहीं है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वार्षिक प्रतिवेदन, 1971-72

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय मे उप मंत्री (जी० वेंकटास्वामी) : मै कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1971-72 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5035/73।]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि राज्य सभा को वित्त विधेयक, 1973 के बारे में जो लोक सभा द्वारा ? मई, 1973 को पास किया गया था लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा ने 8 मई, 1973 को अपनी बैठक में मणिपुर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 पास किया है।

मणिपुर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

MANIPUR STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

सचिव : मैं मणिपुर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 की एक प्रति राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सभा-पटल पर रखता हूं।

नेशनल रेयन कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE NATIONAL RAYON CORPORATION LTD.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : कल श्री मधु लिमये ने इस सदन में नेशनल रेयान कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यों को संदर्भित किया था। मैंने तथ्यों को सुनिश्चित करने का वचन दिया था और यह वक्तव्य इस वचन के अनुसरण में दिया जा रहा है।

नेशनल रेयान कारपोरेशन लिमिटेड बम्बई ने व्यापार के बहुत से कार्य सम्पादन करने जिसमें निदेशकों के निर्वाचन सम्मिलित है, अपनी 26 वीं वार्षिक महा-सभा को 11-5-1973 को सम्पन्न करने के लिए बुलाया है। इस मामले के बारे में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा कुछ हिस्सेधारियों से उनके वादेक्षक भाई शंकर कांगा और गिरधर लाल के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 250 के अन्तर्गत कपाडिया मसूह से अधिपान हिस्सेधारियों द्वारा मताधिकारों के प्रयोग के अवरोधक आदेश जारी करने के लिये एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था; जिससे कि कपाडिया, सेवानिवृत्त-निदेशकों के स्थान पर अपने मनोनीत सदस्यों को निर्वाचित कराने में सफल न हो सके। (इस कम्पनी में अधिमान हिस्सेधारियों को समान मताधिकार प्राप्त है जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 90 में उल्लिखित व्यावृत्ति उपबन्धों के आधार पर साम्य हिस्सेधारियों को प्रदत्त हैं)।

हिस्सेधारियों द्वारा अपनी याचिका में अभिव्यक्त आशंका यह है कि यदि कपाडिया अपने मनोनित व्यक्तियों को निर्वाचित कराने में सफल हो गये तो उन्हें कम्पनी के निदेशक मंडल में बहुमत प्राप्त हो जायेगा, व इस प्रकार कम्पनी के कार्य कलापों पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो जायेगा। इस आवेदन-पत्र के प्राप्त होने पर कम्पनी विधि बोर्ड ने इस विषय की जांच की एवं सम्बधित पार्टियों से अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा। इसी मध्य कम्पनी ने, कम्पनी विधि बोर्ड को तार द्वारा सूचित किया है कि हिस्सेधारियों ने दिनांक 11-5-1973 को होने वाली वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत

किये जाने वाले श्री रसिकलाल चिनाय के निदेशक के पद से हटाने सम्बन्धी संकल्प के नोटिस को वापिस लिया है, तथा साथ ही आवेदनकर्ताओं ने, कम्पनी अधिनियम की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र को भी वापिस ले लिया है व इसी कारण कम्पनी आवेदन-पत्र में वर्णित आरोपों पर कोई लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं कर रही है। आवेदन-कर्ताओं के वादेक्षक भाई शंकर कांगा व गिरधर लाल ने भी कम्पनी विधि बोर्ड को तार द्वारा सूचित किया है कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई, कम्पनी अधिनियम की धारा 250 के अन्तर्गत याचिका, उनके वादार्थियों द्वारा वापिस ले ली गई है एवं उन्होंने (वादेशकों ने) आवेदन-पत्र पर कार्यवाही न करने के लिये भी कम्पनी विधि वोर्ड से निवेदन किया है।

कम्पनी विधि बोर्ड ने, अपने दिनांक 30-6-1971 के आदेश द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अन्तर्गत 30-6-1971 से दो वर्ष की अवधि के लिए, दो निदेशक नियुक्त किये थे। इन सरकारी निदेशकों के पद की अवधि 29-6-1973 को समाप्त हो जायेंगे। इस विषय पर भी हिस्सेधारियों से, उनके वादेक्षक भाई शंकर कांगा व गिरधर लाल के माध्यम से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है कि सरकार धारा 408 के अन्तर्गत पुन: अवधि के लिए निदेशक नियक्त करे।

कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र में वर्णित आरोपों की दृष्टि से कम्पनी विधि बोर्ड कथित उपबन्धों के अन्तर्गत अपेक्षित जांच इस विचारार्थ कर रहा है कि क्या सरकारी निदेशक पुन: अवधि के लिए नियुक्त किये जा सकते है। ऐसी आशा है कि कम्पनी विधि बोर्ड कम्पनी को, कारण बताने का सुअवसर प्रदान करने के पश्चात्, समुचित कार्यवाही करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको नियमों की जानकारी है। नियम 372 के अन्तर्गत वक्तव्य दिये जाने के बाद कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। लेकिन नियम 342 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा की मांग की जा सकती है, लेकिन अभी नहीं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I am talking of another thing. When a Minister makes a statement of his own then it is under Rule 372 but the statement which he has given now is on the direction of the Chair. I raised the matter under Rule 377 and then the chair ordered him to make a statement today. Now I want a clarification on one thing. He said some thing about shareholders. He should have given the statement on the point raised by me and not regarding shareholders. Your ruling will be seen. I want to draw the attention of the hon. Minister through you, Sir, to Sec. 408, Sub Sec. (5). That is the real thing.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य दिये जाने के बाद आप शायद स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : You may see Sub Sec. (5) of Sec. 408 which says :

> "No change in the Board of Directors made after a person is appointed or directed to hold office as a Director or Addl. Director under this Section shall, so long as such Director or Addl. Director holds office, have effect, unless confirmed by the Central Government."

what I want to say is that their term is expiring in June, and after that new Board of Directors, which will be elected tommorow, will take change. If their term is extended now then the Government can ask the company not to effect any change in Board of Directors without its permission. Kapadia is trying to capture the management of this company. Caustic soda was sold to other people in addition to the consumers. There is a question of income to the Government to the tune of Rs. Eight Crore twenty-five lakhs. I am speaking in public interest. The company will be ruined. Then you will increase the excise duty on us. General Public will have to pay tax. I am therefore, vigilant and, trying to draw the attention of the Government and I want an announcement also from the Hon. Minister that Government will not allow any attempts to effect changes on the basis of majority and urgency. The Hon. Minister is not giving any reply to it but he is telling us here what the share holders have done.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य दिये जाने के बाद आप शायद स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

श्री डी० आर० चव्हाण : श्री मधु लिमये द्वारा उठाया गया प्रश्न धारा 408(5) से सम्बन्धित है जिसमे उल्लेख किया गया है कि :

> "इस धारा के अधीन निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक का पद धारण करने के लिये नियुक्तया निर्दिष्ट व्यक्ति के उक्त पदों पर बने रहने की अवधि में निदेशक मंडल में किया गया कोई परिवर्तन प्रभावी नहीं होगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार उसका पुर्नगठन कर दे"।

Shri Madhu Limaye : The term of the Directors is expiring on 29th June and there will not be any need of any commission thereafter. I am worried about the fact that there will not be any sitting of the House on 29th June.

श्री डी० आर० चव्हाण : मैंने अपने वक्तव्य के पहले भाग में स्थिति स्पष्ट कर दी है। शेयर होल्डरों के सालिसिटर ने नियम 250 के अन्तर्गत आवेदन दिये थे।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister should reply to it that there will be no change in the Board of Directors. Mr. Sidhu Kapadia is the Director of Maruti Ltd. that is why we are not getting any reply otherwise we would have got the reply in half a minute.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 377 के अन्तर्गत विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुक्तुपुजा): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 377 के अन्तर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मंत्री महोदय को कोई वक्तव्य देना चाहिये। अत: इस बारे में वक्तव्य देने के लिये निदेश देने के लिये कोई प्रक्रिया होनी चाहिये। मैं इस बारे में स्पष्ट विनिर्णय चाहता हूं क्या मंत्री महोदय के वक्तव्य पर प्रश्नोत्तर की अनुमति दी जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय को इस सम्बन्ध में निदेश देने का अधिकार है। लगभग प्रतिदिन ही नियम 377 के अन्तर्गत वक्तव्य दिये जाते रहे हैं। अनेक बार सदस्यों ने नियम 377 के अन्तर्गत मामले उठाये हैं और मंत्री महोदय ने उनके उत्तर दिये हैं। और मामले समाप्त हो गये ह। इस नियम के अधीन कुछ स्पष्टीकरण की अनुमति दी जा सकती है लेकिन विस्तार से चर्चा की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मुझे बतलाया गया है कि अध्यक्ष महोदय ने यह निदेश दिये हैं कि जहां तक इस मामले का प्रश्न है इस मामले को मंत्री महोदय की इच्छा पर छोड दिया जाना चाहिये यदि वह उत्तर देना चाहें तो उत्तर दे सकते हैं। यदि वह उत्तर नहीं देना चाहते तो मामला वहीं समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye : The Hon. Minister should say that there will be no change in the Board of Directors. I want nothing more. The Government will not allow any change; he may say that much only.

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं आपके इस निर्णय से सहमत हूं कि जैसे ही मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य दिया जाये मामले को वही समाप्त कर दिया जाना चाहिये और उस मामले पर विस्तार से चर्चा नही की जानी चाहिये। यदि उस मामले पर सदस्य और मंत्री के बीच चर्चा किये जाने की अनुमति दी जाती है तो वह मामला सभा की सम्पत्ति हो जाती है और अन्य सदस्यों को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यदि श्री मधु लिमये प्रश्न के माध्यम से स्पष्टीकरण चाहते हैं तो इसमें क्या त्रुटि है। वह इस बारे में केवल इसलिये स्पष्टीकरण मांग रहे हैं क्योंकि बोर्ड के निदेशकों की आज बैठक होनी है। यदि माननीय मंत्री उत्तर देने के लिये तैयार हैं तो उत्तर दे दें अन्यथा मना कर दें।

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपुर) : जब कभी नियम 377 के अन्तर्गत कोई मामला उठाया जाता है तो हम आशा करते हैं कि मंत्री महोदय उस मामले के बारे में उत्तर देंगे। यदि मंत्री महोदय के उत्तर दिये जाने के बाद भी कोई शंका बनी रहती है, तो हमें उसके बारे में माननीय मंत्री से उत्तर पाने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने श्री मधु लिमये को स्पष्टीकरण की अनुमति दे दी है। यदि माननीय मंत्री चाहें तो वह इस बारे में उत्तर दे दें और यह मामला समाप्त समझा जाना चाहिये।

श्री डी० आर० चव्हाण : श्री मधु लिमये का प्रश्न धारा 408 की उपधारा (5) से सम्बन्धित है। विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर ही उक्त प्रश्न उठ सकता है। वैसी स्थिति उत्पन्न होने पर ही इस बारे में निर्णय किया जायेगा। सरकार के सामने ऐसा कोई मामला न होने पर मैं इस मामले में कोई निर्णय नहीं ले सकता।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

त्रिपुरा में बाढ़

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच-बिहार) : यह समाचार प्राप्त हुआ है कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतल्ला में तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में भारी बाढ़ आने के कारण बहुत से लोग बेघर हो गये हैं और अनेक स्थानीय संस्थाएं और कार्यालय भी बाढ़ की चपेट में आ गये हैं। त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने बाढ़ राहत कार्यवाही के लिये भारत सरकार को एक संदेश भेजा है। एक या दो हैली कॉप्टर भी वहां भेजे गये हैं।

उक्त क्षेत्र पर यह अभूतपूर्व विपदा आ गई है। भारत सरकार को त्रिपुरा में शीघ्र राहत सामग्री भेजनी चाहिये। सीमावर्ती सुरक्षा बल और सैनिको को बाढ़ राहत कार्य में लगाया जाना चाहिये अन्यथा राज्य में स्थिति बहुत खराब हो जायेगी।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : गत दो वर्षों से त्रिपुरा को सूखे का सामना करना पड़ रहा है वहां 267 व्यक्तियों की भूख से मृत्यु हुई है।

सरकार ने लोगों की उपेक्षा की है और खाद्यान्नों की उचित समय पर सप्लाई करने में लापरवाही बरती है।

यदि स्थिति को सुधारने के लिये शीघ्र कार्यवाही नहीं की गई तो सैकडों लोगों के मरने की सम्भावना है क्योंकि त्रिपुरा में रेल योग्य सड़क नहीं है और खाद्यान्नों को मोटर द्वारा ले जाना पड़ता है और सडकें बहुत बुरी हालत में हैं। राज्य की स्थिति बहुत खराब है। सरकार को राज्य की स्थिति के बारे में शीघ्र वक्तव्य देना चाहिये और यह बताना चाहिये कि त्रिपुरा के लोगों की इस स्थिति में कैसे रक्षा की जायेगी। राज्य में लगाई धारा 144 को वापिस लिया जाना चाहिये।

कलकत्ता स्थित अमरीकी वाणिज्य दूतावास के एक कर्मचारी की कथित आपत्तिजनक गतिविधियां

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हमे आज के पेट्रियट से पता लगा है कि कलकत्ता स्थित अमरीकी वाणिज्यिक दूतवास में राजनयिक अधिकारी श्री पीटर बरलेह बहुत आपत्तिजनक गतिविधियों में लगे हुए हैं और यह विश्वसनीय सूत्र से ज्ञात हुआ है कि भारत सरकार ने उनसे भारत छोड़ देने का अनुरोध किया था। यह बताया गया है कि वह अमरीकी गुप्तचर एजन्ट हैं। भारत स्थित अमरीकी राजदूत ने यह बताया है कि वह अमरीकी गुप्तचर एजेंट नहीं हैं और वह बुर व्यक्ति नहीं हैं।

आनन्द मार्गी अवधूत के आत्म दाह के मामले में किसी देश की राजनयिक कार का भी सम्बन्धित होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। हजारीबाग में साम्प्रदायिक दंगे होने से पूर्व उन्हें वहां देखा गया था और फिर भी उन्हें देश से बाहर नहीं भेजा गया। गंगटोक में भी वह संदेहप्रद गतिविधियों में लगे थे। वह बिहार और उड़ीसा में महत्वपूर्ण नेताओं से, जिनमें कांग्रेस नेता भी शामिल हैं, सम्पर्क बनाये हुए हैं।

उसे भारत स्थित अमरीकी दूतावास के अमरीकी मुख्य गुप्तचर एजेंट से मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है। यदि अमरीकी दूतवास उस व्यक्ति का शीघ्र स्थानान्तरण नहीं करता है तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में उचित कार्यवाही करें और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लें।

सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी अनेक लोगों को नहीं छोड़ा है। वह देश में बिना रोक टोक घूम रहा है। विदेशियों के साथ इस बारे में पक्षपात नहीं किया जाना चाहिये। उसे अब तक गिरफ़तार न किये जाने के क्या कारण हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है और माननीय मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिये।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा विमानों की खरीद

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाइमंड हार्बर) : मैं बोइंग विमानों की खरीद के बारे में मामला उठाना चाहता हूं। आप मुझे उक्त मामले को उठाने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने विषय पर अधिक जोर न दें। मैं इस मामले को अध्यक्ष महोदय को भेज दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने इस विषय में पहले नोटिस दिया था। इस मामले पर मनमाने ढंग से निर्णय नहीं किया जा सकता।

इंडियन एयर लाइंस से सम्बन्धित पांचवीं पंचवर्षीय योजना प्रकाशित हो गई है लेकिन उसे संसद् सदस्यों में वितरित नहीं किया गया है। इंडियन एयर लाइंस के अनेक अधिकारियों का बोइंग की खरीद से सम्बन्ध है अतः योजना की प्रतियां संसद् सदस्यों में वितरित नहीं की गई हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है और इस बारे में मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि माननीय सदस्य इस बारे में चिन्तित हैं अतः यदि वह मंत्री महोदय के उत्तर की प्रतीक्षा करते तो अच्छा रहता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में विदेशी मुद्रा में 175 करोड़ खर्च कर रही है। अमरीका सरकार ऐसा षडयंत्र फैलाना चाहती है जिससे हम विश्व के देशों से अपनी खरीद न कर सकें। इंडियन एयर लाइंस से सम्बन्धित पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रतिवेदन तैयार है लेकिन उसकी प्रतियां संसद् सदस्यों को नहीं दी गई हैं। ऐसा जानबूझकर किया गया है। सरकार को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिय और इस बात का आश्वासन देना चाहिये कि ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये जिससे देश का अहित हो।

दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं श्री चावड़ा को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये कहूं संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैंने उपस्थित सब सदस्यों और अपने सहयोगी से इस बारे में विचार विमर्श किया है और मैंने उन्हें बताया है कि सभा की यह इच्छा है कि इस विषय पर खंडवार चर्चा को आगामी सत्र के लिये स्थगित कर दिया जाये। मेरे सहयोगी इस बात से सहमत हो गये हैं। विरोधी पक्ष की भी यही इच्छा है कि इस विषय पर चर्चा अगले सत्र तक के लिये स्थगित कर दी जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए म आशा करता हूं कि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने कर कोई आवश्यकता नहीं होगी।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने के लिये विधेयक राज्य सभा की संयुक्त समिति को भेजा गया है। जब तक दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता तब तक दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने सम्बधी विधेयक पर चर्चा नहीं की जानी चाहिये अन्यथा बहुत सी पेचीदा बातें उत्पन्न हो जायेंगी।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : विधेयक पर खंडवार चर्चा के लिये बहुत कम समय निर्धारित किया गया है। इस विधेयक का अध्ययन करने तथा इस पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिय सदस्यों को अधिक समय की आवश्यकता होगी। अतः मेरा विचार है कि इस विषय पर सामान्य चर्चा को भी स्थगित कर दिया जाय जिससे इस विषय पर उपयोगी चर्चा की जा सके।

प्रो० मधु दंडवते (राजापूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस विधयक पर दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने विचार किया था। खण्ड 10, 11 और 12 के बारे में कोई मतभद नही था और सरकार ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया है। संयुक्त समिति द्वारा पारित रूप में इस विधेयक को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। इस अवस्था में सरकार को स्वयं या सदस्यों के अनुरोध पर उपरोक्त खण्डों को विधयक में से निकाल देने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे विचार में यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है। मैं ने अध्यक्ष महोदय को विशेषाधिकार का मामला उठाने की अनुमति प्राप्त करने के लिये सूचना दी है।

Shri Madhu Limaye : There can be no further discussion after what Shri Dandavate had said. He has placed a very good point before you. How they have withdrawn it without obtaining the decision of the Joint Committee in this regard which is a Committee of both the Houses, and without taking Lok Sabha into confidence. The Members of Rajya Sabha had the liberty but Government had no liberty. Shri Mirdha is answerable to this House irrespective of the fact whether he is a Member of other House. You may give your ruling of the careful consideration on the point raised by Shri Dandavate. first of all you give your ruling in this regard as it is question of prestige of the Joint Committee. After that you may allow further discussion if you want to.

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक इस विधेयक पर विचार करने की अनुमति का सम्बन्ध है सभा को प्रस्तावक को विधयक प्रस्तुत करने की अनुमति देने से पहले विचार करना चाहिये था। मैं इस पर बिना विचारविमर्श किये अपना विनिर्णय नहीं दे सकता। जहां तक इस चर्चा को स्थगित करने का सम्बन्ध है, यह एक अलग प्रश्न है।

प्रो० मधु दंडवते : पहले भी चर्चा के दौरान इस प्रकार के व्यवस्था के प्रश्न उठाय जाते रहे ह। अतः यह बात ठीक नहीं है कि केवल आरम्भ में ही यह मामले उठाये जा सकते हैं।

9—14 LSS(ND)/73

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस मामले का अध्ययन करना होगा। मैं इसका अभी पता नहीं लगा सकता। परंतु मैं केवल इसी आधार पर चर्चा को स्थगित नहीं कर सकता।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढूका) : यह बात चर्चा को स्थगित करने के लिये काफी महत्वपूर्ण है क्यों कि इस में कहा गया है कि इस सभा के महत्वपूर्ण अधिकार का उल्लंघन हुआ है। संयुक्त समिति कुछ निष्कर्षोंपर पहुंची थी परंतु मंत्री महोदय राज्य सभा में इस सभासे अनुमति प्राप्त किये बिना कुछ खण्डों को निकाल देने पर सहमत हो गये हैं। यह बहुत अनुचित बात है और जब इस मामल पर विनिर्णय नहीं दिया जाता तब तक इस चर्चा को स्थगित करना उचित होगा।

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : संयुक्त समिति को भारतीय दंड संहिता के बारे में अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में समय लगेगा और संयुक्त समिति का काम पूरा होने तक इस विधेयक पर चर्चा स्थगित कर देना आवश्यक नहीं है। अध्यक्ष महोदय इस बात पर सहमत हो गय थे। संयुक्त समिति ने कुछ सिफारिशें की थी जिनसें राज्य सभा सहमत नहीं हुई और इस मामले को विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया जा रहा है। विशेषाधिकार के मामले की व्यवस्था के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता। फिर भी उपाध्यक्ष महोदय जैसा चाहें इस मामले को निपटा सकते है।

प्रो० मधु दंडवते : बात यह नहीं है कि राज्य सभा ने स्वीकार नहीं किया है बल्कि वास्तव में सरकार ने उक्त खण्डों को निकाल देने की स्वीकृति दे दी है।

श्री राम निवास मिर्धा : बात यह है कि जब संयुक्त समिति कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है तो कोई सभा किसी प्रकार का कोई संशोधन स्वीकार नहीं कर सकती। यदि माननीय, सदस्य का तर्क स्वीकार कर लिया जाये तो उसका अर्थ यह होगा कि संयुक्त समिति ने कुछ कहे, सभा उस में कोई फरबदल नहीं करगी। जहां तक चर्चा को स्थगित करने का सम्बन्ध है हम इस विधेयक पर विचार कर लेते हैं और खण्डवार चर्चा आगामी सत्र तक स्थगित कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने जो प्रक्रिया सम्बन्धी प्रश्न उठाया है, वह महत्वपूण है उसके बारे में आप विचार विमर्श करके अपना विनिर्णय दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जल्दबाजी में कोई विनिर्णय नहीं देना चाहता।

संसद कार्यमंत्री (श्री के० रघुरामैया) : इस विधेयक पर चार बजे तक चर्चा की जायेगी बाद में आगामी सत्र तक स्थगित कर दी जायेगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा निवेदन यह है कि जब मूल कठिनाइयों का निराकरण अभी नहीं किया जा रहा है तो चाहे सदस्य सामान्य चर्चा में भाग लें तब भी उसका कोई लाभ नहीं होगा। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस चर्चा से क्या लाभ होगा विशेषकर जब विधेयक की अधिकांश समस्याओं पर अभी चर्चा की जानी है ?

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : जैसा कि कहा गया है, इस विषय पर चर्चा करना निरर्थक होगा, मैंने इसी लिये सुझाव दिया था कि हमें मध्याह्न भोजन के लिये सभा स्थगित कर देनी चाहिय।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : मेरा अनुरोध यह है कि भारतीय दंड संहिता पर विचार होने तक इस विधेयक पर चर्चा स्थगित कर देनी चाहिये। मैं प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं। भारतीय दंड संहिता सारभूत विधि है और आपराधिक प्रक्रिया संहिता प्रक्रिया सम्बन्धी

विधि है। भारतीय दंड संहिता के खण्ड 4 और दो में परस्पर विरोध है और इसमें संशोधन किया जाना चाहिये। अतः मेरा निवेदन यह है कि इस चर्चा को आगामी सत्र तक स्थगित करने की बजाय तब तक स्थगित कर देना चाहिये जब तक भारतीय दंड संहिता पर विचार पूरा न हो जाये।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 और अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1972 के तुलनात्मक खण्डों की मांग करते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मंत्री महोदय ने कहा था कि यह सम्भव नहीं है और समय कम है। इस लिये इसको परिचालित किया जाना चाहिय।

उपाध्यक्ष महोदय : उसको परिचालित कर दिया गया है। जिस सदस्य ने सूचना दी थी वह भी विधेयक प्रस्तुत नहीं करना चाहते। अतः यह बात यहीं समाप्त होती है।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : May I know whether discussion on it will continue in next session or as has been said by Shri Chavda that let the I.P.C. be passed first and then there will be discussion.

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में अब इस बात पर सहमति है कि इस चर्चा को आगामी सत्र में जारी रखा जाये।

Shri Naval Kishore Sharma (Dausa) : I have to say only this much about the Bill which is under consideration of the House that the country is getting such a Bill after many years through which people can hope to get early justice and the procedure will be simple and also efforts have been made in this Bill to remove the impediments and the scope of manipulation will be reduced to some extent.

I was a member of the select committee which considered each and every clause and all aspects of the Bill. The author of this Bill Shri Mirdha on behalf of Government gave ample time for its consideration with open mind. The result is that we are having this Bill before us in a good shape.

[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए]
[SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

There has been a general complaint about the judiciary in the country that it takes a long time to get justice. This is true also that cases are heard for years together. There has been no time limit fixed for disposing the cases in the lower courts also. It results in harassment to the people. There is unnecessary expenditure and wastage of time. If at all it can be reduced it can be done by bringing improvements in the procedure. In this connection all those aspects have been considered whereby justice can be delivered early and efforts have also been made to make such provisions in the Bill by bringing necessary changes in the different provisions of the Bill. I am sure that the people of this trade will, in general, welcome this Bill, admit that in this Bill we have done much to change the old practices.

My friend Shri Bogandra Jha, a member of the Communist Party, has to some extent welcomed this Bill but he has opposed Sec. 107, 144 and 145. My colleague, who belongs to C. P. M. has also opposed these sections. I submit that the way these sections have been incorporated in this Bill, leave no scope for any opposition.

It has been repeatedly said that sec. 107 has been misused. May I know whether conflicts are taking place in the name of religion, caste and property particularly in the name of cultivation of land in our country. My own experience is this that the powerful section in the villages do not allow the poor, Scheduled Caste and Scheduled Tribe people to cultivate their land inspite of the fact that they got leave and property rights, and in this way th situation of unrest arises.

[Shri Naval Kishor Sharma]

Sometimes a different situation arises in the name of language. Some times people try to take the law in their own hands and the question arises as to what the police and Government have to do in a situation where the disturbances are expected, breach of peace is imminent. Perhaps my friends in the opposition think that police and Government should not do anything in such a situation and if any body breaks the head of the other, this should be allowed to continue. This is a very strange thing. May I know whether we want to create anarchy by allowing all these thing in our country. I submit that Sec. 107 is an essential provision.

It can be said that it has been misused at times but the remedy does not lie in its removal. If some person has defect or a boil in its nose, the remedy is not that the nose of the person may be cut. But it should be treated. Similarly we should bring improvements in the police machinery to check its misutilization. If we want to maintain peace, law and order we will have to give some more powers to police. We have to enact such provision which can be used by the police. But if the police act beyond their powers then I am not in favour that they should not be punished. But it is wrong to say that they should not get such powers.

On the basis of my experience I can say that sometimes poor people get relief due to the sec. 107. It is, possible that some influential people may make its use but it is an administrative matter and the Ministry of Home Affairs should issue instructions to the police in an administrative way that they should not use sec. 107 in disputes between mill owners and labourers and other similar disputes as has been narrated by the Members of the Opposition. In this way the complaint that influential people make use of this Section can be removed. But I am not in favour of removing this sec. 107 from the code on the fear that it may be misused. I think now there is no scope for the misuse of sec. 107 keeping in view the improvements made therein.

It is true that in old days the proceedings under sec. 107 used to prolong for years and the people were made to suffer. People were harassed by registering cases under sec. 107 and by issuing notices. But according to the provision of this Bill the case will finish *ipso facto* after six months. Therefore there is no scope for harassing anybody. I submit that the objections raised in regard to sec. 107 are not correct.

I also do not support the objections raised in regard to sec. 145. I feel that situation doe arise where there is always a fear of quarrel in the name of property and this fear has to be removed. One way to remove this fear is to knock at the door of civil courts. The civil courts do issue injuctions but the powerful people pay scant respect to these injuctions particularly in the cases of cultivable land. It is not mentioned in the injunction as to whether the field has been cultivated or not. The court mentioned in the injunction that you are hereby ordered not to do any work in the field. But the person concerned says that he has already cultivated the land and the land is in his possession.

May I know whether there is any way out for the poor man whose lands is grabbed by the powerful persons and who fight cases for years together on the earnings from the land so grabbed? The only way is to take some steps through legal provisions.

There is everything alright in the police. But I do not favour the view that no improvement should be brought about. The provisions are not bad in themselves : nobody is going to suffer on account of these provisions. If there is any difficulty in their execution we must remove that.

We have taken several good steps through this Bill. To finish the committed proceeding is a big step in itself. The delay and wastage of huge money which occur in the case will now to saved.

We have changed the form of sec. 109. No one can be arrested in the name of ostensible means. We have made changes in the old practice which was prevalent since British period. Not only this we have made drastic changes. All those persons who indulge in such activities and are nuisance to the society have been brought under the perview of this sec. The hon.

Minister has taken a drastic step by bringing under the purview of this sec. the black marketeers, and the people who indulge in adulteration, bribery, hoarding and untouchability. All these persons, who were indulging in such anti-social activities are being considered as respected persons in society will now be treated like other ordinary criminals. May I now whether it is not a drastic step?

The Hon. Minister has taken several steps in this Bill which have given it a shape which is a revolutionary in itself and through which the people will now get cheap justice and that too early. All those procedures which cause delay have been done away with. The interlocutory provision has been removed through which cases were prolonged for ten or fifteen years. Now it has been decided that Session Judge will give its verdict on such revisions. Now the position is that in such cases of revision the Session Judge is afraid of referring the case to High Court for fear of its rejection and structures from the High Court. The result is that the case is rejected and the concerned party does not get any justice. Several such provisions have been made. Now only wife and minors have the right of maintenance. A progressive step has been taken by providing maintenance to the old parent and divorced wife: who have no alternative for maintenance. There are several other such things. I submit that this is a Bill which should be welcomed and I hope that my colleagues will support the Bill. Thanks.

†**श्री जे० माता गौडर :** (नीलगिरी) : आपराधिक प्रक्रिया संहिता को 1898 में पास किया गया था। अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन जमाये रखने के लिये यह कानून पास किया था। आज़ादी के बाद इस प्रकार के अधिनियमों को अवश्य बदला जाना चाहिये। भारत वर्ष 1947 में आज़ाद हुआ था परन्तु वर्ष 1973 तक जनता द्वारा निर्वाचित सरकार ने उसमें संशोधन करने पर कोई विचार नहीं किया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य हमारे देश की जनता को संरक्षण प्रदान करना है। वर्तमान सरकार को इस बात को सुनिश्चित करना चाहिये कि इस विधेयक से प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाये। इस कथन में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि वर्तमान दफ़्तरशाह अब भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि वे अंग्रेजों के शासन काल में करते थे। आज़ादी के बाद में पुलिस के कर्तव्यों में परिवर्तन किया जाना चाहिये था। यदि पुलिस ने जनता की रक्षा के पुनीत कर्तव्य को न निभाया तो लोग पुलिस को अच्छा नहीं समझेंगे। सरकार को इस सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी करना चाहिये जिसमें पुलिस में हृदय परिवर्तन पर ज़ोर दिया जाये। उनको कानून और व्यवस्था बनाये रखने के साथ साथ हमारे देश की जनता की सहायता करनी चाहिये। विधि आयोग ने सामाजिक एवं आर्थिक अपराधों के बारे में 28 फरवरी, 1972 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक अपराध करने वालों पर मुकदमा चलाने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने हेतु 16 केन्द्रीय अधिनियमों में संशोधन करने की सिफारिश की है। उन्होंने इस प्रयोजन के लिये संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता का भी सुझाव दिया है। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता में भी संशोधन किया जाना चाहिये। सरकार को इस सिफारिश को स्वीकार कर लेना चाहिये। विधि आयोग ने खण्ड 378 में संशोधन करने का विशेष रूप से आग्रह किया है। विधि आयोग ने अपना प्रतिवेदन 28 फरवरी 1972 को प्रस्तुत किया था और संयुक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन 4 दिसम्बर, 1972 को प्रस्तुत कर दिया था। उपरोक्त खण्ड में विधि आयोग की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से इस का स्पष्टिकरण चाहता हूँ। प्रस्तुत विधेयक पर इस लिये चर्चा स्थगित की जा रही है क्योंकि इस में अनेक कमियां हैं। मंत्री महोदय को चाहिये कि वह इस बात की ओर ध्यान दे ताकि भविष्य में इस प्रकार की गलतियां न हों।

अक्टूबर, 1972 में श्री वी० आर० कृष्णा ऐयर की अध्यक्षता में हमारे समाज के निर्धन और कमज़ोर वर्गों को बिना फीस के कानूनी सहायता देने की व्यवस्था पर विचार करने के

†तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translation version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री माता गौंडर]

लिये एक समिति बनाई गई थी। गरीब लोग कानूनी पेचीदगियों को समझ नहीं सकते हैं। इसी प्रकार पुलिस भी कानूनी पेचीदगियों को समझने में असमर्थ हैं इसीलिये कानून लागू करने के काम में इतनी भूलें होती हैं। सरकार को महत्वपूर्ण अधिनियमों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करवाना चाहिये और उनकी प्रतियां देश के प्रत्येक थाने में उपलब्ध की जानी चाहिये ताकि पुलिस कर्मचारी इन अधिनियमों के उपबन्धों से अवगत हों और उनको ठीक प्रकार से लागू कर सकें।

संविधान में निहित उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति केन्द्रीय सरकार की सिफारिश पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करता है। परन्तु यह अजीब बात है कि राज्यों में न्यायिक दंडाधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। इस मामले में राज्य सरकारों से कोई परामर्श नहीं किया जाता। न्यायिक दंडाधिकारीयों की नियुक्ति स्थानान्तरण और पदोन्नति का कार्यकारी कृत्य है और यह काम राज्य सरकार के जिम्मे होना चाहिये, उच्च न्यायालय के नहीं। न्यायालयों में अनेक मामले विचाराधीन पड़े रहते हैं। इससे वे अधिक सावधान रहेंगे।

1972 में श्री बी० आर० कृष्ण अय्यंगार की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति समाज के दुर्बल और निर्धन वर्गों को कानून सम्बन्धी सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। यह समझना ठीक नहीं है कि एक साधारण व्यक्ति या पुलिसमैन ऐसे महत्वपूर्ण विधान के प्रभाव को समझेगा। यह भी मानना पड़ेगा कि ऐसे विधान के क्रियान्वयन में बहुत सी गलतियां इस कारण से हो जाती हैं कि पुलिस वाले इसके उपबन्धों को पूर्णत: नहीं समझते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसे विधान का सभी प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद कराया जायेगा और सभी थानों में उसकी प्रतियां भिजवाई जायें। कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक-पृथक हों, यह सभी मानते हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति, स्थानान्तरण और पदोन्नति उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। यह एक प्रशासनिक कार्य है और राज्य सरकारों के हाथ में होना चाहिए। अवैतनिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की प्रथा हमारे यहां बहुत पुरानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रभावशाली व्यक्ति को अवैतनिक मजिस्ट्रेट बना दिया जाता था जो छोटे-छोटे अपराधों के मामले निबटाता था। इस विधेयक में भी ऐसे मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का उपबन्ध रखा गया है किन्तु ऐसे व्यक्ति को थोड़ा बहुत न्याय करने का अनुभव होना चाहिए। यह उपबन्ध सरकारी नौकरों ने अपने लिया रखा है ताकि सेवा-निवृत्ति के पश्चात वे ऐसे पद प्राप्त कर सकें। इस उपबन्ध में संशोधन किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

Shri Shiv Nath Singh (Junjhunu) : Mr. Chairman, Sir, the Criminal Procedure Code in regard to the courts was formulated during the British period, we have been working according to this code since fifty years prior to independence and till now i.e. after 25 years of independence. At times some changes have been brought therein but there was a considerable scope for change in the code which was formulated 75 years ago and for that Government introduced a Bill in Parliament now. I feel happy to say that the Joint Select Committee has given very good suggestions. Some suggestions came from the Government side also and in a span of short times this has been placed before this House and Rajya Sabha has already passed it. This Bill was introduced in the last sesssion also and now in this session it has been introduced. I do not know the mind of the oppositions to why they are trying to put it off. As compared to old code many changes have been made in this Bill and several commendable steps have been taken. Judiciary has been treated as a separate wing of the Government. In regard to states my experience is that the hopes, which we had, after the separation of judiciary has been belied. Even now we are receiving the complaints against those new officers who are not appointed in the Judiciary. Even then we accept the principle of separation of Judiciary from Executive. This is an important question. We can remove

the deficiencies which are prevalent in the Judicial officials and law and we can also bring them under control. Today we do not have so much of control over the judicial magistrate and executive magistrate who used to function earlier. They work according to their own will and they are not affraid of anybody. High court is unable to exercise so much control over them today. Young boys are being recruited today and they are working according to their wishes and they are in fact selling the justice. If I say so there is nothing improper. But we accept the principle of separate judiciary. There is need of improvement. The State Governments and Central Government should also bring improvements therein wherever there is a scope for it and they should evolve such machinary whereby there may be control over the magistrate and they may not be able to sell the justice.

I want to draw the attention on the salient features of this Bill. The first thing is this that judiciary has been accepted as a separate wing in this Bill. Another good provision in the Bill is that the accused will be defended on the Government expenses in the Session courts. Uptill now our experience has not been very good. I want to give some suggestion in this regard. Even now Emiss query Courts are appointed in the murder cases and they are the lawyers who are appointed there. Only the junior lawyers are given such cases because the charges of senior and good lawyers are very high and they do not accept such cases of Government rates. In such circumstances even today the accused is not getting justice. Now a provision has been introduced whereby the accused will be defended in Session Courts at Government expenses. I will submit that a provision should be made whereby top lawyers could be engaged for the defence of the accused. A list of all the lawyers who are members of the Bar should be prepared and Government should appoint such lawyers by rotation and no lawyer shall refuse to defend the accused. They may get less payment but they earn much more in other cases therefore no lawyer who soever is appointed by court or Government by seniority shall not refuse to defend the accused. This should be made obligatory on them. If such a provision is not made then only the junior lawyer will remain in the field and there is more possibility of the accused getting the severe punishment. Therefore such a provision should be there.

Even for small offences culprits have to come to courts time and again because cases remain pending for two to three years. A provision has been made in the Bill whereby summons will be issued and if the person concerned accept the crime he need not come to court and send the amount of the fine to the court.

According to new provision only those cases will be referred to the Session which can be beard there only. Now even those cases which can be beard by other first class magistrate are also referred to the Session Courts. Now Session Courts will be able to dispose of their cases expeditiously and people will get early justice. There is no need of cross-examination in the formal character evidence. One can now produce affidavit. After that it will be included in the evidence and there will be no need for cross-examination. It is a good provision.

The best provision is made in clause 428. Now what happens is that culprits who go to courts and who are not released on bail remain in custody for two to three years and afterwards they are sentenced for 4 to 6 months and sometimes they are even set free. So this is an unfortunate situation. Now according to new provision this period of detention in custody will be reduced from the period he is convicted. This is a very good provision and it will reduce the hardship of the accused.

A good provision for anticipatory bail has been made in the Bill. Both High Court and Session Courts have been given powers under this provision. Now it is said that police act with high handedness and commit excesses. They register the cases and after arresting the accused they extract money from them. This provision has been introduced to avoid such misutilization and now accused can have anticipatory bails. It is a very good provision and I welcome it.

A provision in regard to summary proceedings has also been introduced. It is said in chapter 8 that sec. 107, 108, 109, 110, 111 are being misused. Sec. 107 and 109 are being misused even on much larger scale. Police register false cases under sec. 107. Now under the new provision there cases have to be disposed of within six months otherwise they will due their own death.

[Shri Shiv Nath Singh]

Even after prosecuting 50 or 60 people in each case under section 107 Cr.P.C. cases are not decided till three or four years and the people have to attend the Courts and finally the case results in acquittal and there is no conviction beyond one percent. People file suits against their harassment. Now the Courts are bound to decide cases within 6 months failing which proceedings will automatically be over. It will be convenient to the people and there will be no misuse of section 107.

The police was authorised to arrest people under Section 109 Cr. P.C. for their having ostensible means but now their provision has been removed. It is an improvement to a great extent though there are still some such provisions in section 109, yet there are improvements as compared to previous provisions and that is why, it is a welcome measure. I think there are certain other provisions also, The hon. Minister should look into them and it is good if some improvements are made therein.

Sir, the police today as well as for future also has been authorised in bailable case where the offence is cognizable. For example, if there is a bailable case under section 325, it comes under section 324 because the offence is cognizable and that is why the Police can make arrests in such cases. I would like to suggest that the police should not have a right to arrest the accused in a bailable case where the offence is cognizable. They may ask for bail in such cases. The Hon. Minister may say that such accused are bailed out by the Police themselves. I agree to it. But the accused is required to be arrested before he is bailed out, this provision needs improvement.

As regards committal on private complaints, the process of committal has been removed and the cases are committed direct to the court of session. This is a good procedure since the committal is provided to be made after certain enquiry on the complaint. As regards the provision under clause 203, that the copies of statement and documents will be furnished to the accused provided that any such document is not voluminous and if it is so accused will only be allowed to inspect it either personally or through his pleader in court, I can say with my own experience of the courts that there are no documents which the prosecution cannot produce and the accused cannot examine. He can examine and cross-examine it. There is a separate procedure for inspection of the documents and the accused cannot proceed further with the case without obtaining a copy of the documents. It should be made compulsory that the prosecution will, along with all the documents, no matter whatever their number, produce copies of those documents.

Sir, I oppose clause 30 which provides that the court may award such term of imprisonment in default of payment of fine as is authorised by law. Personal liberty of a man should not be under estimated. It is possible that he may not possess any property in which case, he should be fined and it should be recovered when the comes in possession of property. But there should not be any such provision to curtail his liberty and to keep him imprisoned in case he fails to pay fine. It is not proper.

Another view point I want to put forth is that it is upto the Magistrate that he should allow or not to the lawyer to represent the accused after he has appeared in the court. It shall be a big revolutionary step that neither plaintiff nor court gains anything from the frequent appearances of those who are released on bail. He should be called to court only when any need arises and this lawyer should be allowed to plead the case on behalf of the accused. It is quite obvious that human power is wasted when the accused has to appear again and again after 10 or 15 days. Therefore, when accused is on bail, the provision regarding pleading by lawyer should be a compulsory one. Special reasons should be recorded when it is not possible. In rest of the cases lawyer should be allowed to plead the case.

Mr. Chairman, I welcome the clause 263 containing powers regarding summary trials. But the Magistrate has been vested with high power. As I had stated in the beginning, the present magistrate are in experienced and they have, therefore, to record somewhere that such

and such witnesses were examined and such statement was recorded. It may not be possible for him to keep complete record but he should be bound down to record the names of witnesses examined and their summary statements. Otherwise, they play cards, take tea and at-last say that he had found the accused guilty after hearing the witnesses. Such wide power should not be enjoyed by Magistrate and statements may be summary statements of witnesses should be recorded in summary trials. But statements of witnesses must be recorded.

You have restricted appeals in some cases, Clause 376 contains some cases in which one cannot appeal if sentence is less than a prescribed period. I am of the opinion that sentence of even one day is much for the citizen of free India. Who is not guilty. Therefore, the right to appeal should be revived and not curtailed. Right to appeal shoud be maintained in every case where sentence is awarded. In cases of fine, appeal may not be allowed.

Mr. Chairman, another vital question is that he may restore, should not be there when property is violated. When property is violated and accused is sentenced, it should be compulsory to restore the property to the defendant.

Mr. Chairman, the provision of litigation has been kept in some cases and not in others. There are various categories of cases. In some cases, court cannot take cognizance after 6 months have elapsed while in others it can. I do not agree to it. These days, Police keeps case from 6 to 8 months and after that final report may be attached. It is not proper to debar a private party from going to court. It should not apply in criminal cases. Otherwise, it will create difficulties. Government should take note of all this. Rest of the provisions are good and great improvements have been affected in the Code. The Bill is weclome on this account and Government deserves congratulations for this.

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : सभापति महोदय, मैं श्री राम निवास मिर्धा को बधाई देता हूं कि उन्होंने संयुक्त समिति में बडी उदारता का परिचय दिया जिससे उसके इस विधेयक पर विस्तार से विचार हुआ। उसमें राजनीतिक पक्षपात नही किया गया बल्कि इस बात पर ध्यान दिया गया कि प्रक्रिया सम्बन्धी ऐसा कानून बनाया जाये जिससे न्याय सस्ता एवं प्रभावकारी शीघ्र मिल सके। सबसे पहले मैं न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक–पृथक होने का प्रश्न लेता हूं। स्वतंत्रता प्राप्त होने से पूर्व ही उसके लिए मांग की जा रही थी जो अब तक पूरी नहो सकी। इस विधेयक मे पहली बार यह व्यवस्था की जा रही है। इसके अनुसार मजिस्ट्रेटों के दो वर्ग होंगे न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रशासनिक मजिस्ट्रेट। प्रशासनिक मजिस्ट्रेटों का कार्यक्षेत्र केवल कुछ धाराओं जैसे 107, 145 और 133 आदि तक ही समिति रहेगा। अन्य मामले जिनमे सजा या जुर्माना हो सकता वे न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा तय किये जायेंगे। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी किन्तु उनकी तैनाती, पदोन्नति आदि उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी। इस संहिता की एक विशेषता है पब्लिक प्रोसीक्यूटरों की नियुक्ति। शैसन कोर्ट में मुकदमा लडने के लिए इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा जिला न्यायाधीश के परामर्श से की जायेगी। उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार करेगी। इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी, जो मामले की जांच से सम्बन्ध है, न्यायालय में पब्लिक प्रोसिक्यूटर की हैसियत से पेश नहीं होगा।

इस विधेयक की आलोचना इस आधार पर अधिक की गई है कि इसके उपबन्धों का पुलिस द्वारा प्राय: दुरुपयोग किया जाता है। किन्तु इसमें संहिता के उपबंधों का क्या दोष है। यह दोष है उनका दुरुपयोग करने वालों का। पुलिस प्रशासन को सुधारने के लिए हमें अन्य प्रशासनिक उपाय करने चाहिए न कि संहिता के उपबन्धों को ही समाप्त कर दें। यदि धाराएं 145 और 107 आदि को समाप्त कर दिया जायेगा तो इससे निर्धन लोगों का हमी अधिक शोषण होगा। उन्हें कहीं भी न्याय प्राप्त नहीं होगा। निर्धन लोगों के ही घर जलाये जाते है, उनके खेत बर्बाद किये गये है उनके पशु चुरा लिये जाते हैं और उनकी फसल लूट ली जाती है। उन्हें गवाह नहीं मिलते है। ऐसी गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए ही प्रशासनिक मजिस्ट्रेट होते है। नयी

[श्री. बी० आर० शुक्ल]

संहिता की धारा 110 में यह नयी व्यवस्था भी की गई है कि जिन व्यक्तियों की भ्रष्टाचार करने या भ्रष्टाचार करने में सहायता करने की आदत बन चुकी है, उन पर भी इस धारा के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके लिए किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक धारा 167 के अन्तर्गत बयान देने का सम्बन्ध है, मुख्य न्यायाधीश श्री सुब्बाराव ने यह निर्णय दिया था कि मूल को खंडन नहीं माना जायेगा। इससे वकिलों के सामने एक कठिनाई पैदा हो गई थी। नयी संहिता में यह व्यवस्था की गई है कि यदि मूल महत्वपूर्ण और तर्क संगत है, तो उसे खंडन माना जायेगा। पहली संहिता के अनुसार सैशन जज को पुनरीक्षण के मामले (रिवीज़न केस) उच्च न्यायालय को भेजने होते थे किन्तु नयी संहिता के अनुसार एक वरिष्ठ न्यायाधीश ऐसे मामले निबटायेंगा। इससे निर्धन लोगों का दोहरा खर्च कम होगा और उच्च न्यायालय का कार्यभार कम होगा। नयी संहिता के अनुसार जमानत मुचलके देने वालों का प्रमाण बाद में तहसीलदार आदि से मांगने की प्रथा समाप्त कर दी गई है। अब स्वयं मजिस्ट्रेट को ही शपथ पत्र आदि के आधार पर जमानात देने वाले की हैसियत के प्रति संतुष्ट होना पड़ेगा। नयीं संहिता में अवैतनिक न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में यह व्यवस्था की गई है कि कानून का अनुभव रखने वाले लोगों, जो सरकारी पदपर हों या रहे हों, को ऐसे पदों पर उच्च न्यायालय के परामर्श से और उसके द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत नियुक्त किया जायेगा। अन्त में, मैं माननी सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे इस जनहित के विधेयक को शीघ्र पारित होने दें।

Shri M. C. Daga (Pali) : It is a very good suggestion. Even to-day the magistrates seldome write statements in their own hands. In lower courts, Readers write the proceedings of the courts. The Magistrate pays little attention to the case and as a result of that the poor accused is penalised.

The Reader writes the judgement. The Magistrate only puts his signature. Apart from that, person, who is moved under police custody is hand cuffed. It is not an exaggeration. When I had put up this question in the Assembly, I was told tnat about 3000 statements were not written in magistrates' hand: Therefore, this procedure of the Government is quite correct. The Government want to bring about improvement gradually. The new magistrates are not well-versed in laws. The Government has trained new persons. If there is an experienced magistrate to note the psychology of the accused and demeanour of the witness, the judgement can be justified. The provision regarding hand-cuff is not proper because the Police takes the accused through the streets after hand-cuffing him. When that accused is brought to the court, you know the inconvinient way, he is made to sit. After this, when he appears in the court, the magistrate should hear his statement first, as is given in section 144, and not on the next day. The magistrate should ask the accused open-mindedly as to what he has committed. Normally, the magistrate is unaware of whole story. He wants to perform his duties hurriedly so that he may attend to the other engagement after 5o' clock. He is not the least concerned with the accused nor he has gone through the case of the accused. The magi-strate hears the Public Prose cutor and sks him to present the case in writing to that he may be able to frame the charge. The magistrate should understand the case thoroughly so that he may ask the accused certain questions. The things conceded to by the accused should not be crosexamined. You will say that this is not a good procedure. I have simply suggested the way that as soon as the accused is presented in the Court he should be uinterrogated immediately and not after the lapse of two days or five days.

Secondly, the trial should be contained once it is started. There should not be long intervals between hearings of the case. The hearing should be on day-today basis. If there is day-to-day hearing and defence, it will be the benefit of such procedure that if there is any such witness during the day-to-day hearing, he will be considered as sufficient cause. But I say the sufficient cause is either of the investigating officer or of the doctor. There is delibarate attempt to give more and more dates for hearing in order to get more T.A. D.A. The magistrate should take statements of the accused at the earliest. After that there should be day-to-day hearings. It is only then, that the magistrate and the advocates will know all

t he details of the case and magistrate will pronounce his verdict at an early date. But the pre sent practices is that if to-day is the first hearing the second will be after two months. At the time of second hearing neither the judge nor the advocate remember the facts of the case, they go on recording the statements. High Court has prescribed a certain quota for the lower courts, it is not good.

There is a Section 109, I could not understand that I would like to know as to how many people in India have been convicted under section 110. I would like to know from the Hon. Minister as to how many people were challaned during 1972 under Section 110. There is no instance that the habitual offender has been convicted under section 110.

भारतीय उर्वरक निगम के बारें में चर्चा

DISCUSSION RE FERTILIZER CORPORATIGN OF INDIA

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्रीमान्, मैं उर्वरक निगम का मामला किसी राजनीतिक दृष्टिकोण अथवा केवल विरोध के कारण नहीं उठा रहा हूं किन्तु भारतीय उर्वरक निगम के महान कार्यों की म प्रशंसा अवश्य करना चाहता हूं। आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने और देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में इस निगम का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय खाद्य निगम ही एक ऐसा सरकारी निगम है जिसे कभी भी घाटा नहीं हुआ है। गत वित्तीय वर्ष में उसे 5 करोड रुपये का लाभ हुआ और उत्पादन लक्ष का 99 प्रतिशत उसने प्राप्त किया। ट्रांम्बे और नामरूप में उल्लेखनीय उत्पादन हुआ। ट्राम्बे को 9 करोड रुपये का लाभ हुआ। यदि नंगल और गोरखपुर में बिजली का अभाव न होता और सिन्दरी कारखाने के पर्याप्त कोयला उपलब्ध होता तो भारतीय उर्वरक निगम का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक होता। इसने बिक्री भी 89 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य से अधिक की।

भारतीय उर्वरक निगम ने उर्वरक बनाने की अपनी विधि विकसित की है। स्वदेशी वस्तुओं से कच्चा माल तैयार किया है। इससे विदेशी मुद्रा की बचत हुई। स्वदेशी तकनीकी ज्ञान के आधार पर उर्वरक उद्योक समूह विकसित किया गया है। कोयले पर आधारित उर्वरक बनाने की प्रक्रिया का विकास करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसका पूर्ण श्रेय निगम के वैज्ञानिकों को जाता है। साथ ही निम्न और मध्य वर्ग के लोगों को रोजगार देने मे भी निगम ने महत्वपूर्ण योगदान किया। विपणन की व्यवस्था, इस निगम ने सहकारी समितियों और छोटे व्यापारियों को दी। निगम को जितनी सफलता मिली उसका कारण यह भी है कि इसका प्रबन्ध तकनीकी विशेषज्ञो और वैज्ञानिकों के हाथ में है।

बिना गंधक के नाइट्रोजेन उर्वरक तैयार करने की विधि भी अपने आप में नयी है। इससे भारत को करोड़ो रूपये की गंधक बाहर से नहीं मंगानी पड़ती इस निगम को सबसे बड़ा श्रेय इस बात का जाता है कि उसके उर्वरक बनाने की प्रक्रिया और तकनीक का भारतीयकरण कर लिया है। इसी कारण निगम की 1000 करोड़ रुपये की लागत से 6 नये उर्वरक कारखाने लगाने का काम सौंपा गया है।

[**श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए**
SHRI S. A. KADAR *in the Chair*]

आत्मनिर्भरता लाने, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने स्वदेशी संसाधनों और कच्चे माल का उपयोग करने, डिजाइन, इंजीनियरिंग तथा तकनीक का भारतीयकरण करने आदि की दिशा में महान सफलता प्राप्त करने के बावजद सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण की जांच करने वाली समिति द्वारा इस निगम के बारे में यह सुझाव दिया है कि इस निगम का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। इस सुझाव पर मुझे आश्चर्य हुआ है।

[श्री समर गुह]

अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र की एक एजेन्सी ने तथा विश्व बैंक ने भारी वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव किया किन्तु उसके लिये यह शर्त लगाई कि योजना और विकास डिवीजन, डिजाइन और इंजीनियरिंग से सम्बन्धित कार्य नहीं करेगा।

अमरीकी विशेषज्ञों ने भारतीय उर्वरक निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया किन्तु निगम के तकनीकी प्रबंधकों ने इसका विरोध किया। कोयला पर आधारित कोरबा परियोजना को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया जिससे सरकार को 3 करोड रुपयों का घाटा हुआ। कुछ दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने उस परियोजना का उद्घाटन किया है।

कुछ कोयला खानों ने तथा शा वैल्लेस जैसे एकाधिकार प्राप्त व्यापारियों से आरम्भ से ही उर्वरक निगम के विरुद्ध षडयंत्र किया है। गंधक के आयात के मामले में भी भारतीय उर्वरक निगम के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया गया है, हमारे वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक का विकास किया है जिसके द्वारा गंधक के बिना भी नाईट्रो फास्फेट उर्वरक तैयार किया जा सकता है किन्तु आंतरिक तथा बाहय् निहित स्वार्थों ने इसका विरोध किया क्योंकि वे करोडों रुपयों के माल का आयात करना चाहते थे। अतः अपने देश के तथा अन्य देशों के तत्व परस्पर सांठ–गांठ करके भारतीय तकनीकी जानकारी का गलाघोंटना चाहते हैं।

मैसूर और आंध्र प्रदेश में उर्वरक व्यापार के सम्बन्ध में भारी भ्रष्टाचार के समाचार प्रकाशित हुए हैं। 'ऐक्शन कमैटी' का प्रतिवेदन भी आश्चर्यजनक है। उस समिति में पांच सदस्य में जिनमें से एक सदस्य भी तकनीकी जानकारी प्राप्त व्यक्ति नहीं था। उक्त समिति के नितांत पक्षपातपूर्ण निष्कर्ष निकाला है जो न तर्कसंगत है न विचारपूर्ण। समिति ने कहा है भारतीय उर्वरक निगम के प्रमुख प्रबन्ध में जब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तब तक उसके कार्य में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं आ सकती। उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि भारतीय उर्वरक निगम को पृथक-पृथक क्षेत्रीय निकायों में बांट देना चाहिए। मेरे विचार से इससे व्यय में अनावश्यक रूप से वृद्धि होगी तथा कोई लाभ नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार न करे।

परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने तथा प्रौद्योगिकी में आधुनिकता लाने के बहाने से एक्शन कमैटी ने विदेशी सहयोग तथा विदेशी प्रभुत्व की अप्रत्यक्ष सिफारिश की है। उर्वरक के वितरण के बारे में देश भर में चोर बाजारी फैली हुई है जिसके लिये भारतीय उर्वरक निगम को दोषी ठहराने का प्रयत्न किया जाता है। भारतीय उर्वरक निगम निर्यात सहित उपभोक्ताओं को सप्लाई किये जाने वाले कुल उर्वरक का केवल 15 से 17 प्रतिशत तक व्यापार करता है जिसमें से लगभग आधे उर्वरक का वितरण सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है। शेष 80 से 85 प्रतिशत उर्वरक का वितरण राज्य सरकारों के माध्यम से केन्द्रीय उर्वरक पूल द्वारा किया जाता है।

भारतीय उर्वरक निगमं ने राज्य सरकारों के पास एक परिपत्र भेजा था कि वे उन व्यापारियों के नाम बताएं तो उर्वरक के वितरण के बारे में कदाचार करते हैं। 2,400 व्यापारियों में से केवल सात-आठ व्यापारियों के विरुद्ध शिकायतें की गईं जिनके लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिये गये।

मंत्री महोदय ने बताया था कि उर्वरक के वितरण का कार्य कृषि मंत्रालय को सौंपा जाना चाहिए। भारतीय उर्वरक निगम ने इसे स्वीकार कर लिया किन्तु कृषि मंत्रालय ने केवल 30 प्रतिशत उर्वरक के वितरण का कार्य सम्भालने का निर्णय किया। तीन महीने पश्चात् उक्तमंत्रालय ने इस उत्तरदायित्व से इंकार कर दिया। अब इसके वितरण के लाइसेंस राज्य सरकारों द्वारा दिये जाते हैं।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण घटना की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब भारतीय उर्वरक निगम का प्रबन्ध तकनीकी व्यक्तियों के हाथ में आया था तब व्यापारियों की ओर बिना किसी जमानत के 2.50 करोड़ रुपयों की राशि बकाया थी। किन्तु दो वर्ष की अवधि में नए प्रबन्धकों ने लगभग

2 करोड़ रुपयों की राशि वसूल कर ली। फील्ड आफीसरों ने लगभग 13 लाख रुपए वसूल किये तथा उन्हें बैंक में जमा करा दिया। इस पर निदेशक प्रमंडल के पांच सदस्यों ने बम्बई में बैठक ली तथा उन्होंने इस मामले में प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ दोष पाएं तथा यह निर्णय किया कि इस मामले को सी० बी० आई० को सौंपा जाना चाहिये।

मैसूर और आंध्र प्रदेश में 420 व्यापारी हैं। उर्वरक पर कंट्रोल होने के बाद भी चोर बाजारी की गई है। जैसा कि मैं कह रहा था यह मामला उन्होंने स्वयं केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा था। उत्पादन और विपटन निदेशक तथा ट्राम्बे यूनिट के प्रबन्धक के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की गई है। यद्यपि मंत्री महोदय ने प्रथम दृष्टितयः उनके विरुद्ध कोई मामला नहीं माना तथापि उन्हें छुट्टी जाने के लिये कहा गया है। पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय के तीन-चार भूतपूर्व मंत्रियों की दृष्टि में डा० के० आर० चक्रवर्ती तथा डा० मुकर्जी अत्यंत ईमानदार तथा कार्यकुशल व्यक्ति हैं।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरूआ) : डा० चक्रवर्ती को छुट्टी जाने के लिये नहीं कहा गया। उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है।

श्री समर गुह : एक संसद-सदस्य ने श्री सेठी को एक पत्र लिखा था जिसमें श्री चक्रवर्ती तथा श्री मुखर्जी को शीघ्र सेवा से निकाले जाने का अनुरोध किया तथा यह मांग की कि इस मामले की जांच का कार्य भूतपूर्व चैरमैन श्री सतीश चन्द्र को ही सौंपा जाए। मैं माननीय सदस्य का नाम नहीं बताना चाहता।

निष्कर्ष के रूप में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण की समय-समय पर समीक्षा अवश्य होनी चाहिये किन्तु सरकार को यह भी देखना चाहिये कि यह कार्य किसे सौंपा जाए। मेरे विचार से यह कार्य कुछ विशेषज्ञों को सौंपा जाना चाहिये अथवा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को सौंपा जाना चाहिये। एक्शन कमैटी की रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है तथा उसमें विदेशी निहित स्वार्थों की सहायता की अप्रत्यक्ष मांग की गई है। अतः उसी पर गम्भीरता से विचार करके ही कोई निर्णय किया जाना चाहिए।

ट्राम्बे यूनिट के प्रबन्धक तथा उत्पादन और विपणन प्रबंधक पर जो आरोप लगाए गये हैं वे निराधार हैं। उन्होंने 25 वर्ष तक भारतीय उर्वरक निगम को निष्ठापूर्वक सेवा की है। उन्होंने सरकार की आय में वृद्धि के उद्देश्य से ही कार्य किया है सम्भव है उसमें कोई प्रक्रिया सम्बन्धी भूल हो गई हो।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : A point of order, Sir it is worthwhile casting such asparasions on an officer and misleading the Parliament when CBI is conducting an enquiry into the case regarding that officer.

श्री समर गुह : मंत्री महोदय कृपया केन्द्रीय जांच ब्यूरो से शीघ्र जांच कार्य पूरा करने को कहें। यदि किसी भी व्यक्ति को दोषी पाया जाएगा तो मैं उसका कोई पक्ष नहीं लूंगा। किन्तु जिस उपक्रम ने देश को आत्म निर्भरता की ओर बढ़ाया है तथा जिसके वैज्ञानिकों ने निष्ठापूर्वक सेवा की है उनकी प्रतिष्ठा बनाए रखना मेरा कर्तव्य है।

अत्यावश्यक वस्तूओं क मूल्यों में वृद्धी पर चर्चा के बारे में

RE DISCUSSION ON INCREASE IN PRICES OF ESSENTIAL COMMODITIES

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघु रामैया) : मेरा सुझाव है कि उक्त विषय पर नियम 193 के अन्तर्गत 15 मई को चर्चा होनी चाहिये क्योंकि सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों ने इसकी मांग की थी।

भारतीय उर्वरक निगम के बारे में चर्चा—जारी

DISCUSSION RE FERTILIZER CORPORATION OF INDIA

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : Sir, My friend, Shri Guha has raised a serious matter and I am pleased that he has prepared a case for complete Indianization. It is necessary in view of our anticipations that our country should be self sufficient on the requirements Today we need more fertilizers to have more foodgrains. We have been trying for the last several years but have not achieved the desired fertilizer production target so far. In view of this matter assumes more importance. Its pros and cons are required to be examined. He has recommended the item for the public sector. We also support Public sector. Our Government policy also supports strengthening of the Public Sector as far as possible and remove its deficiencies. There are no two opinions about it. What I mean to say is that we agree to the proposals put forth by my friend.

Now, I would like to say something about it, I agree that sometimes there may be laziness, there may be deficiencies sometimes. But, no Government can tolerate the arbitrary functioning. I am not opposing anybody. This F.C.I. is a new organization before us (*interruptions*)—I have said neither Banerjee nor Mukherjee. I have said A.B.C. I do not know who is responsible. I only know that a class is functioning there. I have always been in favour of Technocrats because they are well-versed in technical aspects. There is no difference of opinion about it that technical know-how may advance the nation. We should have that. But regarding the technocrats, I would not like to disclose their names, there is no progress with their work. There is no advancement in national production, we are facing a crisis regarding certain things and the reason is that the technocrats want certain things limited to their likes and dislikes. I am neither in favour of any I.C.S. or particular class nor am I opposed to anyone. (*interruptions*) I support the technocrats because they know where the deficiencies are and how to remove them. Some I.A.S. or other officers parhaps, may not know it. My friend Shri Guha said that 0.1 percent of the total fertilizers is being used by the fertilizer dealers in Andhra Pradesh. He has not stated the amount involved and the names of the parties who have paid the amount. What are those other item for which these 13 or 14 Parties paid the amount? Why this amount was paid? Why the matter should not be investigated? I think if we go deep into the matter we will find certain other things associated with it which will enable us to examine the working of F.C.I. in the country. As regards Food Corporation of India, we have asked to remove the deficiencies therein. Food Corporation purchased loose grains from the farmers and supplied it in bags to the flour Mills. The amount for the purchase was being paid by the Food Corporation themselves. They paid crores of rupees in this way. (*interruptions*). I dont mean that. That is also known as F.C.I. I leave that, but this F.C.I. is no less than that.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Where is the Chairman of that Food Corporation?

Shri Darbara Singh : He might have gone to see you. I referred to that simply because malpractices are rampant in both of them. I do not want to name anybody. I don't know his name. I would like to say certain things.

This time, he is acting as General Manager Planning and Development. The Board which is empowered to recommend the name, approved that he has appointed a manager. I would like the hon. Minister to enquire into whether the approvel was given or not. If there has been no approval then why is he there as acting General Manager. Secondly, the man, the defaulter, working there was rejected by U.P.S.C. in 1950 and today he is working there. Who is the appointing authority? F.C.I. was formed with the amalgamation of Nangal and Sindri fertilizer units. Production position in Nangal and Gorakhpur is satisfactory. I would like to know how for production at Durgapur, Cochin and Barauni have increased. That is 50 percent there. As regards the unit in Cochin, the man who got constructed half part of it, which is in working position today, was attacked, assaulted and turned out. The people who constructed the remaining half which is not giving any production are being shielded by the members here. This is the position in Cochin. You see and go into it. I will not name anybody. May I know the details about Camico; who is seeking help from them? Camico is an American firm. I would like you to see as to who has enabled them to come forward.

I would like to mention one thing more in which I will have to name two persons. There is firm in whicntwo brothers are employed, one is posted at Bombay and the other at Calcutta They are the Agent of an Italian firm, a very inferior one, Monete Adits and claim that the are producing indigenous material. There is a foreign participation of 35 crores in a project costing 70 crores, Is it then an indigenous production? These two brothers, I do not know their names, are the owner of big property amounting to crores of rupees. You should look into their past and present assets. Where from have they accumulated this huge property? You may not be knowing that Agency. They pay 5 or 10 percent and take over all the contracts. Who is responsible for all this ? This is not a petty matter. It is said that there is no *Prime facie* case but suspicion is there. *Prime facie* and sus picion both are there when a *Prime facie* case is established. I would have been one with myfriend, had the scope of enquiry been widened, had it been an enquiry regarding the working of the entire corporation. I had he agreed to remove the irregularities. Who has appointed 3 or 4 thousand persons in the first instance and for what purpose? Has it not been done arbitrarily. Who has permitted this? Listen to Technocrats, they say that non-engineers are selected for the post of Chief Engineer.

Shri Samar Guha : When ?

Shri Darbara Singh : It is being done—if it is wrong, let them correct it.

Shri D. K. Borooah : Tell the name. Tell it later on.

Shri Darbara Singh : I will tell you privately. I will not name your services parliamentarily.

There are certain other things. I do not like to mention any political figure as to how he is involved. This is not my nature. I simply want that all the approvals given by the board should be withdrawn. They have been given wide powers for such a fraudulant action and that is why they are acting arbitrarily. The Minister is not aware of all these things. High officials of the Government are involved in serious bunglings, they have accumulated huge wealth.

How funny it looks that the man who evolved the procedure, who conducted research work was not conferred upon any title or award. The award was conferred upon some of his officer. The matter should be looked into.

Shri Samar Guha : Appoint an expert committee.

Shri Darbara Singh: A very good suggestion. You have supported me. An investigation Committee should be formed which should go into all these things and irregular and fraudulant methods may stop.

Shri Guha has mentioned that there are about two thousand agencies. Out of them about 200 co-oparative Societies are there. These distribution agencies should be given to exservice men, disabled persons and to unemployed Engineers, other infiltrations therein should be checked. These agencies should either be allotted direct to Co-operative societies or to the people who believe in collective working. Allotment should be made throgh marketing Federations or through other institutions: The dealership should not be entrusted to a single body.

I have many more things to say but I have restrained myself, therefore, I am not going to enumerate them all. If asked, I may produce in writing. I agree with my friend Shri Guha that the Government should conduct a detailed enquiry into the entire structure of FCI. One who is found guilty should be punished but those who are good at work but slow should be given adequate opportunity. If the matter is gone into deeply, we will find serious bungling amounting to crores of rupees. I am concerned neither with American nor with Russian Lobby. I am interested only in removal of the irregularities and malpractices prevailing Internal bickerings and manipulations for personal gains in F.C.I. should be stopped forthwith with a view to achieve the full capacity of food production—I will urge the Hon. Minister to conduct a thorough enquiry, not in precemeals, so that the matter ends for ever.

सभापति महोदय : अभी बोलने के लिये 11 सदस्यों के नाम मेरे पास हैं । क्या सभा कुछ अधिक देर तक बैठने के लिये सहमत है ?

श्री के० रघु रमैया : हम सात बजे तक बैठ सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : सर्वप्रथम मैं प्राक्कलन समिति के 40वें प्रतिवेदन में उल्लिखित उर्वरक की खपत के लक्ष्यों तथा उत्पादन लक्ष्यों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसके अनुसार 1971-72 में उर्वरक की देश में कुल 26.56 लाख टन खपत हुई जब कि निर्धारित लक्ष्य 32.0 लाख टन था ।

वर्ष 1971-72 में नाइट्रोजन और फोस्फेट के उत्पादन की सरकारी क्षेत्र में अधिष्ठापित क्षमता 666,000 टन थी जब कि वास्तविक उत्पादन 402,000 टन से अधिक नहीं हो सका । अर्थात् केवल 60.9% अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया गया। किन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादन बहुत अधिक हुआ । समिति ने टिप्पणी की है कि जबकि देश को कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के लिये अधिक से अधिक उर्वरक चाहिये सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन न करना खेदजनक है ।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि भारतीय कृषकों को, जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है उर्वरक का इतना अधिक मूल्य चुराना पड़ता है जितना विश्व के किसी भी देश के कृषकों को नहीं चुराना पड़ता । यदि 100 किलोग्राम उर्वरक का मूल्य पश्चिम जर्मनी में 28.7 डालर है तथा फ्रांस में 26 डालर तो भारत में 34.3 डालर है । प्राक्कलन समिति ने भी माना है कि उर्वरक का मूल्य विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में सबसे अधिक है । ऐसी स्थिति में भारतीय उर्वरक निगम को बनाए रखने का क्या औचित्य है? हम जानते सरकार एकाधिकारियो, बिरला और टाटा आदि गृहो का कितना हित चाहती है । एकाधिकार प्राप्त विदेशी फर्में अत्यंत लाभ कर रहीं हैं । हाल में जपानी फर्म टोमो एण्ड कम्पनी को 5 यूनिटों के लिये लाइसेंस दिया गया है । मद्रास प्रोजेक्ट के बारे में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले आठ वर्षों तक इस कम्पनी के लिये विपणन के क्षेत्र में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा । क्या इस देश में अमरीकी राज्य है ?

तूतीकोरन में नेपथा पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना के बारे में डा० त्रिगुण सेन ने त्यागपत्र देने की धमकी दी थी । किन्तु श्री चिदम्बरम को इसका लाइसेंस दिया गया क्योंकि सरकार उसको अनुगृहीत करना चाहती थी । किन्तु डा० त्रिगुण सेन ने मंत्री रहने तक ऐसा नहीं होने दिया ।

अब मैं इंडियन एक्सप्लोसिव्ज फर्टिलाइजर डिवीजन का उदाहरण देना चाहुंगा । उसका पूंजी गत ढांचा इस प्रकार है ।

भारतीय राष्ट्रपति	12.75 प्रतिशत
आई० पी० आई० लिमिटेड	51.02 प्रतिशत
पब्लिक	26.22 प्रतिशत

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra) : A point of order, Sir, May I know the time allotted to a member to speak ?

Mr. Chairman : There is no point of order in it.

Shri Shankar Dayal Singh : There is point of order, kindly listen to me.

Mr. Chairman : Sit down, please. You have asked about the time allotted, it is procedural matter. As regards time consumed by the hon. Member, it is matter of information. Let him sit down and then you ask about it. You may raise a point of order if there is something new in his speech.

Shri Shankar Dayal Singh : Kindly, listen to my point of order. My point of order is that according to rule 352 of the rules of Procedure of the House there is procedure for a member to speak. There is a procedure under rule 352 for the member who participate in a debate. The Hon. Member while speaking about fertilizers have referred to Maruti and certain other things. What is your ruling in this regard. You may direct him not to go irrelevant. I want your ruling in this regard.

सभापति महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है कि क्या माननीय सदस्य ऐसे प्रश्न पर भी बोल सकते हैं जिसपर चर्चा न हो रही हो। मेरा विचार है कि माननीय सदस्यों को अपने भाषण उसी प्रश्न तक सीमित रखने चाहिए जिसपर चर्चा हो रही हो।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं नेपथा पर आधारित उर्वरक संयंत्र, जिसके लिए लाइसेंस जारी किया जा चुका है, का उल्लेख करना चाहता था। इस कम्पनी का 1971 में 2,48,60,000 रुपये का लाभ था 1972 में...

श्री दामोदर पांडे (हजारी बाग) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य सभापति को सम्बोधित करे किसी सदस्य को नहीं। यह चर्चा भारतीय उर्वरक निगम के बारे में है न कि कानपुर स्थित आई० सी० आई० की फैक्टरी के बारे में।

सभापति महोदय : श्री ज्योतिर्मय बसु आगे से पीठासन अधिकारी को ही सम्बोधित करेंगे। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, यदि निगम के कार्यकरण में इस फैक्टरी का कुछ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है तो इन बातों का उल्लेख किया जा सकता है। यदि यह कोई अलग मामला है तो इसे इस समय यहां पर नहीं उठाया जाना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब इस कम्पनी में सरकार भी भागीदार है। एक वर्ष में इस का लाभ 2,48,60,000 से बढ़कर 7,40,13,400 रुपये हो गया है। 1971 में वह 3,40,000 रुपये था परन्तु जब लाभ तीन गुना बढ़ गया तब कर कम होकर 2.73 लाख रुपये रह गया। यह सरकार की नीति का एक नमूना है।

मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता था कि किसानों को दुगुने भाव पर उर्वरक खरीदना पड़ता है। यह कम्पनी जिसमें सरकार भी भागीदार है, गम्भीर आपराधिक कदाचार कर रही है। वह चोर बाजारी कर रही है और इस के ब्रिटिश मालिक अत्यधिक लाभ अर्जित कर रहे हैं। दो भाई हैं जिनमें एक माल उतारने तथा चढाने के ठेकेदार और दूसरा परिवहन ठेकेदार है। जनवरी 1972 से मार्च 1973 के बीच यूरिया की एक भारी मात्रा गुम हो गई है। कुछ मालडिब्बों को अस्वीकार करके उनमें यूरिया भर उनको वापस भेज दिया जाता है। हाल में उत्तर प्रदेश में कल्यानपुर पुलिस स्टेशन द्वारा 22 बोरे यूरिया पकड़ा गया है। 20 जनवरी को मेसर्स बंसल रोड कैरियरस के चार ट्रक पकड़े गये थे। उनमें 8, 10, 8 और 10 टन यूरिया था। एक ट्रक जिसका यू० पी० सी० का नम्बर था उसका चालान हो गया। चालान की एक फोटो स्टैट प्रति मेरे पास है। मैं उस को सभा पटल पर रख सकता हूं। इस से साफ तौर से पता लगता है कि किस प्रकार यूरिया चोरी हो रहा है और चोर बाजार में बेचा जा रहा है। वह अपने कर्मचारियों को बहुत परेशान भी कर रहे हैं। कार्मिक संघ के नेताओं को तंग किया जा रहा है।

क्या भारतीय उर्वरक निगम की वर्तमान कठिनाई इस कारण है कि सत्तारुढ़ दल के कुछ सदस्यों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया है। क्या यह भी सच है कि कुछ राजनैतिक नेता अपने लिए अभिकरण लेने का प्रयास कर रहे हैं? भारतीय उर्वरक निगम के पूरे ढांचे में भ्रष्टाचार और कदाचार हो रहे हैं। सरकार को ऐसे व्यक्तियों का संरक्षण करना चाहिए जो कि ईमानदार सिद्ध हुए हैं। इस सारे मामले की संसद सदस्यों की समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए।

Shri Sat Pal Kapoor (Patiala) : May I know whether this photograph will be placed on the table? I think H. S. approval is needed for it. Moreover it is not so much a relevant document.

सभापति महोदय : इसे अध्यक्ष महोदय के समक्ष रखा जाना चाहिए और वही इस बात का निर्णय करेंगे कि इसे सभापटल पर रखा जाय अथवा नहीं ।

श्री श्याम सुन्दर महापात्र (बालासौर) : इस चर्चा में देश के सभी वर्गों के लोग रुचि ले रहे हैं । भारतीय खाद्य निगम पर चर्चा के दौरान मैंने निगम के उच्च अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये थे । परन्तु आश्चर्यजनक बात यह है कि उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मैं यह नहीं समझ सका कि इन तीन निदेशकों पर क्यों आक्षेप लगाय जा रहे हैं । ऐसा लगता है कि परदे के पीछे कोई बहुत गम्भीर मामला है ।

डा० चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक है और 1954 में उन्हें पद्मश्री दिया गया था । अभी हाल में उन्हें वियाना में भी पुरस्कृत किया गया है । श्री मुकर्जी भी एक बहुत विद्वान व्यक्ति हैं । उन्होंने अनेक अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लिया है । इस क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता ।

इसी प्रकार श्री घोष भी एक विद्वान व्यक्ति हैं । पता नहीं इन तीनों व्यक्तियों पर किन कारणों से आक्षेप लगाया जा रहा है । मुझे सन्देह है कि किसी भी अन्य सरकारी उपक्रम में इतने विद्वान व्यक्ति हों ।

किसी ने मुझे बताया है कि इस देश में कुछ अन्य देशों के स्वार्थ निहित हैं । ये देश वहीं हैं जोकि चाहते हैं कि हम उनसे इसका आयात करें ।

कोयला खानों के जो मालिक गत 20 वर्षों से सिन्दरी संयंत्र को कोयला सप्लाई कर रहे थे, गत वर्ष घटिया कोयला सप्लाई करते हुए डा० चक्रवर्ती तथा मुकर्जी द्वारा रंगे हाथों पकड़े गये थे । क्या उसी कारण से कोयला खानों के मालिक इन अधिकारियों के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं ? क्या इस में शाहवालेस, रेलिग इण्डिया जैसे बड़े बड़े एकाधिकार प्राप्त गृह अन्तर्ग्रस्त हैं ?

भारतीय उर्वरक निगम डा० चक्रवर्ती के नेतृत्व में बेरोजगार इन्जीनियरों को रोजगार दे रहा है और छोटे व्यापारियों को संरक्षण दे रहा है । लगभग 400 बेरोजगार इन्जीनियरों को भारतीय उर्वरक निगम में रोजगार दिया गया है ।

कुछ ऐसे विदेशी इन्जीनियरिंग गृह हैं जो यह नहीं चाहते कि हम अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करें और कि हम तकनीकी जानकारी के लिए उनपर ही निर्भर करते रहें । श्री एल० एन० घोष ने एक पत्र भी घर को लिखा था । यह पत्र मेरे पास है उसमें कहा गया है कि किसी भी विदेशी फर्म को काम देने से पूर्व यह निश्चित किया जाना चाहिए कि क्या वास्तव में स्वदेशी फर्मों के पास काम अधिक है । क्या इस बात की गुजायश है कि वह अपनी जिम्मेदारी को किसी अन्य पर थोप देंगे । भारतीय उर्वरक निगम ने देश में नई तकनीकी जानकारी के विकास से अनेक संयंत्र स्थापित किये हैं । उनकी भावाना यही रही है कि इसके लिए विदेशी तकनीकी जानकारी पर निर्भर न रहना पड़े ।

डा० मुकर्जी को इस मामले में तथा ये अन्तर्ग्रस्त किया गया है जबसे उन्होंने आंध्र और मैसूर में 13 लाख रुपये की राशि वसूल की हो लगभग दो करोड़ रुपये व्यापारियों की ओर बकाया हैं यदि यह व्यापारी धन वापस न दें तो इन के विरुद्ध क्या किया जा सकता है । उन्होंने इस राशि को वसूल करने का एक तरीका निकाला । हो सकता है तकनीकी तौर पर इस में कुछ कमी हो परन्तु जहां तक राष्ट्रवाद का सम्बन्ध है सरकार को लाभ होना चाहिए न कि हानि । यदि इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है तो मेरे विचार में श्री मुकर्जी के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार होना चाहिए ।

यदि ये तीनों व्यक्ति समाजवाद के सिद्धान्त पर चल रहे हैं तो इनके बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए। यह सच है कि देश में उर्वरक की कमी है और यह चोर बाजार में बिक रहा है परन्तु इस कारण किसी व्यक्ति को दण्ड देना उचित नहीं है। अधिकारियों की तबदीली तभी की जानी चाहिए जबकि ऐसा करना बहुत आवश्यक हो।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : 3-9-71 को एक संसद सदस्य ने श्री पी० के० सेठी को एक पत्र लिखा था। उसमें यह कहा गया था कि आपने सर्वश्री चक्रवर्ती, मुकर्जी तथा घोष के विरुद्ध आरोपों की जांच का जो आश्वासन दिया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। उस पत्र में यह भी कहा गया था कि अधिकांश संसद सदस्य यह चाहते हैं कि इन तीनों अधिकारियों को शीघ्र ही भारतीय उर्वरक निगम से निकाल दिया जाये। इस पत्र में यह भी अनुरोध किया गया था कि जांच कार्य भूतपूर्व सभापति श्री सतीश चन्द्र अथवा श्री गोविन्द नारायण को सौंपा जाये। परन्तु यह कार्य श्री मालवीय, हकसर तथा श्री मुकर्जी को न सौंपा जाये।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

मेरे पास इस की एक फोटोस्टैट कापी है यदि आप कहें तो मैं इसे सभापटल पर रख सकता हूं।

Shri Sat Pal Kapoor : I rule on a point of order, How he has received this letter. It is an official document.

श्री एस० एम० बनर्जी : इसके पश्चात् सर्वश्री समर गुह, इन्द्रजीत गुप्त, त्रिदिब चौधरी, सेझियान, शिवकुमार शास्त्री तथा अन्य अनेक सदस्यों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि जो निदेशक तथा जनरल मैनेजर छुट्टी पर गये हैं उनको तुरन्त ड्यूटी पर बुलाया जाये। यह भी कहा गया था कि खाद्य निगम तथा उर्वरक निगम के लिए दो अलग-अलग मापदण्ड नहीं होने चाहिएं।

मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को तंग करने के विरुद्ध हूं। डा० चक्रवर्ती को पद्मश्री के अतिरिक्त भी अनेक पुरस्कार मिले हैं और उन्होंने भारतीय उर्वरक निगम के कार्यकरण में सुधार किया है। मैं उर्वरक के मूल्य में वृद्धि करने के विरुद्ध हूं। मैं चाहता हूं कि निगम निजी क्षेत्र के कारखानों का भी अपने हाथ में ले लें। मैं नहीं चाहता कि शाहवालेस अन्य किसी के दबाव में आकर किसी अधिकारी को परेशान किया जाये। मैं चाहता हूं कि इस सारे मामले की जांच के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की जाये और यदि डा० चक्रवर्ती दोषी पाये जायें तो उन्हें तुरन्त सेवा से बर्खास्त कर दिया जाये। काम चोरों के लिए सरकारी उपक्रमों में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। परन्तु ये लोग नौकरशाही और नगरसेठों की सांठ-गांठ का शिकार हैं तो इन्हें तुरन्त ड्यूटी पर वापस बुलाया जाना चाहिए। मैं इन अधिकारियों का पक्ष नहीं ले रहा हूं बल्कि मैं चाहता हू कि उनके विरुद्ध निष्पक्ष रूप से जांच कराई जाये।

श्री समर गुह : माननीय सदस्य ने संविधान के अन्तर्गत शपथ ली है और वह कह रहे हैं कि बंगाली बंगाली को बचाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : इसमें बंगाली बंगाली की कोई बात नहीं है। हक्सर मादिब तथा मालवीय साहिब बंगाली नहीं हैं।

सभापति महोदय : इसमें बंगाली बंगाली अथवा बिहारी बिहारी का कोई प्रश्न नहीं है।

सभापति महोदय : किसी भी सदस्य को सभा के किसी अन्य महत्व की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। श्री ज्योतिर्मय बसु ने श्री महापात्र के बारे में कुछ टिप्पणियां की है जोकि ठीक नहीं थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं गलतफहमी को दूर कर देना चाहता हूं। मैंने यह कहा था कि राजनीति में ऐसे व्यक्ति है जो अमरीकी तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों से वेतन पाते हैं। श्री महापात्र के विरुद्ध मैंने कुछ नहीं कहा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : सारे विवाद को एक घटना तथा मंत्रालय द्वारा उसपर की गई कार्यवाही पर ही केन्द्रित किया जा रहा है। मैं डा० मुकर्जी तथा श्री दलीप सिंह को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं तथा अपने कार्य में दक्ष हैं। परन्तु जब एक बड़े संगठन के प्रबन्ध का प्रश्न है और यदि उसमें कुछ भूल हुई है तो आरोप सिद्ध होने पर किसी न किसी को तो दण्ड मिलना ही है।

किसी संस्था को सबसे चतुर और अच्छे व्यक्ति अच्छा नहीं बना सकते। अत: यह कहना सही नहीं है कि भारतीय उर्वरक निगम का कार्य इसलिए अच्छा है क्योंकि उसमें दो तीन उच्च अधिकारी बड़े अच्छे और चतुर हैं। इसका मूल्यांकन इस बात से ही लगाया जा सकता है कि लोगों को उससे कितनी आशाएं हैं।

उर्वरक उद्योग में इन अत्यन्त कुशल अधिकारियों के रहते गत $2\frac{1}{2}$ वर्षों में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है। कुछ समस्याओं का उन्होंने समाधान किया है पर कुछ उन्होंने स्वयं खड़ी की हैं।

हम चाहते हैं कि उर्वरक निगम का विकास हो। इस समय इसके 5 उत्पादक कारखाने हैं तथा अन्य 7 निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त पांचवी योजना में 11 अतिरिक्त कारखानों की स्थापना की जानी है। अब समस्या यह है कि इन नए कारखानों का निर्माण कार्य जिनमें 1,500 करोड़ रुपया लगेगा इन्हीं लोगों के हाथ में रहने दिया जाये? क्या इतने विशाल संगठन के रहते वे अच्छे बने रहेंगे। क्योंकि देश की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को देखते संगठन कसौटी पर खडा नहीं उतर पाया है। इसमें अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है।

जैसा कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने कहा सम्पूर्ण उर्वरक निगम का पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता है। अत: सरकार इसके लिए तुरन्त कोई योजना बनाए।

श्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा (औरंगाबाद) : माननीय मंत्री द्वारा भारतीय उर्वरक निगम का पुनर्गठन करने का मुझे स्वागत करना चाहिए था, पर गत वर्षों में इसके द्वारा सभी पहलुओं में की गई उन्नति तथा डा० चक्रवर्ती और डा० मुखर्जी की लगन को देखते हुए, जिसके लिए उन्हें देश और विदेश दोनों से प्रशंसा मिली है, मैं इस निर्णय का स्वागत नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि इस समय उर्वरक का मूल्य अत्यधिक है पर इसके लिए डा० चक्रवर्ती और डा० मुखर्जी जिम्मेदार हैं। उन्होंने वितरण की और पद्धति का सुझाव दिया था पर अब इसे छोटे दुकानदारों और बेरोजगार शिक्षितों द्वारा बांटा जा रहा है तथा इस पर निगाह रखने का भार राज्य सरकार का है; अब यदि वे कुछ गलत तरीका अपनाते हैं तो इस पर नज़र रखी जानी चाहिए। इसे रोकना उर्वरक निगम की शक्ति से बाहर है। मात्र आरोप लगाए जाने पर केवल सन्देह के आधार पर मंत्री महोदय को इन लोगों से छुट्टी पर जाने को नहीं कहना चाहिए था। सरकार की यह कार्रवाई एक शीघ्रता में उठाया गया कदम है।

दूसरे जब डा० मुखर्जी ने कार्यभार संभाला था उस समय 2.5 करोड़ रुपया निगम का दुकानदारों पर बकाया था। उसमें से उन्होंने इस बीच दो करोड़ रुपया बसूल किया। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने कोई अनियमितता नहीं की होगी। यह एक जांच का विषय है। जांच पूरी होने पर ही उन पर कोई आरोप लगाया जा सकता है, उससे पहले उन्हें छुट्टी पर जाने को कहना एक कठोर कदम है। मैं आशा करता हूं इस पर मंत्री महोदय फिर से विचार करेंगे।

सभी प्रकार की अनियमितताओं के सम्बन्ध में पूरी-पूरी जांच की जानी चाहिए, पर यह कोई कार्रवाई करने से पहले ही होना चाहिए।

मैं यह बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने कोयले के आधार पर कारखाने स्थापित किए हैं, जो कि एक बड़ी कठिन पद्धति है। कार्रवाई कार्यक्रम समिति ने जापान की टोया कम्पनी और इंजीनियर इंडिया लि० के सहयोग से पांच कारखाने स्थापित करने की सिफारिश की है। क्या इस सम्बन्ध में उर्वरक निगम से पूछ लिया गया है कि वह इसे लगा सकता है? मुझे पता चला है कि उसके पास कारखाने लगाने का तकनीकी ज्ञान है। आत्म निर्भरता के प्रश्न को ध्यान में रख कर हमें इन वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिना कोई जांच किए कार्रवाई करना बड़ा ही गलत कार्य होगा।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर (हमीरपुर) : भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम की धारा 619 एच० के अन्तर्गत की गई थी। यह प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन देता है। इसके गत वर्षों का अध्ययन इस सदन की दो समितियों ने किया है, जिसमें विरोधी दलों के चुने हुए सदस्य भी थे। इन समितियों के प्रतिवेदन को देखने से यह पता चलता है कि इन चतुर और अत्यन्त योग्य तकनीकी अधिकारियों ने कोयले की कमी के बावजूद कोयले पर आधारित कारखाने खोल कर तथा उर्वरक कारखानों की स्थापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग न करके कितनी हानि इस देश को पहुँचाई है।

परन्तु वर्तमान विवाद 15 विरोधी दलों के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गये इस ज्ञापन से खड़ा होता है जिसमें उन्होंने इन अधिकारियों को छुट्टी पर भेजने पर आपत्ति की है तथा उन्हें तुरन्त काम पर बुलाए जाने की मांग की है। 14 मार्च को उर्वरक घोटाले के सम्बन्ध में उठाए गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मंत्री ने बड़ा कठोर रुख अपनाया था और निगम का फिर से पुनर्गठन करने के सरकार के निर्णय की बात कही थी।

अब जब कि यह पता चलता है कि उचन्त खाते में 13 लाख रुपये गायब है, तो इससे हमारी आंखे खुलती है तथा इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करने को कह कर पेट्रोलियम मंत्री ने अच्छा काम किया है।

श्री समर गुह : यह मंत्री ने नहीं किया बल्कि निदेशक मंडल ने स्वयं किया था। यह कहना नितान्त गलत है कि हमने कोई शीघ्रता में कदम उठाया है। यदि सरकार सख्त कार्रवाई करती है तो विरोधी सदस्य सम्बन्धि अधिकारियों के बचाव के लिए आ जाते हैं और यदि नहीं लेते तो वे उसे भला बुरा कहते हैं।

प्रो० नारायण चन्द पाराशर : सरकार निगम में होने वाली नियुक्तियों तथा धन के व्यय के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जांच करनी चाहिए। अधिकारियों की आय और व्यय की भी पूरी जांच की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं उर्वरक निगम के पुनर्गठन के निर्णय का स्वागत करता हूं।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : The hon. Members have expressed their views fully and on all the aspects of this question. Their department has got no political direction since Shri K.D. Malviya had left. Now Shri Barovah has taken charge of this department and we should hope that all the institutions under this department will get committed political guidance. The official, working in these institutions shall also have some objective but we have noticed that that is lacking in them. Sometimes there is a tussels between Technocrats and bureaucrats. This situation is prevailing not at one place but at several places. This should come to an end. For years together the Chairman of the UPSC was an I.C.S. Officer. Now a technocrat has been appointed as its Chairman and now the work is going on smoothly. It is possible that technocrats may not have administrative experience but they can work in right direction.

There has been burgling on a large scale in the Fertilizer Corporation of India. Factories have been established in American collaboration as well as with the collaboration on other contries. I have seen the fertilizer factory of Bombay. The material supplied by America has been replaced and the factory has again started functioning.

[Shri Shashi bhushan]

The technocrats of our country have been asking for technical know how of producing coal based fertiliser because we have to import diesel and other things and crude oil against gold. We are proud of the fact that our technicians have developed this technology for producing fertiliser in the country. Scientists all over the world have accorded recognition to our technocrafts who are working in the field of fertilizer. Several of them have been freedom fighters. They should not be allowed to suffer in the personal life. Mr. Chakravarty has been a freedom fighter and eminent Scientists of the world have recognised his services. He gave the policy of selfreliance to the country. He may or may not remain but we can not forget his services for the country. Some may oppose him by being misguided.

Last time I saw that there is one Dr. Vimal Jain, he got written several letters from M.Ps. against the officers. He is an ordinary clerk in the Fertilizer Corporation. I can bring those M.Ps. before the hon. Minister and show how these clerks are acting against their institution. His name in Dr. Vimal Jain. He belongs to Western Uttar Pradesh. C.B.I. should conduct enquiry against such persons also.

This is also happening in the corporation. One Local person is sending news to the Blitz against the Chairman. He is going from one office to another. Strong action should be taken against such persons who are indulging in such activities. Central Bureau of Investigation is holding an enquiry and the Board has accepted it. All these written letters and documents should be produced before its. All the vested interests and foreign companies such as Vektar Company which is attached to C.I.A. are interested in establishing fertilizer factories in India through Japan and other countries. A book has published in America and I have sent that book to Hon. Minister and I hope that he must have read it. It is a big circle, we should encourage our Scientitists. The Scientists are satisfied with the fact that a long section of the intelligent people has full confidence on them. We should not belie their faith and we should hold enquiry into the mistakes which have come to the notice and I am sure that the people who understood them correctly will prove correct after the enqury. All those persons who are giving wrong information and who have created this atmosphere of confusion against Scientists due to buraucrats should be punished.

It will be a good thing if an enquiry by the C.B.I. is conducted.

As my colleague Shri Parashahr has said I will also suggest that a Parliamentary Committee or some other committee should be appointed to go into the whole matter, so that misunderstanding may be removed.

* * * * *

Shri Damodar Pandey : Mr. Chairman Sir, many things have been said here. It has also been said that coal mines workers, perhaps, have some interest in defaming the Fertilizer corporation. In this connection the name of shaw Wallace and some other have been mentioned. I want to say only this much regarding Sindri which is in Jaharia Sector of Bihar. They had no other alternative except to take coal from the private sector because there was no public sector undertaking there. They were getting coal frm the private sector prior to nation alisation and also during the period when Shri Chakravarti was working as a Manager there and even before that even when he was not there. It is not a new thing. Now the same person after nationalisation has become the champion of nationalisation and that now he ha stated getting coal from the public sector and that the private sector has become angry. I cannot understand all that. There is no private Sector now after nationalisation. Now what interest he can have. Shaw Wallace has no colliery there.

Shri Samar Guha : He was getting from NCDC.

Shri Damodar Pandey : I may tell you that NCDC has no omce there. The Private Sector has been converted into Public Sector. Now what interest they can have ? Tatas have some collieries there and they take the coal to their own factories.

I do not want to crtiticise any individual. I also do not have any enmity with any individual. I am not to speak for and against anybody. I have no direct connection with Fertilizer Corporation. What I said on the calling Attention was based on the material which was available with me. If there was anything which was not fact the hon. Member or any other Member who was then present, could have pointed out to me. Even today I say that all those things which I said were facts and they are correct. I do not want to repeat them because they are all on record. The way the things are going on there and also keeping in view the industrial relations and the tussel which is going on among the officers there is no other alternative except to overhaul the whole set up thoroughly. Anyone who is found guilty should be removed from services and anyone who is able and anyone without whom work cannot go on should be retained. There is no other alternative. There was a tussel between Dr. Mukherjee and Chakravarti. Both were trying to degrade each other. Where were the question of ethnic minority then. So I am not talking about easterim etc. I never had any faith in it as I had remained in labour struggles. I have several things to show that what Dr. Mukherjee has written against Chakravarti and what Dr. Chakravarti has written against Dr. Mukherjee. I have no time to go in all those things. My submission is that decision should be in the interest of the corporation and country and keeping in view the gravity of the lapse on the part of the officers. Even good officers can commit mistakes. Reorganisation is essential in the interest of the corporation itself.

श्री डी० के० बरुआ : उर्वरक निगम के कार्यकरण सम्बन्ध में यह चर्चा उठाने के लिए मैं श्री समर गुह का बड़ा आभारी हूं। आशा है वे ऐसी ही चर्चा मेरे मंत्रालय के अन्य सरकारी उपक्रमों के सम्बन्ध में भी उठाएंगे **(व्यवधान)** ।

श्रीगुह ने बताया कि अकेले ट्राम्बे में 9 करोड़ का लाभ हुआ है पर उर्वरक निगम के अन्य कारखाने भी है जिनमें घाटा हुआ और यह लाभ केवल 5 करोड़ रुपये रह गया। उनका यह कहना सही नहीं है कि केवल उर्वरक निगम ने ही लाभ कमाया है। अन्य निगमों ने भी लाभ कमाया है। किसी भी संस्था के बारे में कुछ कहते समय हमें उसकी अच्छाइयों और दोनों का उल्लेख करना चाहिए। उर्वरक निगम का सारा कार्य केवल तीन व्यक्तियों पर ही निर्भर नहीं है, उसमें सभी लोगों का सहयोग है। और उन्हें भी उसका श्रेय मिलना चाहिये ।

प्राक्कल समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि देशीकरण के नाम पर एक लम्बे समय तक विदेशों से उर्वरक आयात करने पर विदेशी मुद्रा खर्च करने में क्या तुक थी जबकि यह काम विदेशी प्रौद्योगिकी विज्ञों की सहायता से इससे कम समय और कम विदेशी मुद्रा खर्च करके हो सकता था। एक व्यवस्थापक को इन सब बातों पर विचार करना पड़ता है। अतः हमें सब कुछ प्रौद्योगिकी विज्ञ पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए ।

यह भी कहा गया कि कोई विदेशी सत्ता इस दिशा में काम कर रही है। निःसन्देह अमरीका अथवा रुस नहीं है और अन्य देश जिनका इसमें कुछ हित है इतने छोटे हैं कि वह कुछ भी करने में असमर्थ हैं।

उर्वरक उत्पादन के नए तरीकों का विकास करना प्रशंसा का विषय है पर निवेश आदि सम्बन्धी अन्य समस्याएं भी है। नए तरीके से खर्च 129 करोड़ रुपये जबकि मट्टी तेल पर आधारित कारखाने स्थापना पर केवल 80 करोड़ रुपये। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

निर्धारित मूल्य अधिक मूल्य वसूल करना, सरकार के लिए लाभकारी होने पर भी, एक गलत काम है देश के कानून का उल्लंघन है। उर्वरक निगम के अधिकारियों ने डा० मुखर्जी की जानकारी से अमोनिया सल्फेट के एक वेगन के 15,000 रुपये वसूल किए जबकि उसका मूल्य 11,000 रुपया था। इस अधिक मूल्य को कौन देगा ? निस्सन्देह किसानों पर इसका भार पड़ेगा। यह सही है कि ऐसा व्यापारियों पर बकाया पड़ी धन राशि को वसूल करने के लिए किया गया था। पर वह था तो गलत ही। जिनके ऊपर बकाया है उनके विरुद्ध दीवानी मामले चलाए गये हैं।

[श्री डी० के० बरुआ]

उर्वरक निगम के अधिकारियों ने दो प्रकार की अनियमितताएं की । एक तो ज्यादा मूल्य लिया दूसरे जो उर्वरक आन्ध्र था वह मद्रास और मैसूर गया, जो कि न्याय संगत नहीं था । मैं जो कुछ कह रहा हूं वह प्रतिवेदनों के आधार पर कह रहा हूं । मैं किसी भी अधिकारी से परिचित नहीं हूं और न ही मैंने उनका नाम सुना है । उन्हें मुअत्तिल नहीं किया गया है बल्कि छुट्टी पर जाने को कहा गया है ज्यों ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन्हें आरोपों से बरी कर देगा उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी । जो न्यायसंगत होगा । वहीं होगा ।

सभापति महोदय : सभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 11 मई, 1973/21 वैशाख, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, May 11, 1973/ *Vaishakha* 21, 1895 *(Saka)*

भा०स०मु०ना०—वि7—14 लोक सभा/73—28-8-73—490.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]